खण्ड-194, अंक-1
बुधवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1880
(26 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 194 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

701
RA
2056
134236

विषय-सूची

बुधवार, ५ चैत्र, शक संवत् १८८०

(२६ मार्च, १९५८ ई०)

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३६
गाजीपुर जेल में सर्वश्री बालरूप शर्मा तथा कैलाशपतिसिंह द्वारा भूख हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३७
खीरी जिलाधीश के विरुद्ध आरोपों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३७
सर्वश्री बालरूप शर्मा व कैलाशपति सिंह की भूख हड़ताल के विषय में जानकारी	३८
श्री अध्यक्ष के निर्णय के विरोध में सदन-त्याग पर वैधानिक आपत्ति और विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (उठाने की सम्मति नहीं दी गयी)	३८–४०
आगामी कार्य-क्रम के संबंध में पूछताछ	४०
बैठक का समय १ घंटा बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४०–४४
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग (जारी)	४४–५२
श्री रामेश्वरशरणसिंह, सेक्रेटरी, मजदूर कांग्रेस, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना	५२
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग (स्वीकृत) ..	५२–७७
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	७८–८०
उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	८१–९६
उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर विवाद—जारी)	९६
नत्थियां	९७–११३

बृहस्पतिवार, ६ चैत्र, शक संवत् १८८०

(२७ मार्च, १९५८ ई०)

उपस्थित सदस्य	११५–११८
प्रश्नोत्तर	११९–१६४
मालगुजारी की वसूली से संबंधित कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१६४

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री गोविन्दसिंह बिष्ट द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१६४
चकबन्दी टैक्स की वसूली से संबंधित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१६४–१६६
५ बजे के बाद सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१६६–१६७
भावी कार्य-क्रम के संबंध में सूचना	१६७
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित) ..	१६८–२१५
उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित) ..	२१५–२२४
नत्थियां	२२५–२६१
शुक्रवार, ७ चैत्र, शक संवत् १८८० (२८ मार्च, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	२६३–२६६
प्रश्नोत्तर	२६७–२९१
प्रश्न १३–१४ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के संबंध में जानकारी	२९१
सरसावा केन सोसाइटी द्वारा किसानों का रुपया वापस न किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२९२
मालगुजारी की वसूली में ज्यादतियों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२९३
नगला जाटव, जिला बुलन्दशहर के अग्नि-पीड़ित लोगों की सहायता न किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२९३
अमोला कलां, जिला बाराबंकी के प्रधान द्वारा आमरण अनशन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	२९३–२९४
प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने के कारण शेष प्रश्न न लिये जाने पर आपत्ति	२९५
चकबन्दी की उपयोगिता जांचने के लिये जांच समिति की नियुक्ति के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	२९५–३२७
गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के संबंध में संकल्प (विचार जारी) ..	३२७–३३४
नत्थियां	३३५–३४०
बृहस्पतिवार, १३ चैत्र, शक संवत् १८८० (३ अप्रैल, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	३४१–३४४
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४५
प्रश्नोत्तर	३४५–३७७
उन्नाव में प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३७८–३८१

विषय	पृष्ठ-संख्या
सोशलिस्ट पार्टी, आजमगढ़ के संयुक्त मंत्री श्री विष्णुदेवप्रसाद पर पुलिस की साजिश से गुंडों द्वारा हमले के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३८१–३८३
मौदहा के उपनिर्वाचन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३८३–३८४
जगबूढ़ा पुल पर बैलगाड़ियों आदि पर कर लगाने के विरोध में श्री प्रतापसिंह की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३८४–३८६
सोशलिस्ट पार्टी के प्रान्तीय सम्मेलन में बाधायें डाले जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३८६
हसनगंज थाना, जिला उन्नाव में श्री फरीद अहमद पर गुंडों द्वारा हमले के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	३८६
डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के आगामी चुनाव के संबंध में जानकारी की मांग ..	३८६–३८७
विधान सभा सदस्य, श्री प्रतापसिंह की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना ..	३८७
श्री राजनारायण की गिरफ्तारी व जमानत पर छूटने के संबंध में सूचना ..	३८७
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम द्वारा विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के संबंध में सूचना	३८७–३८८
१९५७–५८ के लिये निर्मित स्थायी समितियों के सदस्यों का पद-काल ३० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ाने के संबंध में सूचना	३८८
विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के सदस्यों के चुनाव के संबंध में समय की सूचना	३८८
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम का इस्तीफा हिन्दी में न होने के कारण आपत्ति ..	३८८
डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के आगामी चुनाव तथा सदन के भावी कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी	३८९–३९३
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	३९३
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	३९३
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	३९३
विधान सभा की बैठक शनिवार, ५ अप्रैल, १९५८ को भी करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	३९३–३९४
उत्तर प्रदेश का मोटरगाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित) ..	३९५–४०४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर विवाद —स्थगित) ..	४०४–४०६
नत्थियां	४०७–४४५

शनिवार, १५ चैत्र, शक संवत् १८८०

(५ अप्रैल, १९५८ ई०)

विषयें	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४४७–४५१
प्रश्नोत्तर	४५१–४५३
नियोजन उपमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना (उठाने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४५३
हसनगंज थाना, जिला उन्नाव में श्री फरीद अहमद पर गुंडों द्वारा हमले के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित)	४५३–४५५
डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव टालने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (सदन ने प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी)	४५५–४५९
विधान सभा सदस्य, श्री प्रतापसिंह को जेल में सुपीरियर क्लास न दिये जाने के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४५९–४६०
श्री देवनारायण भारतीय द्वारा चुनाव के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४६०
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४६०
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४६१
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	४६१–४७३
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	४७३–४९६
सत्रावसान के बाद प्रश्नों को व्यपगत न करने के लिये प्रार्थना ..	४९६–४९७
विधान सभा के सत्रावसान की सूचना	४९७
१९५८ के प्रथम सत्रारम्भ की सूचना	४९७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार २६ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभाकी बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३३६)

अभयवर सिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्बुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्म शाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुलतारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपालो, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चंद्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेंद्र प्रताप सिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दीनबन्धु कृष्ण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र,श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बर राम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रताप बहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह, राणा श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूहलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री

मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री

शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदत लाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरतबन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री

हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मोलाई), श्री

हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २६ मार्च, १९५८ ई०

तारांकित प्रश्न

जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट, आजमगढ़ से राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण-पत्र न मिलना

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या समाज सुरक्षा मंत्री आजमगढ़ जिला जेल में १९४० से १९४४ तक डी०आई०आर० की धारा १२९ तथा १२६ के अन्तर्गत नजरबन्द राजनीतिक बंदियों का रिकार्ड न होने के संबंध में १८-९-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि रेकार्ड की अनुपस्थिति में राजनीतिक पीड़ितों को प्रमाण-पत्र किस प्रकार दिया जायेगा ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री(श्री मुजफ्फर हसन)—ऐसे राजनीतिक पीड़ितों को प्रमाण-पत्र जिलाधीश द्वारा जिले के गुप्तचर विभाग का रेकार्ड देख कर दिया जा सकता है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० आई० आर० की धारा १२९ तथा १२६ के अन्तर्गत नजरबन्द रहे कितने व्यक्तियों ने जेल सुपरिंटेंडेंट, आजमगढ़ के यहां राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन पत्र दिया है तथा उनके प्रार्थना-पत्रों पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—लगभग ७-८ व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे और उन्हें उस समय सूचित कर दिया गया था कि सन् १९४२ के डी० आई० आर० के बंदियों का रिकार्ड जेल में मौजूद नहीं है। अब यदि वह दरख्वास्त देंगे तो गुप्तचर विभाग से जांच करके उन पर कार्यवाही होगी।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जेल के अलावा प्रदेश की और जेलों में भी १९४० से १९४४ तक डी० आई० आर० की धारा १२९ तथा १२६ के अन्तर्गत नजरबन्द रहे राजनीतिक बंदियों का रेकार्ड गायब हुआ है ?

श्री मुजफ्फर हसन—अधिकांश जेलों का रिकार्ड नियमानुसार वीड आउट कर दिया गया है, गायब नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जिलाधीश पहले राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण-पत्र दिया करते थे और फिर बाद को आदेश दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिंटेंडेंट दिया करें ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे यह ठीक तौर से मालूम नहीं। अगर माननीय सदस्य को जानकारी है तो ठीक ही होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह रेकार्ड स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले या बाद में वीड आउट किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—डी० आई० आर० के रजिस्टरों के साथ उनके रजिस्टर रखे जाते थे और वे ५ वर्ष के बाद वीड आउट हो जाते थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि डी० आई० आर० के राजनीतिक बन्दियों की तालिका गुप्तचर विभाग में भी नहीं है और इस कारण उनको वहां से राजनीतिक प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—हो सकता है कि किसी जगह वहां भी न मिल पाया हो लेकिन कोशिश जारी है कि जिसके जरिये भी मिल सके, उसको हासिल किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिस प्रकार डी० आई० आर० के अन्तर्गत राजनीतिक पीड़ितों को दोबारा अवसर दिया जा रहा है उसी प्रकार उन राजनीतिक पीड़ितों को भी जिनके अब तक रेकार्ड उपलब्ध न होने के कारण दरख्वास्तें पेश नहीं हो सकीं, अवसर देंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, वह तो जवाब में ही कहा गया है कि जहां कहीं यह कह दिया था कि जेल रेकार्ड नहीं है, अगर वे फिर दरख्वास्त देंगे तो गुप्तचर विभाग से जांच करवा कर वहां रेकार्ड होगा तो उन्हें प्रमाण-पत्र मिल सकेगा।

श्री कृष्ण इन्टर कालेज बरहज, जिला देवरिया के अनुदान के व्यय में गड़बड़ के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट

*४—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में श्री कृष्ण इन्टर कालेज बरहज (देवरिया) को केंद्रीय विभाग द्वारा दी गई १५,००० रुपये की ग्रांट किन-किन मदों में खर्च हुई है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—स्वीकृत किया गया अनुदान निम्नलिखित मदों में व्यय हुआ :—

	रुपये
१—विद्यालय भवन में अतिरिक्त कमरों का निर्माण ..	४,०००
२—शिक्षा सज्जा	५,०००
३—पुस्तकालय के लिये पुस्तकों, समाचार-पत्रों, साप्ताहिक तथा मासिक आदि	४,०००
४—काष्ठोपकरण	१,०००
५—शिक्षणोत्तर कार्यकलाप पुरस्कार, भाषण प्रतियोगिता, नाटक आदि	१,०००
योग ..	१५०००

*५—श्री उग्रसेन—क्या उक्त धनराशि के ठीक से न खर्च करने पर एक सदस्य प्रबन्ध समिति ने जिला निरीक्षक शिक्षा विभाग से जांच की मांग की थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—हां।

*६—श्री उग्रसेन—क्या जिला विद्यालय निरीक्षक के जांच की रिपोर्ट से शिक्षा मंत्री कृपया सदन के सदस्यों को अवगत करायेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—हां, जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९७-९९ पर)

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १५ ००० रुपये की ग्रांट जो प्रस्तावित मदों के लिये मिली हुई है उसका रुपया मैनेजिंग कमेटी द्वारा ठीक-ठीक खर्च हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके वाउचर्स की जो जांच हुई थी उसमें इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने उनके खिलाफ लिखा था कि उसमें गबन है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को कुछ शिकायतें थीं, वह उन्होंने वहां की कमेटी को लिख कर भेजीं। कमेटी ने उसका उत्तर दिया कि जो रुपया खर्च हुआ था वह ठीक से हुआ था लेकिन उसमें कुछ त्रुटि रह गयी थी जिसके जिम्मेदार प्रिंसिपल थे। वहां इन सब बातों को देख कर यह आदेश दिया गया था कि प्रिंसिपल की दो वेतन वृद्धि रोक देनी चाहिये।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रिंसिपल को कितने रुपये की गड़बड़ी के लिये जिम्मेदार ठहराया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—रुपये की गड़बड़ी की कोई चर्चा इसमें नहीं है। उसने जो हिसाब इत्यादि रखा था, जो सामान खरीदा, वह उचित तरीके से नहीं खरीदा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रिंसिपल साहब अपनी जगह पर बदस्तूर काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बताया जा चुका है कि उनकी दो वेतन वृद्धि रोक दी गयी।

श्री शिवप्रसाद नागर—प्रश्न यह है कि जब उनके ऊपर अभियोग लगाया गया है तो फिर भी वह अपनी जगह पर बदस्तूर काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दे दिया गया है।

श्री उग्रसेन—हमने तो इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की जांच की रिपोर्ट मांगी थी और जवाब में इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने जो लेटर्स मैनेजर और मैनेजिंग कमेटी को ऐड्रेस किये हैं उसी की दो कापी दे दी गयी हैं। हम तो वह जांच की रिपोर्ट जानना चाहते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने जो जांच की थी उसके परिणामस्वरूप जो उसको महसूस हुआ वही तो उसने प्रबन्धक समिति को लिखा कि यह हमको चीज मालूम हुई है। मैं नहीं समझ पाया कि और जांच से क्या तात्पर्य है ?

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—क्या और रिपोर्ट्स भी हैं जो उसने इसके बाद में दी हैं ?

श्री उग्रसेन—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो आप पूछिये, आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने जांच करके कई बार पत्र लिखा और जवाब मांगा और मैनेजिंग कमेटी ने और मैनेजर ने जवाब नहीं दिया, तो जो इंसपेक्टर आफ स्कूल्स ने लिखा था वह जानना चाहता हूं ?

श्री कैलाश प्रकाश—वह रिपोर्ट तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन इतना अवश्य है कि इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने मैनेजिंग कमेटी के उत्तर को देख कर उनको यह कहा कि प्रिंसिपल की २ वार्षिक वृद्धि रोक दी जायं और प्रबन्धक कमेटी का पुनः चुनाव करा दिया जाय। इस चीज की उन्होंने सिफारिश की है।

श्री उग्रसेन—क्या इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने जो दो आर्डर दिये कि मैनेजिंग कमेटी का चुनाव करा दिया जाय, ऐसा करा दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी अभी सूचना प्राप्त नहीं हो पायी है ।

हाई स्कूल परीक्षा में क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर केन्द्र से बैठने वाले विद्यार्थियों के रोके गये परीक्षाफल की घोषणा

*७—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि १९५७ की हाई स्कूल परीक्षा में क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर केन्द्र से बैठने वाले उन ५४ विद्यार्थियों का परीक्षाफल अब घोषित कर दिया गया है जिनका परीक्षाफल पहिले रोक रखा गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, ५५ विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोका गया था । २६ विद्यार्थियों का परीक्षाफल, जो निर्दोष थे, घोषित किया जा चुका है । परीक्षा समिति द्वारा २९ परीक्षार्थी दोषी पाये गये हैं, जिनके विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

*८—श्री मोतीलाल अवस्थी—यदि हां, तो परीक्षाफल देर से घोषित होने का कारण क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों की आख्या प्राप्त करने तथा दोषी छात्रों को स्पष्टीकरण का अवसर देने में काफी समय लगा, जो अनिवार्य था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि जिन २६ विद्यार्थियों का परीक्षाफल निर्दोष होने के कारण घोषित किया गया उनमें कुछ विद्यार्थी परीक्षाफल देर से घोषित होने के कारण अगले वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला निरीक्षक, कानपुर से आख्या प्राप्त करने में जो विलम्ब हुआ उस सम्बन्ध में उनका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उस स्पष्टीकरण को मेज पर रखेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—उत्तर यह है कि इस सम्बन्ध में जिला विद्यालयों के निरीक्षक की आख्या प्राप्त करने तथा विद्यार्थी द्वारा चार्ज का उत्तर देने में काफी समय लगा । यह नहीं है कि जो आख्या मांगी गयी उसमें समय लगा । श्रीमन्, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठते हैं उनका परीक्षा फल घोषित करने का काम बोर्ड के द्वारा एक कमेटी करती है । अगर कोई दोष या त्रुटि परीक्षा में पायी जाती है तो उसका निर्णय एग्जामिनेशन कमेटी करती है । हाईकोर्ट में एक रिट गया और हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि जब तक विद्यार्थी को इस बात का अवसर न दे दिया जाय कि वह उत्तर दे सके उन चार्जेज का जो उसके खिलाफ लगाये गये हैं तब तक उसके मामले पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । इसलिये अब परिस्थिति यह उत्पन्न हो गयी है कि अगर कोई विद्यार्थी नकल करता हुआ किसी सेन्टर पर पाया जाय तो उसके खिलाफ रिपोर्ट हो, वह रिपोर्ट एग्जामिनेशन कमेटी के सामने जाय, फिर वह इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स वगैरह से रिपोर्ट मांगे, वह रिपोर्ट लेकर एक चार्जशीट बनाये, उसके बाद वह चार्जेज उस विद्यार्थी के पास भेजे और जब विद्यार्थी का उत्तर आ जाय तब वह निर्णय दे । उस समय तक वह परीक्षाफल घोषित नहीं कर सकती है । इस कारण से इसमें काफी देर लगती है और वास्तव में हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि इस प्रणाली के द्वारा परीक्षाफल घोषित करने में काफी समय लग रहा है ।

लखनऊ के बन्दी सम्मेलन में श्री राजनारायण, सदस्य विधान सभा तथा इलाहाबाद जेल के श्री गोयल को भाग न लेने देना

*९—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत लखनऊ में होने वाले बन्दी सम्मेलन में, श्री राजनारायण, सदस्य, विधान सभा ने जो कि उस समय कानपुर जेल में थे मुख्य मन्त्री जी तथा आई० जी० जेल को तार भेज कर भाग लेने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो उनको उस सम्मेलन में भाग लेने की आज्ञा क्यों नहीं दी गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । तार सम्मेलन के उद्घाटन के बाद सायंकाल ५ बजे प्राप्त हुआ था । उस समय उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी ।

*१०—श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बन्दी सम्मेलन में इलाहाबाद जेल के श्री गोयल को सम्मेलन में भाग लेने के लिये लाया गया था ? यदि हां, तो उनको लखनऊ जेल में क्यों रखा गया और सम्मेलन में क्यों भाग नहीं लेने दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । श्री गोयल के पास अवैध कागजात पाये गये थे । अतः उन्हें सम्मेलन में भाग लेने से रोक दिया गया ।

*११-१३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

ग्राम भूलनपुर, जिला खीरी में पुलिस चौकी खोलने की मांग

*१४—श्री गनेश लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २ अक्तूबर, १९५५ को ग्राम भूलनपुर, तहसील लखीमपुर, जिला खीरी में नवनिर्मित "चन्द्र-भानु शिशु उद्यान" के उद्घाटन के अवसर पर माननीय श्री मुजफ्फर हसन, मन्त्री समाज सुरक्षा विभाग ने यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही भूलनपुर में एक पुलिस स्टेशन खोल दिया जायेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं ।

*१५—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या इस सम्बन्ध में ग्राम सभा, भूलनपुर से कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं ।

*१६—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूलनपुर के लोगों ने इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र उनको दिया है कि वहां पर आउट-पोस्ट या पुलिस स्टेशन खोला जाय ?

श्री अध्यक्ष—कुछ माननीय सदस्य आपस में जोर से बातचीत कर रहे हैं । वे कृपा करके लाबी में जाकर बात करें ।

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, जब माननीय समाज सुरक्षा मंत्री वहां गये थे तो उनको एक मान-पत्र पेश किया गया था जिसमें यह मांग की गयी थी कि वहां चौकी खोली जाय ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि भूलनपुर के १० मील इर्द गिर्द में कोई पुलिस पोस्ट नहीं है ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सम्भव है कि ऐसा हो। लेकिन ऐसे प्रदेश में बहुत से स्थान हैं जहां दस मील के बीच में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है ?

इटावा जिले में ३ साल से ऊपर काम करने वाले सब-इन्सपेक्टर तथा हेड कान्सटेबिल

*१७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय इटावा जिले में क्रमशः ३ साल और ६ साल से अधिक रहने वाले थानेदारों व दीवानों की संख्या क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इटावा जिले में इस समय ऐसे १६ सब-इंस्पेक्टर तथा १५ हेड कान्सटेबिल हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस रेगूलेशन कोड के अनुसार कोई भी दारोगा एक जिले में ६ साल से अधिक नहीं रह सकता है, तो क्या इस पर प्रकाश डाला जायगा कि इतने दिनों तक यह क्यों रहे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दारोगा के लिये ६ साल और हेड कांस्टेबिल के लिये १० साल नियमों में है। यह आर्डर दिये जा चुके हैं कि अगर कोई दरोगा ज्यादा दिनों से है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाय ।

*१८—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१९-२०—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज, गोरखपुर में फिजिक्स व केमिस्ट्री की अध्यापिकाओं का न होना

*२१—श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज, गोरखपुर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अध्यापक अब तक नहीं हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—अध्यापक हैं ।

*२२—श्री अब्दुल रऊफ लारी—यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अध्यापक कब से रखे गये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, दिसम्बर से पहले अस्थायी रूप से एक अध्यापिका पढ़ाती थीं। दिसम्बर में नये पदों का सृजन हुआ और उसमें एक केमिस्ट्री की अध्यापिका की नियुक्ति हो गई और अभी तक फिजिक्स के लिये अध्यापिका नहीं मिली है, इसलिये पुरुष अध्यापक वहां काम करते हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ८-८ महीने तक अध्यापकों के न रहने से बच्चों की क्या हालत होगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप राय पूछ रहे हैं। आप स्वयं ही हालत जान सकते हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी ऐसे अहम विषयों के लिये मास्टर शुरू में रखे जायं इसके लिये प्रबंध करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो प्रबन्ध है लेकिन बालिका विद्यालयों में साइंस पढ़ाने वाली एम० एस-सी० अध्यापिकायें कम मिलती हैं और फिजिक्स के लिये एम० एस-सी० अध्यापिका अब तक नहीं मिल सकी। वहां पुरुष अध्यापक रखे जाते हैं जहां अत्यन्त आवश्यकता होती है, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिये चेष्टा की जाती है कि अध्यापिका ही प्राप्त हो और उसमें थोड़ा-बहुत बिलम्ब हो जाता है।

गाजीपुर जिले में शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्धित कृषि फार्म

*२३—**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में जूनियर हाई स्कूलों तथा सेकेन्डरी हायर स्कूलों को मिलाकर कुल कितनों में एग्रीकल्चर फार्म हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—गाजीपुर जिले में जूनियर हाई स्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों को मिलाकर कुल ५१ स्कूलों में एग्रीकल्चर फार्म हैं।

श्री यमुना सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रति वर्ष इन विभागों पर कितना रुपया व्यय होता है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप हर एक का अलग-अलग पूछ रहे हैं ?

श्री यमुना सिंह—श्रीमन्, टोटल बता दिया जाय।

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, फार्मों को स्कूल ही चलाते हैं और हिसाब इत्यादि भी स्कूल ही रखते हैं। इसलिये आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

श्री यमुना सिंह—इन फार्मों में कितने ऐसे फार्म हैं जिनको जोतने-बोने के लिये बैलों का प्रबन्ध नहीं हो पाया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह तो इस समय मैं नहीं बतला सकता हूं कि कितने फार्म हैं, लेकिन यह सही है कि जो भूमि विद्यालयों को मिली है उसमें ए० बी०, सी० कई कैटेगरीज हैं। जिस भूमि पर खेती हो सकती है उस पर खेती की जा रही है। जो भूमि अभी खेती के काबिल नहीं है उस भूमि को खेती के काबिल बनाया जाता है और काफी भूमि खेती के काबिल बनाई जा चुकी है।

हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण

*२४—**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रदेश के हायर सेकेन्डरी स्कूलों के उन अप्रशिक्षित शिक्षकों को जिनकी सेवायें ५ वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हैं, उन्हें प्रशिक्षण के प्रबन्ध से मुक्त करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। उनके लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई है।

शाहजहांपुर के निकट दुर्घटना में बरेली जुबिनायल जेल के मृतकों के परिवार को सहायता

*२५—**श्री धर्मदत्त वैद्य** (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिलीज्ड प्रिजनर्स कांफ्रेंस से वापसी पर बरेली जूबिनायल जेल का जो दल १७ नवम्बर को शाहजहांपुर के निकट दुर्घटना-ग्रस्त हुआ, उसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

श्री मु :फ्फर हसन---६ ।

*२६---श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों के परिवार को सरकार ने अब तक क्या सहायता दी है तथा भविष्य में उनके गुजारे के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन---प्रत्येक परिवार को ५०० रुपया तात्कालिक सहायता सरकार ने दी थी। जिन परिवारों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं सरकार उन पर विचार कर रही है।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके क्या नाम हैं ? और वह किस पद पर काम करते थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---श्री जी० चरन, डिप्टी जेलर, श्री रघुनन्दन प्रसाद, डिप्टी जेलर, श्री पी० सी० सिनहा, सहायक जेलर, हीरालाल पाठक, ड्राइवर, कुमारी जरीना (इम्तियाज हुसेन जेलर की लड़की) ।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मृत व्यक्तियों के कितने परिवार वालों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं और सरकार भविष्य में किस प्रकार से उनको सहायता देने पर विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---उनमें से एक की दरख्वास्त यह मिली है कि उनको नर्सिग ट्रेनिंग दी जाय। यह किसी मरने वाले की धर्मपत्नी हैं। इस पर विचार हो रहा है। दूसरी दरख्वास्त पेन्शन के लिये आई है। यह भी किसी मरने वाले की धर्मपत्नी है। तो ऐसे मामले में पेन्शन देने का कोई तरीका नहीं है लेकिन अगर जाब्ते से दरख्वास्त आयेगी तो ग्रेचुइटी देने पर विचार किया जायगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या माननीय मन्त्री जी को विदित है कि जिन डिप्टी जेलर की इसमें मृत्यु हुई है उनका विवाह एक वर्ष पूर्व ही हुआ था और ऐसे भी उनमें व्यक्ति हैं जिनकी विधवाओं के गुजारे का कोई ठिकाना नहीं है ? क्या सरकार उनको कोई ऐसी सहायता देगी जिससे उनका निर्वाह हो सके ?

श्री मुजःफर हसन---शादी की बात तो मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है हुई हो, कायदे से जो उनकी मदद हो सकती है वह जरूर दी जायगी।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनको सहायता देने में इतना बिलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन---तात्कालिक सहायता ५०० रुपया हर एक को दी गई।

उरई, जिला जालौन के दंगों में मृतक तथा घायल व्यक्ति

*२७---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ७ सितम्बर, १९५६ को उरई नगर, जिला जालौन के दंगे में कितने व्यक्तियों की हत्या हुई और कितनों को चोटें पहुंचीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस दंगे में ९ व्यक्तियों की हत्या हुई और १३ व्यक्ति जख्मी हुए।

जिला बोर्ड, गोंडा के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*२८---श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बोर्ड गोंडा के अध्यापकों को चार माह से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

जिला बोर्ड, गोरखपुर के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*२९—श्री अमर नाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बोर्ड, गोरखपुर ने पिछले कई महीनों से अपने अधीन स्कूलों के अध्यापकों को उनका वेतन नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वेतन दिया जाता रहा। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३०—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने अध्यापक हैं और उन्हें कितने महीनों से अपना वेतन नहीं मिल रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

*३१—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—[छठवें शुक्रवार को प्रश्न संख्या ९४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*३२—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[छठवें शुक्रवार को प्रश्न संख्या ९५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

झांसी जिले में ५ साल से ऊपर काम करने वाले थानेदार

*३३—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में ऐसे कितने थानेदार हैं जिनका कार्यकाल उसी जिले में ५ साल से अधिक हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२३।

*३४—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (अनुपस्थित)—[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३५—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (अनुपस्थित)—[नवें गुरुवार को प्रश्न संख्या १२० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*३६—श्री रामबली (जिला सुल्तानपुर)—[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

गृह विभाग में राजनीतिक पीड़ितों के मामले

*३७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ऐसे कितने राजनीतिक पीड़ितों के मामले गृह विभाग में पेन्शन आदि के, आर्डर जारी करने के लिये पेंडिंग पड़े हुये हैं जिनको पेन्शन देने की सिफारिश संचालक, राजनीतिक पीड़ित विभाग कर चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि उक्त तिथि को ऐसे मामलों की कोई गणना नहीं की गयी थी।

*३८—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने मामले हैं जो तीन महीने से अधिक पेंडिंग हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई नहीं।

*३९-४०—श्रीमती बिन्दुमती दास (जिला बाराबंकी)—[माननीया सदस्या द्वारा वापस ले लिये गये।]

ग्राम महेशपुर, जिला देवरिया की डकैती में मृत मोहन तथा जई के परिवारों को पेन्शन

*४१--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम मछरिश दलजी कुअंर, थाना कसया, जिला देवरिया के केश्वर कानू के घर दिनांक १-८-५६ ई० को डकैती पड़ी थी और डाकुओं का मुकाबिला करते हुए मोहन, पुत्र नगेश्वर व जई, पुत्र झपसी कानू गोली के शिकार हुए जो उक्त ग्राम के थे ?

श्री कैलाश प्रकाश--केश्वर कानू, ग्राम महेशपुर के घर दिनांक १-८-५६ को डकैती पड़ी थी जिसमें मोहन, ग्राम मछरिया व जई, ग्राम महेशपुर को गोली लगी थी।

*४२--श्री ब्रजनारायण तिवारी-- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या वह उक्त मरे हुए व्यक्तियों के आश्रितों को जीवन निर्वाह के लिये पेन्शन देने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--मोहन तथा जई के आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन मरने वालों के आश्रितों को, जो पेन्शन स्वीकार की गई है, वह कब की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दिनांक की सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या यह पेन्शन प्रत्येक को मासिक दी जायगी और इसकी रकम अलग-अलग कितनी है ?

श्री कैलाश प्रकाश--समरजिया, धर्मपत्नी मोहन को १५ रुपया मासिक, एक को १० रुपया मासिक, एक को ५ रुपया मासिक, एक को ५ रुपया मासिक और जिरिया, धर्मपत्नी जई को १५ रुपया मासिक।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह पेंशन की रकम अब तक उनको दी गयी है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा खयाल है कि दे दी गयी है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या यह रकम जिस दिन से वह मरे हैं उस दिन से दी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आप सूचना दें तो तफसील मंगा लूं। इस वक्त मेरे पास नहीं है।

गोरखपुर जिले में कृषि की शिक्षा के लिए अनुदान

*४३--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के किन-किन स्कूलों में कृषि की पढ़ाई का प्रबन्ध है ? उनको कितना अनुदान दिया गया है और कितनी माहवारी या वार्षिक सहायता दी जाती है ?

श्री कैलाश प्रकाश--गोरखपुर जिले के उन स्कूलों की सूची, जिनमें कृषि की शिक्षा का प्रबन्ध है, संलग्न है तथा उन्हें जो सहायता दी गई है, उनके समक्ष अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १००-१०२ पर)

श्री अब्दुल रऊफ लारी-- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अनुदान दिया गया है उसका आधार क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश--उन स्कूलों की आवश्यकता।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अनुदानों में इतनी विषमता होने का क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश---इन स्कूलों के कृषि फार्म हैं, जैसा कि पहले ही निवेदन कर चुका हूं और उनका क्षेत्रफल अलहदा-अलहदा है। उनकी अलग-अलग आवश्यकतायें हैं। तो जिस तरह की उनकी आवश्यकतायें होती हैं उसी के अनुसार उनको अनुदान और सहायता देने का प्रयत्न किया जाता है।

*४४---**श्री यमुना सिंह**---[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४५---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

३ वर्ष से अधिक तक काम करने वाले जेल विभाग के डाक्टर

*४६---**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---क्या सुरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जेल विभाग में ऐसे कितने डाक्टर हैं जो ३ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---२१।

श्री गौरीशंकर राय---क्या समाज सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्य आदि के संबंध में क्या कोई नियम है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां। जो पी० एम० एस० (१) हैं, वह दो साल तक के लिये हैं और उनके नियम अब तब्दील हो गये है कि पी० एम० एस० (२) भी दो साल के लिये रहेंगे।

श्री गौरीशंकर राय---फिर यह तीन साल से अधिक तक २१ आदमी क्यों काम करते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---आदमियों की कमी की वजह से ऐसा हुआ। इनमें से ७ का तबादला दरपेश है और उसके बाद १४ आदमियों के लिये भी विचार होगा।

*४७---**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)---[नवें गुरुवार को प्रश्न संख्या १२१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

जालौन जिला बोर्ड के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*४८---**राजा वीरेन्द्र शाह**---क्या सरकार को ज्ञात है कि जालौन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने पिछले कई महीनों से अपने अधीन स्कूलों के अध्यापकों को उनका मासिक वेतन नहीं दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश---इन अध्यापकों का वेतन गत तीन माह अर्थात् नवम्बर, १९५७ से जनवरी, १९५८ तक का नहीं दिया गया है।

परिषद् को १९५७-५८ में देय शिक्षा सम्बन्धी अनुदान की तृतीय किस्त की धनराशि, महासंख्यानक की स्वीकृति (au.hcrity) प्राप्त न होने के कारण, प्राप्त नहीं हुई है।

*४९---**राजा वीरेन्द्र शाह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने अध्यापक हैं और उन्हें कितने महीनों से अपना वेतन नहीं मिल रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश---ऐसे ९२२ अध्यापक हैं। उन्हें गत ३ माह अर्थात् नवम्बर, १९५७ से जनवरी, १९५८ तक का वेतन नहीं मिला।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या यह सही है कि इस ग्रान्ट के न मिलने के कारण इन गरीब ग्रध्यापकों को तनख्वाह देने में देरी होती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, जो सरकारी सहायता दी जाती है वह तो प्रायः समय से दी जाती है। इस जिला बोर्ड के साथ एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी। तृतीय किस्त जो दी जाती है, वह एक रूप में पत्र जिला बोर्ड से प्राप्त होने के बाद दी जाती है, जो १५ जुलाई तक सरकार के पास ग्रा जाना चाहिये। इस बोर्ड को ६ बार स्मरण कराया गया ग्रौर वह उसने नहीं भेजा। वह पत्र यहां दिसम्बर में ग्राया इसलिये तृतीय किस्त मिलने में उनको देरी हुई। प्रायः ऐसा नहीं होता।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या यह सही है कि जिला जालौन के बोर्ड में मास्टरों को हर तीसरे महीने की तनख्वाह दी जाती है ग्रौर उसका कारण यह है कि उनसे एक विशेष चन्दा लिया जाता है ग्रौर इसलिये उनको हेडक्वार्टर पर बुला कर तनख्वाह दी जाती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। शायद ऐसा होता हो ग्रौर चन्दा लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

छोटे बालकों में बीड़ी पीने की ग्रादत को रोकने का सुझाव

*५०—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार प्रान्त के प्रत्येक जिले में छोटे-छोटे बच्चों में बीड़ी-पीने की ग्रादत को रोकने के बारे में कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, १९५१ के उत्तर प्रदेश बालक ग्रधिनियम में बालकों में बीड़ी पीने की ग्रादत पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है। उक्त ग्रधिनियम को राज्य में धीरे-धीरे लागू करने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या समाज सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्रधिनियम प्रदेश के किन-किन जिलों में इस समय लागू है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस वक्त बनारस ग्रौर ग्रागरे में, इसके कुछ स्टेजेज शुरू हुए हैं। ग्रभी पूरे तौर से वह हो नहीं सकता है।

श्री मुक्तिनाथ राय—निकट भविष्य में यह योजना किन-किन जिलों में लागू करने का विचार है ?

श्री मुजफ्फर हसन—पैसे की कमी से देर हो रही है, चाहते तो हैं जल्दी से जल्दी जारी करना।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—बीड़ी न पीने के सिलसिले में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं, जैसा कि उत्तर में कहा गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह कानून ग्रभी पूरे तौर से रायज ही नहीं हुग्रा है। लेकिन फिर भी, सामाजिक विभाग की ग्रोर से कमेटियों को हिदायत की गई है कि बीड़ी न पीने के लिये वह प्रचार करें ग्रौर लोगों को बतावें कि इस से क्या नुकसान हैं।

श्री गौरीशंकर राय—जिन जिलों में लागू किया गया है, कौन स्टेजेज में लागू किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—कुछ तो बच्चों के खेल कूद का इन्तजाम किया गया। वहां मोहल्ला कमेटियां बनायी गयीं हैं। कुछ क्लीनिक वगैरह कायम करने का इस बजट में प्रावीजन है। पूरे तौर से लागू होने में कुछ समय लगेगा।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)— क्या इसके सम्बन्ध में कोई फिल्म तैयार कराने का सरकार का इरादा है?

श्री मुजफ्फर हसन—फिलहाल तो नहीं है।

बदायूं जिले में कम्प्लेंट आफिसर के काम में असन्तोष की शिकायत

*५१—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं में १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में अलग-अलग ऐन्टीकरप्शन आफिसर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, कम्प्लेन्ट्स ने कितने प्रार्थना-पत्रों की जांच की, कितनों को सही पाया और कितने मामले नहीं साबित हुए? जो मामले सही पाये गये उनमें क्या सजा दी गयी?

श्री कैलाश प्रकाश— वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०३ पर)

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार ५६-५७ में जिला बदायूं में जांच की हुई शिकायतों में से ८० फीसदी शिकायतों के गलत साबित होने की वजह से इस अफसर की कार्य-पद्धति की विशेष जांच करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार को मालूम है कि जिला की ऐन्टी-करप्शन कमेटी ने इस बारे में असन्तोष के प्रस्ताव पास कर के उसके पास भेजे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवराज सिंह यादव—ऐन्टी करप्शन कमेटी के प्रस्ताव की सरकार के पास आने की क्या व्यवस्था है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कमेटी स्वयं भेज सकती है, कलेक्टर को एस० पी० या आई० जी० को भेज सकती है।

*५२—श्री शिवराज सिंह यादव—[हटा दिया गया।]

ग्राम सभा के प्रधानों को अस्त्रों के लिये लाइसेन्स देने का आदेश

*५३—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसमें ग्राम सभाओं को अस्त्र लाइसेंस देने की व्यवस्था हो?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है, किन्तु ग्राम सभा के प्रधानों आदि को सरलता पूर्वक लाइसेंस दिये जाने के लिये आदेश पहले से वर्तमान हैं।

*५४—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने कभी केन्द्रीय सरकार से अस्त्र सम्बन्धी कानून को रद्द करने का सुझाव दिया है? यदि दिया है, तो कब?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरदोई में निर्धन छात्र फण्ड से सहायता

*५५—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार हरदोई राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निर्धन छात्र फंड से सहायता पाने वाले छात्रों की सूची तथा उनके गार्जियन्स का नाम और सम्बन्ध, उनकी आर्थिक स्थिति सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०४ पर)

*५६—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि निर्धन छात्र फंड से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी सहायता पा रहे हैं जो पिछले वर्षों में फेल हो गये थे, जिनमें से कुछ के guardians marriage officers हैं और कुछ के पास बन्दूक और revolvers के लाइसेंस हैं तथा Agriculture farms हैं ? ऐसे भी छात्र हैं जिन्हें School Fee Concession Committee ने अच्छी हैसियत होने के कारण Fee concession देना स्वीकार नहीं किया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—हां, गत वर्षों के अनुत्तीर्ण दो छात्र ऐसे हैं जिन्हें विद्यार्थी सहायक समिति ने उनकी आर्थिक स्थिति विषम समझ कर निर्धन छात्र कोष से सहायता प्रदान की है। यह कोष पूर्ण रूपेण बालकों का है और इससे विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार एक छात्र के अभिभावक Marriage officer हैं जो अवैतनिक पदाधिकारी हैं एवं एक अभिभावक के पास रिवाल्वर का लाइसेन्स है। एग्रिकल्चरल फार्म किसी के पास नहीं है।

एक छात्र ऐसा भी है जो गत वर्ष फेल नहीं हुआ था और जिसे विद्यालय परामर्श–दात्री समिति ने शुल्क मुक्ति देना स्वीकार नहीं किया। परन्तु उसे विद्यार्थी सहायक समिति उसकी आर्थिक दशा देख कर २।४ मासिक सहायता दे रही है।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि विद्यार्थी सहायक समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसका विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है और न वह इसे कोई पैसा देते हैं। वहीं संस्था में छात्रों की सहायता के लिये वे कमेटी या एसोशियेशन बना लेते हैं। जो लोग बनाते हैं वही इसका प्रबन्ध करते हैं। हर संस्था में होती हो, ऐसी व्यवस्था नहीं है।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या प्रदेश के प्रत्येक जिले में ये समितियां अलग-अलग बनी हैं और उनके अलग-अलग नियम हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एडेड संस्थाओं में सहायक समितियां होंगी और क्या तफ़सील है, इसस सरकार स कोई सम्बन्ध नहीं है और न इसकी कोई सूचना हमारे पास है।

*५७—श्री मोहनलाल वर्मा—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

शिक्षा विभाग, नगरपालिका लखनऊ, के असिस्टेंट अटेन्डेन्स आफिसर, श्री अहमद हुसैन द्वारा 'हुसैन दिवस' पर चन्दा वसूल करने की शिकायत

*५८—श्री रघुनाथसहाय यादव (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि शिक्षा विभाग, नगरपालिका लखनऊ, के असिस्टेंट अटेन्डेन्स आफिसर, श्री अहमद हुसैन ने सन् १९५७ में "हुसैन दिवस" के अवसर पर अध्यापकों और कर्मचारियों से जबरिया चन्दा वसूल किया ? यदि हां, तो सरकार उक्त अफसर के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह ठीक नहीं है कि श्री अहमद हुसैन ने कोई ऐसा चन्दा वसूल किया था। यह प्रश्न नहीं उठता।

*५९—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले के कुमटौ ग्रामवासी श्री द्वारिका का गायब होना

*६०—श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बाराबंकी, थाना कोठी, ग्राम कुमटौ, में जुलाई, १९५७ में एक अहीर का कत्ल हुआ था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं। ऐसा कोई कत्ल नहीं हुआ। १७ जुलाई, १९५७ को एक रिपोर्ट थाना कोठी पर श्री मोहन ने की कि उनका भाई श्री द्वारिका सुबह ४ बजे से गायब हैं। इसकी पूरी छानबीन पुलिस ने की, परन्तु किसी अपराध किये जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस कारण जांच बन्द कर दी गई।

श्री जंग बहादुर वर्मा—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गायब होने का मुख्य कारण क्या है?

श्री कैलाश प्रकाश—इसका कुछ पता नहीं है। वह गायब हो गया है, यह बात है।

श्री जंग बहादुर वर्मा—गायब आदमी की उम्र क्या थी?

श्री कैलाश प्रकाश—३० वर्ष की थी और स्वयं इनका कोई परिवार नहीं है। उस गांव में साधारणतया यह दुश्चरित्र व्यक्ति समझे जाते थे।

ग्राम मऊ, जिला लखनऊ में पुलिस द्वारा एक दर्जी को पीटने की शिकायत

*६१—श्री भजन लाल (जिला इटावा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि थाना मोहनलाल गंज, लखनऊ के जिला अन्तर्गत ग्राम मऊ में पुलिस ने एक दर्जी को अगस्त, १९५७ में बुरी तरह मारा था और घायल किया था?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं।

*६२—श्री भजन लाल—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस घटना की पूरी रिपोर्ट पुलिस कप्तान को भेजी गई?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं।

*६३—श्री भजन लाल—यदि हां, तो सरकार ने वहां की पुलिस के खिलाफ कौन सा कदम उठाया?

श्री कैलाश प्रकाश—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री भजन लाल—क्या यह सही है कि थाना मोहनलाल गंज, लखनऊ के अन्तर्गत ग्रामों के निकट एक गांव में एक व्यक्ति की मौत पुलिस दरोगा की मार से हुई जिसके फल-स्वरूप सेशन अदालत से सजा हुई। इसी संबंध में यह दर्जी गवाही देने जा रहा था, जिसके संबंध में पुलिस की मार पड़ी?

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—इस दरख्वास्त की जांच किसने की? क्या जांच करने वाले अफसर ने उस दर्जी के भी बयान लिये?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी कोई शिकायती दरख्वास्त नहीं आयी है ।

*६४--श्री वंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६५-६६--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

इटावा जिलान्तर्गत ग्राम पतौरा के नगला भोगा ताल में डकैती की गलत सूचना देने पर धारा १८२ का मुकदमा

*६७--श्री भुवनेश भूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना जशवन्त नगर के ग्राम पतौरा के सभापति ने माह जुलाई व अगस्त, १९५७ में थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उनके यहां डकैती पड़ रही है और इसकी सूचना एस० पी० इटावा को फोन द्वारा भी दी ?

श्री कैलाश प्रकाश--ग्राम पतौरा के सभापति ने कथित महीनों में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई कि उनके यहां डकैती पड़ रही है और न इसकी सूचना उन्होंने एस० पी० को दी । हां, माह जुलाई, १९५७ में ग्राम पतौरा के नगला भोगा ताल में डकैती होने की सूचना एक अन्य व्यक्ति ने फोन द्वारा एस० पी० को भिजवाई ।

*६८--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त डकैती के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश--छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि कोई डकैती नहीं पड़ी थी बल्कि दो पार्टियों में भूमि संबंधी झगड़ा हो गया था । दोनों पार्टियों के विरुद्ध धारा १४७, ३२३, ३५२, ४४७, ४२६ भारतीय दण्ड विधि के अन्तर्गत मुकदमें दायर किये गये और जिस पार्टी ने डकैती की गलत सूचना दी थी उसके विरुद्ध धारा १८२ भारतीय दण्ड विधि के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि जिस व्यक्ति के ऊपर धारा १८२ चलायी गयी वह किस माह में चलायी गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जब किसी अन्य व्यक्ति ने पुलिस के कप्तान को टेलीफोन किया तो क्या पुलिस के कप्तान ने स्वयं जांच की या दूसरे अफसर द्वारा जांच करायी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रात के डेढ़ बजे स्वयं एस० पी० वहां पहुंचे अपनी पुलिस की पार्टी के साथ ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या एस० पी० महोदय घटनास्थल पर जांच कर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लाये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस समय तो सूचना नहीं है, लेकिन मुमकिन है गिरफ्तार कर लाये हों ।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह झगड़ा सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस क पहुंचने के पहले हो चूका था या बाद को हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो साधारण सी बात है, पहले ही झगड़ा हुआ होगा तभी तो उन्होंने देखा कि दो पार्टियों में झगड़ा है और इस आपस के विरोध की वजह से ही रिपोर्ट कर दी गई जो झूठी थी।

*६९---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद जिले के कटोहला ग्राम की डकैती में श्री गैताल की गोली से मृत्यु

*७०---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को सूचना मिली है कि इलाहाबाद जिले के थाना पूरामुफ्ती, ग्राम कटोहला में गत २५-२६ अगस्त, १९५७ की रात में एक बन्द घर में गैताल नामक एक कुम्हार की रहस्यपूर्ण हत्या की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---घटना इस प्रकार है कि थाना पूरामुफ्ती, ग्राम कटोहला के निवासी श्री मुहम्मद याकूब के घर दिनांक २५-२६ अगस्त, १९५७ को एक डकैती पड़ी। इसमें डाकुओं ने गोलियां चलाईं जिसके फलस्वरूप गैताल नामक व्यक्ति को गहरी चोटें आईं और वह घटनास्थल पर ही मर गया।

*७१---श्री झारखंडेराय---यदि हां, तो क्या गृह मंत्री इस हत्या के रहस्यों पर सदन में पूर्ण प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---प्राप्त सूचना के आधार पर हत्या का कोई प्रश्न नहीं उठता। विवेचना के फलस्वरूप १४ डाकुओं की गिरफ्तारी हुई और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि डकैती में डाकू कुछ माल भी ले गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, सामान लूटने की रिपोर्ट है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में डकैती की रिपोर्ट लिखी गयी है या विशुद्ध हत्या की रिपोर्ट लिखी गयी है ?

श्री अध्यक्ष---यह अदालत के सामने मामला है, तो फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट का वहीं जिक्र होगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

राज्य की जेलों में सी० आर० पी० सी० की दफा १०९ के बन्दी

*७२---श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रान्त की जेलों में कितने व्यक्ति दफा १०९ सी० आर० पी० सी० में बन्द हैं ? कितनों को सजा हो चुकी है और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---३१ जनवरी, १९५८ को प्रान्त की जेलों में ऐसे बन्दियों की संख्या २,७०२ थी। इनमें से १,९०० को सजा हो चुकी थी तथा ८०२ बन्दियों के मामले बिचाराधीन थे।

श्री पब्बरराम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस दफा की वजह से बहुत से ऐसे निर्धन व्यक्ति जिनके पास समुचित जीविका नहीं है, वे इसके आये दिन शिकार होते रहते हैं और उनकी नागरिकता खतरे में है।

श्री मुजफ्फर हसन---यह तो राय का सवाल है।

श्री पब्बर राम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको यह जानकारी है कि जेलों में जब भंगियों की आवश्यकता होती है, तो पूर्वी जिलों में मुसहर कही जाने वाली जाति के लोग तुरंत पकड़ कर दफा १०९ में बन्द कर दिये जाते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह वाकया नहीं है।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दफा १०९ के अन्तर्गत जो कैदी विचाराधीन हैं, वे कितने दिनों से जेलखाने के अन्दर हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---उनमें २ ऐसे हैं, जो ६ महीने से जायद के हैं।

*७३---**श्री राम चन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---[सातवें शुक्रवार को प्रश्न संख्या ८२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*७४---**श्री राम स्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)---[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७५---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[नवें गुरुवार को प्रश्न संख्या १३८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बिजनौर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*७७---**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बिजनौर में कितने व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक पीड़ित सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र सरकार के पास अब तक आये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पेंशन, के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि (३०-९-५७) तक बिजनौर जिले के कुल ११६ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र राजनीतिक पीड़ित सहायतार्थ प्राप्त हुए थे।

*७८---**श्रीमती चन्द्रावती** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह भी सूचित करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने व्यक्तियों को राजनीतिक पीड़ित सहायता अब तक स्वीकृत हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उक्त प्रार्थना-पत्रों में से २४ व्यक्तियों को मासिक पेंशन व ७ व्यक्तियों को एकमुश्त धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

अलीगढ़ जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*७९---**श्री अनन्त राम वर्मा** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---५५ को।

*८०---**श्री अनन्त राम वर्मा** (अनुपस्थित)---[हटा दिया गया।]

*८१---**श्री अनन्त राम वर्मा** (अनुपस्थित)---[ग्यारहवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ५० अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वाराणसी तहसील के पिण्डरा स्थान में कन्या पाठशाला की आवश्यकता

*८२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह वाराणसी तहसील में पिंडरा स्थान में कन्या पाठशाला खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं ।

श्री ऊदल—क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर कन्या पाठशाला नहीं है और वहां की आवश्यकता को देखते हुए वे कन्या पाठशाला खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कन्या पाठशाला का जहां तक संबंध है, जूनियर हाई स्कूल तक तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खोलना चाहिये, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही उसे खोलते हैं । अब ऊदल जी यह चाहते हैं कि मैं कह दूं तो मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है और यदि इसे खोलने का प्रयास किया जायगा तो मैं अवश्य उसमें कुछ सहायता करूंगा ।

*८३–८४—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८५–८६—श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

भूतपूर्व टेहरी तथा काशी राज्यों के संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन-क्रम तथा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट बनाने के लिये विशेष अधिकारी की नियुक्ति

*८७—श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूतपूर्व टेहरी तथा काशी राज्यों की राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों तथा इंग्लिश अध्यापकों के वेतन-क्रम क्या हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—भूतपूर्व टेहरी तथा काशी राज्यों की राजकीय संस्कृत पाठशालाओं में प्रधान अध्यापकों का कोई पद स्वीकृत नहीं है । पाठशाला के सहायक अध्यापकों में जो ज्येष्ठ अध्यापक होता है वही पाठशाला का इन्चार्ज अध्यापक होता है । केवल श्री बद्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, टेहरी (टेहरी-गढ़वाल) को छोड़कर जिसमें सहायक अध्यापकों के दो पद ६०–२–७०–द० रो० –३–१०० रुपये के वेतन-क्रम में हैं । इन पाठशालाओं के सभी सहायक अध्यापकों का वेतन-क्रम ७५–५–१२०–द० रो०–८–२०० रुपया है । इंग्लिश अध्यापकों के पदों का वेतन-क्रम १२०–८–२००–द० रो० –१०–३०० रुपया है ।

*८८—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि संस्कृत विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट आदि बनाने के लिये विशेष आफिसर की नियुक्ति कब हुई थी और उसका कार्य कब तक समाप्त होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापन में प्रारम्भिक कार्य करने के हेतु एक विशेष आफिसर की नियुक्ति ११–९–५६ को हुई थी । आशा है उसका कार्य लगभग अप्रैल, १९५८ के अन्त तक समाप्त होगा ।

श्री दीन दयालु शास्त्री—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी और काशी की संस्कृत पाठशालाओं में प्रधानाध्यापक का पद कब तक कायम होगा और वेतन-क्रम उनका क्या होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—टेहरी-गढ़वाल के सभी स्कूलों का मामला सरकार के विचाराधीन है, कई प्रश्न हैं और एक प्रश्न यह भी है । आशा है कि शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय हो जायगा ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि काशी संस्कृत विद्यालय के लिये जो विशेषाधिकारी नियुक्त किये गये थे उन्होंने अपना काम दिसम्बर में समाप्त कर दिया था और अब उनके लिये कोई काम नहीं रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्होंने दिसम्बर में काम समाप्त कर दिया था, लेकिन यह देखकर कि निकट भविष्य में ही उस विश्वविद्यालय की केवल रूपरेखा ही नहीं रहेगी वरन् वह कार्यान्वित भी हो जायगी, इसलिये यह आवश्यक हुआ कि उनको रखा जाय और अप्रैल से शायद वह रहेंगे ।

गुरूकुल कांगड़ी में राजनीतिक पीड़ित छात्रों को सहायता

*८९—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ रहे राजनीतिक पीड़ित छात्रों को आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—आर्थिक सहायता दी जाती है । प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले में कुछ लोगों को धमकी भरे पत्र

*९०—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वर्ष में गोरखपुर जिले में कितने व्यक्तियों को धमकी भरे पत्र मिले जिनकी रिपोर्ट पुलिस में की गई तथा कितने डाके पड़े उनमें कितने धन तथा कितनी जानों की हानि हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५८ में अब तक केवल तीन व्यक्तियों को धमकी भरे पत्र मिले । डाका कहीं नहीं पड़ा । प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता ।

*९१—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त डकैतियों के संबंध में कितनी गिरफ्तारियां हुईं तथा कितनी डकैतियों का पता लगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में विभिन्न घटनाओं के संबंध में चालान

*९२—श्री शिववचन राव (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ ई० में देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील के विभिन्न थानों में कुल कितनी चोरी, डकैती, आगजनी तथा हत्या की घटनायें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कथित वर्ष में देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील के विभिन्न थानों में कुल १५७ चोरियां, ९ डकैतियां , २ आगजनियां तथा ७ हत्यायें हुई हैं ।

*९३—श्री शिववचन राव (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला अन्तर्गत लार, बरहज, खामपार और खुखुन्दू थानों में १९५७ ई० में कुल कितने आदमियों का धारा १०९ और ११० जाब्ता फौजदारी के अधीन चालान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना इस प्रकार है :—

नाम थाना		धारा १०९ जाब्ता फौजदारी के अधीन चालान किये गये व्यक्तियों की संख्या	धारा ११० जाब्ता फौजदारी के अधीन चालान किये गये व्यक्तियों की संख्या
लार	..	११	११
बरहज	..	४	१०
खामपार	..	१४	२०
खुखुन्दू	..	१३	१२

जौनपुर जिलान्तर्गत कत्ल और डकैतियां

*९४—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में १९५६–५७ में कितने कत्ल और डकैतियां प्रत्येक थाने में हुई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०५ पर)

श्री रामसमझावन—क्या सरकार बतायेगी कि किराकत में जो सन् ५७ में डकैतियां हुई हैं उनमें से कितनी का पता लगाने में पुलिस समर्थ हुई है ? और यदि नहीं हुई तो उसका कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किराकत में २ डकैतियां सन् ५७ में हुई हैं और यदि उनका पुलिस पता नहीं लगा पाई है तो इसका कारण तो बताना मुश्किल है, पता नहीं लगा पाई, यही कारण है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न ९४ में जो उत्तर सम्मानित सदस्य को दिया गया है उसे सम्मानित सदन को भी बताने की कृपा की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं इतने ब्योरे के प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर—जो तालिका दी गयी है वह केवल माननीय सदस्य को ही दी गयी है । यदि सदन उसकी जानकारी चाहे तो कराई जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष—आप माननीय सदस्य से लेकर उसे देख लें ।

जौनपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*९५—श्री रामसमझावन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन दी जाती है और ११–९–५७ को कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—जौनपुर जिले में इस समय ५९ राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी जाती है । यह सूचना कि ११–९–५७ को कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे, देना सम्भव नहीं है क्योंकि उस तिथि को इस आशय की कोई गणना नहीं की गयी थी ।

श्री रामसमझावन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन पेन्शन पाने वालों को अधिक से अधिक और कम से कम क्या रकम दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूची तो इस समय नहीं है परन्तु अधिक से अधिक ७५ और कम से कम २० रुपया दिये जाते हैं।

*९६—श्री झारखंडेराय—[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा जिले में चौरा व दोफाड़ जूनियर हाई स्कूलों को आर्थिक सहायता

*९७—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में स्थित चौरा व दोफाड़ जूनियर हाई स्कूलों को सन् १९५० से आज तक अलग-अलग कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष सरकार द्वारा उन्हें दी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—चौरा जूनियर हाई स्कूल को १९५०–५१, १९५१–५२ एवं १९५२–५३ में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी। १९५३–५४ से इस संस्था को ५०० रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

दोफाड़ जूनियर हाई स्कूल को गत वर्ष (५६–५७) तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी। इस वर्ष (१९५७–५८) में १०० रुपये का आवर्तक अनुदान तथा ३,५०० रुपये का अनावर्तक अनुदान (२,००० रुपये भवन, ५०० रुपये उपकरण एवं सज्जा, १,००० रुपये जनरल साइंस के सामान हेतु) दिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि इन स्कूलों को कम अनुदान दिया गया है, इनका अनुदान बढ़ाया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रस्ताव तो सरकार के हमेशा ही विचाराधीन रहता है क्योंकि स्कूलों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता रहती है और उसकी प्रार्थना भी आती रहती है, लेकिन जितना धन उपलब्ध होता है उसी को तकसीम किया जाता है।

अल्मोड़ा का 'कुमायूं राजपूत' साप्ताहिक पत्र

*९८—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या अल्मोड़ा में एक "कुमायूं राजपूत" साप्ताहिक पत्र है जो उदयाचल प्रेस से निकलता है ? पिछले कितने सालों से यह पत्र निकलता है और इसे सरकारी विज्ञापन कब से दिये जाते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—हां, अल्मोड़ा से "कुमाऊं राजपूत" साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता है जो उदयाचल प्रेस, अल्मोड़ा में छपता है। इस पत्र का प्रकाशन पिछले लगभग १० साल से हो रहा है। इस पत्र को सूचना विभाग से प्रसारित पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित डिस्प्ले विज्ञापन वित्तीय वर्ष १९५५–५६ से दिये जाते हैं। और आकस्मिक विज्ञापन जैसे टेन्डर नोटिस, नीलाम नोटिस, आदि पिछले चार पांच वर्षों से दिये जाते हैं।

अल्मोड़ा जिला बोर्ड को भवन निर्माणार्थ अनुदान

*९९—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, अल्मोड़ा का वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्कूलों के भवन निर्माण व जीर्णोद्धार के लिये कितना रुपया दिया गया तथा उसका क्या प्रयोग बोर्ड ने किया ?

श्री कैलाशप्रकाश—१,३१,००० रुपया दिया गया है।

बोर्ड अनुदान के उपयोग करने का अभी प्रबन्ध कर रहा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बावजूद यहां से बराबर अनुदान मिलने के जिला बोर्ड के अधिकांश स्कूल बिना मरम्मत के हैं और उनमें से कई टूट गए हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो हो सकता है कि बहुत से स्कूलों के भवनों की वहां कमी हो, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड के पास इतना धन न हो। किन्तु जो अनुदान यहां से दिया जाता है वह तो प्रयोग में लाया जाता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बोर्ड को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि बारामंडल के स्कूल जो बिलकुल टूट गए हैं और बावजूद लोगों की प्रार्थना के बोर्ड मरम्मत नहीं कर रहा है तो मेरे इस सवाल को सूचना समझ कर के....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप कृपा करके बैठें। किसी व्यक्ति के विषय में या किसी एक गांव के विषय में, या किसी जिला बोर्ड के स्कूल के बारे में आप कोई सुझाव मंत्री जी को नहीं दे सकते।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि यह जो रुपया दिया गया है उसका उपयोग जिला बोर्ड ने किन-किन इमारतों पर किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, यह जो रुपया यहां से दिया गया है यह नवम्बर और दिसम्बर के महीने में स्वीकृत हुआ है और अभी इसका उपयोग करने की अवधि काफी शेष है। वह उसका उपयोग करने का प्रबन्ध कर रहे हैं और उस अवधि के अन्दर वह उसका उपयोग कर सकेंगे। तो अभी इसकी कोई सूचना मंगवायी नहीं जा सकती कि उन्होंने कहां-कहां इसका उपयोग किया है।

*१००-१०१—श्री मोतीलाल अवस्थी—[तेरहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १६-१७ से निर्धारित किये गये।]

सर्वश्री छज्जूराम व सांवलिया सत्याग्रहियों की मृत्यु

*१०२—श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्री छज्जू नामक सत्याग्रही मेरठ जिला कारागार से किस तारीख को रिहा किये गये ?

श्री मुज़फ़्फ़र हसन—श्री छज्जूराम जिला जेल मेरठ से २८-११-१९५७ को रिहा किये गये।

*१०३—श्री रामायणराय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्री छज्जू नामक सत्याग्रही मेरठ जेल में कब से बीमार थे तथा उनकी क्या चिकित्सा की गयी ?

श्री मुज़फ़्फ़र हसन—श्री छज्जूराम २०-११-१९५७ को भारतीय दंड संहिता (I. P. C.) की धारा १८८ के अन्तर्गत विचाराधीन बन्दी की हैसियत से दाखिल हुये और उसी दिन उनकी स्वास्थ्य परीक्षा हुई। जिससे ज्ञात हुआ कि वे अस्वस्थ थे इसलिये उनको उसी दिन जेल के अस्पताल में भरती किया गया जहां असिस्टेंट मेडिकल आफिसर द्वारा उनका उचित इलाज किया गया।

*१०४—श्री रामायणराय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्री छज्जू तथा सांवलिया नामक सत्याग्रही की मृत्यु कब और किस कारण हुई है ?

श्री मुज़फ़्फ़र हसन—श्री छज्जू राम २८-११-१९५७ को जेल से रिहा कर दिये गये थे और उसके बाद उनकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री सांवलिया की मृत्यु जेल में ६-१-१९५८ की रात के १० बजे जिगर की गलन (Cirrhosis of liver) एसाइटिस (Ascitis) शरीर में सूजन व हृदय की गति रुक जाने से हुई।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ९९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१०५--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--[स्थगित किया गया।]

सीतापुर जिला जेल में राजनीतिक बन्दियों का रेकार्ड

*१०६--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या समाज सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल, सीतापुर का सन् १९४० से १९४५ तक का राजनीतिक बन्दियों का रिकार्ड अप्राप्य है ?

श्री मुजफ्फर हसन--इजरबंद बन्दियों को छोड़ कर सभी राजनीतिक बन्दियों का रिकार्ड मौजूद है।

*१०७--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--[हटा दिया गया।]

शाहजहांपुर के थाना कोतवाली के अन्तर्गत श्री मन्नी लाल की शराब की दुकान के हाते में कुएं से लाश का निकाला जाना

*१०८--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को यह मालूम है कि जुलाई, १९५७ में शाहजहांपुर की थाना कोतवाली क अन्तर्गत श्री राधेलाल मन्नीलाल के मकान अथवा दूकान से एक अनपहचान व्यक्ति की सड़ी हुई लाश बरामद हुई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, १७ जुलाई, १९५७ को मन्नीलाल की शराब की दूकान के अहाते में कुयें से एक सड़ती हुई लाश मिली थी।

*१०९--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह किसकी लाश थी और उसकी हत्या किसने की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लाश का हुलिया नन्हे नाई नामक व्यक्ति से मिलता पाया गया है। चूंकि मृत्यु का कारण निश्चित न हो सका अतः यह निष्कर्ष न निकल पाया कि मामला हत्या का था।

*११०--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस हत्या की जांच अभी जारी है अथवा समाप्त हो गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जांच के पश्चात् १३-१२-५७ को इस मामले की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

*१११-११३--श्री अब्दुल रऊफ लारी--[नवें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या १५३-१५५ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

बस्ती जिला बोर्ड को इस्लामिया स्कूलों व हिन्दू पाठशालाओं के लिये अनुदान न मिलना

*११४--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला बोर्ड को इस्लामिया स्कूलों और हिन्दू पाठशालाओं को अनुदान देने के लिये सरकार ने कितना धन १९५६-५७ के वर्ष में दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला बोर्ड, बस्ती को इस्लामिया स्कूलों और हिन्दू पाठशालाओं केहेतु १९५६-५७ में अलग से कोई अनुदान नहीं दिया गया था।

*११५-११७--श्री वासुदेव दीक्षित (जिला कानपुर)--[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में शाहगंज के एस० ओ० सी० की कार से मुहम्मद रजी छात्र की मृत्यु

*११८—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि तारीख १८-१-१९५८ को जौनपुर जिले के शाहगंज के एस० ओ० सी० की कार से स्कूल जाते हुये मुहम्मद रजी नामक छात्र की मृत्यु हो गई

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*११९—श्री माताप्रसाद—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त दुर्घटना के समय कार का चालक कौन था? क्या यह सही है कि उसके पास लाइसेंस भी नहीं था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दुर्घटना के समय उस कार के चालक श्री रहमत थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था।

*१२०—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—[नवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १३९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*१२१-१२२—श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)—[आठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२७-१२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१२३—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बदायूं जिले की सहसवान नगरपालिका में फैजेआम और इस्लामिया अरेबिक स्कूलों से संबंधित प्राइमरी स्कूलों को सहायता न मिलनी

*१२४—श्री टीकाराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सहसवान नगरपालिका (जिला बदायूं) फैजआम स्कूल और इस्लामिया अरेबिक स्कूलों से सम्बन्धित प्राइमरी स्कूलों को पिछले तीन वर्षों में कितनी वार्षिक सहायता देती रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ नहीं।

*१२५—श्री टीकाराम—क्या सहसवान नगरपालिका के सरकारी प्रबन्ध में आने के पश्चात् नगरपालिका की तरफ से उपर्युक्त दोनों स्कूलों को कोई सहायता दी गई है या नहीं? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहीं।

नगरपालिका, सहसवान की शोचनीय आर्थिक दशा के कारण।

मुजफ्फरनगर गन हाउस में मुआयने के समय एक रिवाल्वर की कमी

*१२६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि मेसर्स मुजफ्फरनगर गन हाउस से, जिसके प्रोप्राइटर्स श्री मुहम्मद मासोन व वरुण देव आदि हैं, अगस्त मास, १९५७ में एक रिवाल्वर सर्किल इन्स्पेक्टर के मुआयना करते समय गायब पाया गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इस सम्बन्ध में अभी जांच की जा रही है।

*१२७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्किल इन्स्पेक्टर ने नियमानुसार अपना वार्षिक मुआयना किया था अथवा किसी शिकायत के आधार पर?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नियमानुसार वार्षिक मुआयना किया था, शिकायत पर नहीं।

*१२८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या यह सही है कि गायब शुदा रिवाल्वर कुछ समय पश्चात् फिर मिल गया ? यदि हां, तो कैसे और कहां से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । फर्म के एक साझेदार, श्री वरुणदेव गुप्ता ने बतलाया है कि मुआयने के समय मरम्मत करने वाला मिस्त्री दूकान पर नहीं था और जब वह वापस आया तो उसने बतलाया कि रिवाल्वर उसकी अल्मारी में था और उसे उसने मुआयने से पहले मरम्मत करने के लिये स्टाक से निकाला था ।

जौनपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों की विधवाओं को पेन्शन

*१२९—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले से राजनीतिक पीड़ितों के जो प्रार्थना-पत्र पेंशन के सम्बन्ध में आये हैं उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र राजनीतिक पीड़ितों की विधवाओं के हैं और अब तक ऐसी कितनी विधवाओं को पेन्शन दी जा चुकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विशेष पदाधिकारी, राजनीतिक पीड़ित, के पास प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की अंतिम निर्धारित तिथि ३०-९-५७ तक, जौनपुर जिले से राजनीतिक पीड़ितों की विधवाओं के कुल ४४ प्रार्थना-पत्र आर्थिक सहायतार्थ प्राप्त हुए । उनमें से अब तक १२ विधवाओं को पेंशन स्वीकृत की गयी है ।

*१३०—श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में जौनपुर जिले के कुल कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी गई उनमें से कितने दो बार से अधिक जेल गये हैं, कितने दो बार गये हैं और कितने एक बार गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३० को । उनमें से ४ दो बार से अधिक, ८ दो बार तथा १८ एक बार जेल गये हैं ।

महाराजा पाटेश्वरीप्रसादसिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर, जिला गोंडा के अध्यापकों को वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलने में अनियमितता

*१३१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में महाराजा पाटेश्वरीप्रसादसिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर के अध्यापकों का डी० ए० नवम्बर, सन् १९५७ से क्यों काट दिया गया है ? क्या सरकार वहां के अध्यापकों को पुनः डी० ए० दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—धनाभाव के कारण अध्यापकों को महंगाई भत्ता नवम्बर, १९५७ से नहीं दिया जा सका । धन का प्रबन्ध हो जाने पर महंगाई भत्ता दिया जायगा ।

*१३२—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में महाराजा पाटेश्वरीप्रसादसिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर के अध्यापकों को दो-दो तीन-तीन मास का वेतन नहीं मिलता ? क्या सरकार इस त्रुटि को दूर करने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—धनाभाव के कारण कभी-कभी अध्यापकों के वेतन वितरण करने में विलम्ब हो जाता है, किन्तु अध्यापकों का वेतन जनवरी, १९५८ तक का दिया जा चुका है ।

मथुरा जिले में हरप्रसाद डाकू के गिरोह को समाप्त करने वालों को पुरस्कार

*१३३—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा के हरप्रसाद डाकू के गिरोह को समाप्त कराने वाले को क्या पुरस्कार दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में पुलिस कर्मचारियों तथा जनता के आदमियों को कुल रुपया २,२९० इनाम के रूप में दिया गया। साथ ही इनमें से २ व्यक्तियों को रिवाल्वर तथा बन्दूक के लाइसेंस दिये गये।

झांसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन बालिका विद्यालय खोलने के लिये निर्देश

*१३४—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में झांसी जिले के ग्रामों में कितने गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल और कितने अन्य जूनियर हाई स्कूल खोले जाने का आयोजन किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—५ जूनियर हाई स्कूल। बालिका जूनियर हाई स्कूलों की संख्या अलग-अलग निर्धारित नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिक संख्या में बालिकाओं के स्कूल खोलने के लिये निर्देश दिया गया है।

*१३५-१३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

बलिया और देवरिया जिलों में डाकुओं को समाप्त करने के लिये प्रार्थना

[*१३७—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को यह पता है कि डकैतों का एक गैंग विशेषकर बलिया और देवरिया जिले में बहुत सी डकैतियां डाल चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, डाकुओं के एक गिरोह के दो दलों ने सन् १९५७ में बलिया में ५ और देवरिया में १ डकैतियां डाला हैं।

*१३८—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को यह विदित है कि इस गैंग के डकैतों ने कई पुलिस गवाहों को मार डाला है जिसके कारण पुलिस को उनके विरुद्ध गवाह प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, बलिया जिले के ६ व्यक्तियों की जो पुलिस के गवाह थे इस गिरोह के डकैतों द्वारा मारे जाने की सूचना है।

*१३९—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि यह गैंग डकैती डाल कर गंगा और घाघरा नदियों को पार कर के बिहार की ओर चला जाता है जिससे उनको पकड़ने में कठिनाई होती है ? अगर हां, तो क्या सरकार कोई विशेष व्यवस्था करके बिहार और उत्तर प्रदेश की सशस्त्र पुलिस का संयुक्त मोर्चा बनायेगी जिससे डकैतों का प्रभाव हटाया जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सत्य है कि यह दल डकैती डालने के बाद गंगा या घाघरा पार कर बिहार की तरफ चला जाता है, लेकिन इसके विरुद्ध दोनों राज्यों की पुलिस के संयुक्त अभियान की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जो कार्यवाही इस प्रदेश की पुलिस ने व बिहार की पुलिस ने अब तक की उसके फलस्वरूप दल के प्रमुख नेता उत्तिल गोंड और अम्बिका पान्डेय बिहार पुलिस द्वारा १५ मार्च, १९५८ को पकड़े गए और मुठभेड़ में लगी चोटों के कारण मर गये। शेष डाकू दल को पकड़ने के लिये पुलिस प्रयत्न कर रही है।

*१४०--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४१--१४३--श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)--[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गांधी स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरदह, जिला आजमगढ़ को अनुदान

*१४४--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के उन किन-किन हायर सेकेन्डरी स्कूलों को ग्रान्ट्स दी जा चुकी हैं जिन्होंने सन् १९५५ में मान्यता प्राप्त की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--केवल एक विद्यालय, गांधी स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरदह को ।

पटेल मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल, अतरौलिया, जिला आजमगढ़ को अनुदान न मिलना

*१४५--श्री बुलाकीराम--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटेल मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल, अतरौलिया, जिला आजमगढ़ को किस सन् में मान्यता दी गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नवम्बर, १९५२ में सन् १९५४ की हाई स्कूल परीक्षा के लिये ।

*१४६--श्री बुलाकीराम--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटेल मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल, अतरौलिया, जिला आजमगढ़ ने मान्यता प्राप्त करने के बाद सरकारी ग्रान्ट पाने के लिये कोई दरख्वास्त दी है ? यदि हां, तो कब और उस पर अभी तक क्यों ग्रान्ट नहीं दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । वर्ष १९५६-५७ में । अर्थाभाव के कारण सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ग्रान्ट नहीं दी जाती । छांट करनी पड़ती है और यह विद्यालय उसमें नहीं आ सका ।

आजमगढ़ जिले में मैनपुरवा ग्राम से पुलिस द्वारा एक भैंस की बरामदगी

*१४७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मन्त्री पाड़ी बरामद होने के सम्बन्ध में २८-८-५७ क तारांकित प्रश्न संख्या ८१, ८२ और ८३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि "भैंस" (पाड़ी) कहां और किस व्यक्ति की सुपुर्दगी में है और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह पाड़ी श्री रामअवतार सिंह, ग्राम बेलौली, थाना मधुवन की सुपुर्दगी में दी गयी थी । चूंकि श्री रामअवतार सिंह इसको वारिस जायज श्री दामोदर सिंह साकिन मनपरवा को वापस करने के लिये राजी नहीं कर पाये अतः उनके विरुद्ध दंड विधान की धारा ४०६ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

सीतापुर जिले में डकैतियों के संबंध में चालान

*१४८--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में जनवरी, सन् १९५७ से अब तक कितने डाके पड़े ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जनवरी, १९५७ से सितम्बर, १९५७ तक जिला सीतापुर में कुल २१ डाके पड़े ।

*१४९—श्री गनेशीलाल चौधरी—कितने डाकों का अब तक पता चलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी तक कुल १६ डाकों का पता लग चुका है।

*१५०—श्री गनेशीलाल चौधरी—कुल कितने व्यक्तियों का चालान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त डकैती के १६ मामलों में कुल १४४ व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है ।

फीरोजाबाद के स्कूलों को छठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिये क्षतिपूर्ति अनुदान

*१५१—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है कि शिक्षा शुल्क ६ वीं कक्षा तक माफ कर देने पर भी अभी तक फीरोजाबाद के कुछ विद्यालयों में यह फीस बदस्तूर ली जा रही है ? अगर हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । सरकार ने निःशुल्क योजनानुसार सम्बन्धित स्कूलों को क्षतिपूर्ति अनुदान स्वीकृत किया । अब विद्यालयों में फीस नहीं ली जा रही है।

*१५२—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार सदन की मेज पर वह सूची रखने की कृपा करेगी कि जिससे यह पता चल सके कि छठवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर देने पर सरकार ने फीरोजाबाद के स्कूलों को शिक्षा शुल्क के रूप में अब तक कितना रुपया दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

स्कूल का नाम	अब तक स्वीकृत क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि
	रु०
१—एस० आर० के० इण्टर कालेज	१,८२७
२—पी० डी० जैन इण्टर कालेज	२,१४२
३—तिलक विद्यालय इण्टर कालेज	१,४४९
४—डी० ए० वी० इण्टर कालेज	१,७०१
५—इस्लामिया इण्टर कालेज	१,५९६
६—महात्मा गांधी बालिका विद्यालय इण्टर कालेज	७,६४१
७—रामा कन्या विद्यालय	३,५६७
८—नगरपालिका, फिरोजाबाद	८८२

प्रतापगढ़ जिले में उदई शाहपुर ग्राम वासिनी, श्रीमती रज्जी के पीटे जाने से कथित गर्भपात

*१५३—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ में पट्टी थाना के अन्तर्गत दिनांक ११-९-५७ को मुसम्मात रज्जी (गर्भवती) ग्राम निवासिन उदई शाहपुर को, जबकि वह अपने खेत पर फसल काट रही थीं कुछ व्यक्तियों ने बुरी तरह मारा, जिससे छः माह की लड़की उसके गर्भ में मर गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---घटना इस प्रकार है कि एक खेत के बारे में श्रीमती रज्जी के घर वालों और मोती वगैरा के बीच झगड़ा था। जो रिपोर्ट श्रीमती रज्जी ने थाना पट्टी में दिनांक ११-९-५७ को लिखाई उसमें यह आरोप था कि उसके विरोधी पक्ष के लोग झगड़े वाले खेत की कच्ची फसल काट रहे थे। जब उसने व उसकी देवरानी व अन्य कुछ औरतों ने मना किया तो विरोधियों ने उन्हें लाठी से मारा। मुसम्मात रज्जी के डाक्टरी मुआयने से यह मालूम नहीं होता कि चोट लगने के कारण गर्भपात हुआ या चोट लगने से बच्चा गर्भ में मरा। सम्भवतः प्राकृतिक अथवा किसी अन्य कारण से ऐसा हुआ।

*१५४---**श्री रामकिंकर**---क्या यह सही है कि अमरगढ़ की डिस्पेन्सरी के डाक्टर ने मुआयने में दिनांक १२-९-५७ को लिखा था कि उसके पेट में पांच मास से अधिक आयु का बच्चा है और अधिक चोट लगने के कारण बच्च के मरने के लक्षण दिखलाई पड़ रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। अमरगढ़ डिस्पेन्सरी के डाक्टर की मेडिकल रिपोर्ट दिनांक १२-९-५७ में यह नहीं लिखा है कि अधिक चोट लगने के कारण बच्चे के मरने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं।

*१५५---**श्री रामकिंकर**---क्या यह सही है कि दिनांक १७-९-५७ को जनाना अस्पताल, प्रतापगढ़ की लेडी डाक्टर ने अपने डाक्टरी मुआयने में लिखा है कि मुसम्मात रज्जी के अधिक चोट लगने के कारण एक छः माह की मुर्दा लड़की पैदा हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। लेडी डाक्टर ने अपने मुआयने की रिपोर्ट में यह लिखा है कि मुसम्मात रज्जी के ३, ४ घंटे पूर्व एक छः माह का बच्चा उचित समय के पूर्व पैदा हुआ है।

इटावा जिले में हवालाती कैदी

*१५६---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिला जेल में किस-किस दफा के जुर्म में कितने हवालाती बन्द हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---जिला जेल इटावा में ३१-१-१९५८ को कुल २७८ हवालाती थे। इनमें स १३१ हवालातियों के सम्बन्ध में दफावार सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। शेष १४७ हवालाती सेशन्स न्यायालय के थे उनके बारे में दफावार विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०६ पर)

*१५७---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या यह सत्य है कि कुछ हवालाती दफा ३२३ के हैं जिन्हें ६ माह से अधिक जेल में रहते हो गया पर अभी तक उनके मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं। इस दफा का कोई हवालाती नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१५८---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे हवालाती है जिन्हें ६ माह से अधिक जेल में रहते हो गया पर अभी तक उनके मुकदमे की नवसुाई नहीं हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन---ऐसा कोई हवालाती नहीं है।

राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन तथा उनको लड़कियों की शादी के लिये सहायता

*१५९—श्री श्रीनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कितने सैनिकों को पेन्शन दी है और कितने लोगों की लड़कियों की शादी के लिये एक मुश्त धन ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब तक ३,२३१ व्यक्तियों को राजनीतिक पेंशन और ५३९ को लड़कियों की शादी के लिये एक मुश्त धनराशि स्वीकृत की गयी है।

*१६०—श्री श्रीनाथ—इस समय सरकार के पास कुल कितने प्रार्थना-पत्र राजनीतिक पीड़ितों के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२,२०८।

टेहरी-गढ़वाल जिले में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को ५ रुपया मंहगाई भत्ता न मिलने की शिकायत

*१६१—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में जो पांच रुपये की वृद्धि की गई थी वह टेहरी-गढ़वाल के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अब तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शिक्षा विभाग के राजकीय कर्मचारियों को दे दी गई है।

बाराबंकी जिला बोर्ड के अध्यापकों को वार्षिक वृद्धि देने की जानकारी

*१६२—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि जिला बोर्ड, बाराबंकी के स्कूलों के अध्यापकों की १९५२ से १९५६ तक जो सालाना तरक्की मिलती थी नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दी गई। प्रश्न नहीं उठता।

रानीबाग-बोहराकून-जिला नैनीताल में लूटमार की घटना

*१६३—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जुलाई, १९५७ में रानीबाग-बोहराकून, जिला नैनीताल में डकैती पड़ी ? यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डकैती तो नहीं पड़ी, लेकिन एक लूटमार की घटना अवश्य घटी जिसमें ७७९ रुपये १० आने का नुकसान हुआ।

*१६४—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मामले में अब तक सरकार की ओर से क्या किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपर्युक्त मामले की जांच की गई तथा जनवरी १, १९५८ को मामला हस्ब दफा ३०२, ३९४, ३९७ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत न्यायालय में भेज दिया गया जो अभी विचाराधीन है।

ललितपुर सब-डिवीजन, जिला झांसी में पी० ए० सी० फोर्स द्वारा डाकुओं के समाप्तिकरण के कार्य

*१६५—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) में पी० ए० सी० का फोर्स कब से रहता है और उस पर अनुमानतया कितना रुपया वार्षिक व्यय होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस सब-डिवीजन में पी० ए० सी० का फोर्स ८ अप्रैल, १९५५ से तैनात है तथा इस पर १९५५ में १,०६,८८५ रुपये, १९५६ में १,३९,५६८ रुपये व १९५७ में १,५६,०५५ रुपये व्यय हुआ ।

*१६६---श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि गत तीन वर्षों में उक्त फोर्स ने कितने डाकू पकड़े व मारे तथा वहां कितने डाके पड़े और अब उधर किन-किन डाकुओं के कितने गिरोह मौजूद हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उक्त पी० ए० सी० फोर्स ने जिला पुलिस दल से मिलकर कुल ६ डाकुओं को मारा जिनमें से एक को अकेले पी० ए० सी० कम्पनी ने मारा । उन्होंने १७७ डाकू पकड़े । गत तीन वर्षों में वहां कुल ३८ डकैतियां पड़ीं और निम्नलिखित ६ डाकुओं के गिरोह वहां अभी भी वर्तमान हैं:

१---बेवीसिंह
२---सूरतसिंह पाली का
३---मजबूतसिंह
४---सूरत सिंह सलीता का
५---जानकी, व
६---अजूधी ।

झांसी जिले में खोले गये नये प्राइमरी स्कूल

*१६७---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में सन् १९५४ तक कितने राजकीय प्राइमरी स्कूल खोले गये थे, और जिला बोर्ड, झांसी को इन नये स्कूलों में से कितने स्कूलों के संचालन का भार सौंपा गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२४० ।
२४० ।

झांसी जिले में राजकीय नार्मल स्कूल की आवश्यकता

*१६८---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि जिला झांसी में राजकीय नार्मल (एच० टी० सी०) स्कूल खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और कहां पर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

आग्नेय अस्त्रों की जिलेवार सूची

१---श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार अस्त्र-शस्त्रों सम्बन्धी लाइसेंसों की १ जनवरी, १९५७ तक की सूची जिलेवार और निम्नलिखित शीर्षकों में देने की कृपा करेगी ?
जिला रिवाल्वर या पिस्तौल राइफल ब्रीच लोडिंग बन्दूक मजल लोडिंग बन्दूक अन्य अस्त्र कुल जोड़ ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०७-१०८ पर)

गाजीपुर जेल में सर्वश्री बालरूप शर्मा तथा कैलाशपति सिंह द्वारा भूख हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---यह कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडेराय जी और श्री पब्बर राम जी का है। यह भूखहड़ताल के सिलसिले में है। गाजीपुर जेल में समाजवादी नेता श्री बालरूप शर्मा और श्री कैलाशपति सिंह दूसरी बार गाजीपुर जेल में उच्च श्रेणी के व्यवहार किये जाने के लिये भूख हड़ताल कर रहे हैं और यह प्रश्न ऐसा है जो वैयक्तिक है, दो व्यक्तियों का है। इसके बारे में शायद कुछ प्रश्न भी मैं समझता हूं पूछे गये थे, जवाब भी दिये जा चुके हैं। ऐसी अवस्था में मैं इसको इतना सार्वजनिक महत्व का नहीं समझता जो इसके लिये इजाजत दूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, इसके विषय में दो बातें मैं कहना चाहता हूं, आप आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैं इजाजत नहीं देता।

श्री झारखंडे राय---इसके महत्व और गम्भीरता को देखते हुए सरकार की जो जिद है.....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप पत्र-व्यवहार से सरकार से कह सकते हैं। जब आपने प्रश्न पूंछे और सरकार ने जवाब दिया तब उसके बाद आपको कुछ लिखना था तो सरकार को आप फिर पत्र लिखते.....

श्री झारखंडे राय---अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार का जो रुख है उसके ऊपर जरूर स्पष्टीकरण आना चाहिये सरकार की तरफ से। वह लोग पहले भी जेल में उच्च श्रेणी में रह चुके और अभी हवालाती के रूप में भी रह चुके हैं.....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप अपनी राय दे रहे हैं।

श्री झारखंडे राय---मैं समझता हूं आपका इस विषय में आज्ञा न देना और सरकार को बयान देने का मौका न देना.....

श्री अध्यक्ष---वह जवाब दे चुके हैं।

श्री झारखंडे राय---सरकार का जवाब शार्ट नोटिस क्वेश्चन में आया है। वह नाकाफी है और जो घटनायें हुई हैं उसके बाद उनको ध्यान में रखते हुए आप आज्ञा देते.....

श्री अध्यक्ष---मैं काम रोकोप्रस्ताव के बारे में आज्ञा नहीं दूंगा। आप अगर सरकार के रुख के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वह आप बाद में पूछें।

खीरी जिलाधीश के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री बंशीधर शुक्ल जी का है जिसमें खीरी जिले के जिलाधीश की शिकायत है और इसमें कई आक्षेप लगाये हुए हैं। जो उनके ऊपर चार्जेज हैं वह बहुत गम्भीर हैं। मैं समझता हूं माननीय सदस्य को मुख्य मंत्री जी के पास यह भेज देना चाहिये। मैंने तो उनके पास यह कामरोको प्रस्ताव भेज दिया है लेकिन अगर माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ उक्त शिकायतें भेजें तो उसके बारे में मुख्य मंत्री जी इन्क्वायरी कर सकते हैं। लेकिन काम रोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता।

सर्वश्री बालरूप शर्मा व कैलाशपति सिंह की भूख हड़ताल के विषय में जानकारी

श्री अध्यक्ष—माननीय पब्बर राम जी और माननीय झारखंडे राय जी का जो काम रोको प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है उसके सम्बन्ध में यदि सामाजिक सुरक्षा मंत्री कोई सूचना देना चाहें तो दे सकते हैं। उच्च श्रेणी के लिये दो व्यक्ति जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी क्या परिस्थिति है, सरकार की उनकी मांगों के बारे में क्या नीति है, इन विषयों पर कोई सूचना देना चाहें, माननीय सुरक्षा मंत्री तो मैं उनको मौका दे सकता हूं।

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अभी जो शार्ट नोटिस क्वेश्चन हुआ था उसमें जो बातें कहनी थीं वह कही जा चुकी हैं। कोई नई बात कहने की मेरे खयाल में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—कोई नई बात आप नहीं कहना चाहते।

(श्री झारखंडे राय से) आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं?

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मैं मान्यवर, आपके जरिये जानना चाहता हूं कि जिन दो व्यक्तियों को अंग्रेजी राज्य में भी हमेशा 'बी' क्लास दिया गया, कांग्रेसी राज्य में भी दिया गया इसी केस में जब हवालाती थे तो 'बी' क्लास में थे, लेकिन सजा हो जाने के बाद क्लास नहीं दिया गया, इसके क्या विशेष कारण हो गये? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मुजफ्फर हसन—कोई पुराना रेकार्ड तो ऐसा है नहीं इसमें। दो मर्तबा वह जब अण्डर ट्रायल थे तो उनको क्लासिफिकेशन दिया गया और जब पूरी जांच हो करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आयी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह समझा कि वह नियम को पूरा नहीं करते। दोबारा जब वह आये थे तो डी० एम० को यह बताया गया कि यह पहले रह चुके हैं। बाद में जब तहकीकात हुई तो यह मालूम हुआ कि पिछली दफा जो क्लासीफिकेशन हुआ था उसके वह हकदार नहीं थे। इसलिये वह वापस कर लिया।

श्री अध्यक्ष के निर्णय के विरोध में सदन त्याग पर वैधानिक आपत्ति और विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी, आप १९२ नियम के अनुसार एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहते हैं इस वक्त, तो किन नियमों के अनुसार आप समझते हैं कि आप को ऐसा अधिकार है?

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ४४ के अन्तर्गत तो यह नहीं आता है, लेकिन नियम ४७ में आता है जो इस प्रकार है:—

"Provided that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any other time."

तो इस प्रश्न को उठा कर मैं यह चाहता हूं कि भविष्य के लिये आप निर्देश दें कि पिछला जो काम हो चुका है उस पर प्रिविलज का मोशन उठाया जा सकता है। अगर अर्जेंसी है, रोज-रोज काम पड़ता है, तो अध्यक्ष महोदय का सम्मान और सारे सदन का सम्मान निहित हो, कोई बात घट जाय उसमें तो किसी भी समय ऐसी वस्तु को लाया जा सकता है। इसलिये ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसके लिये नोटिस नहीं दिया, यह नहीं होना चाहिये। अर्जेंसी है इसलिये उसको लाया जा सकता है इसके लिये भविष्य के लिये आप व्यवस्था दें। इसी धारा के अन्तर्गत मैं इस विषय को और स्पष्ट कर दूं कि यह विषय कैसे इन दोनों के अन्तर्गत आता है। संविधान

में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया नियमावली अनुच्छेद २०८ के अन्तर्गत बनी हुयी है और जहां कोई स्पेसिफिक रूल्स न हों वहां हम मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस या हाउस आफ कामन्स की प्रणाली का अनुसरण करेंगे। मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के वाल्यूम १५ के पृष्ठ १०९ की ओर, श्रीमन् का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है :—

"It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence."

श्री अध्यक्ष—कंटेम्प्ट का सवाल नहीं है। जो आप सवाल इतनी देर में उठाना चाहते हैं, प्वाइंट आफ आर्डर जो उठाना चाहते हैं, आप उसके अधिकारी कैसे हैं यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—प्रक्रिया नियमावली के नियम ४७ के अन्तर्गत आप को अधिकार है। अर्जेंसी को देखते हुये, नियम १९२ में व्यवस्था का प्रश्न आता है। इसलिये दोनों जगह आप को अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—आप जरा रुकिये मैं समझाये देता हूं। यहां पर सदन में कुछ दिन पहले कुछ सदस्य सदन छोड़ कर बाहर चले गये थे। मेरे एक फैसले के बाद वह वाक आउट हुआ था। तो उसके बारे में आप १९२ के अन्तर्गत प्वाइंट आफ आर्डर के रूप में प्रश्न उठाना चाहते हैं। प्वाइंट आफ आर्डर १९२ में उठाया जा सकता है और वह तभी उठाया जा सकता है जब कोई सामने घटना हो रही है और उसके बाद तत्काल ही यदि वैधानिक प्रश्न उठाया जाय तो वह प्वाइंट आफ आर्डर उठाना कहा जा सकता है। उक्त नियम में प्वाइंट आफ आर्डर के बारे में यह दिया हुआ है :—

"The Speaker shall decide all points of order which may arise, and his decision shall be final."

जो प्वाइंट आफ आर्डर उत्पन्न हों यानी बैठक जारी रहते समय बीच में आ जायं तो उनको सदस्यगण स्पीकर के ध्यान में ला सकते हैं और उसी वक्त अध्यक्ष उन पर फैसला दे देगा। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि कोई घटना ३—४ रोज पहले हो जाये और उसके बाद उस पर प्वाइंट आफ आर्डर दो तीन दिन बाद उठाया जाय।

दूसरी बात आप यह कह रहे हैं कि आप विशेषाधिकार का प्रश्न नियम ४७ के अनुसार आज उठा सकते हैं। नियम ४७ में यह दिया है कि अगर यह बात स्पष्ट है कि ऐसे प्रश्न उठाने की अत्यन्त आवश्यकता है तो अध्यक्ष अनुमति दे सकता है। किसी प्रश्न को उठाने की अर्जेंसी तो अध्यक्ष को जो माननीय सदस्य प्रश्न उपस्थित करते हैं वे कितनी शीघ्रता से उपस्थित करते हैं यह बात देख कर ही प्रतीत हो सकती है। अगर आपको इसकी अर्जेंसी मालूम होती तो इसे उसी रोज आप उठाते। ३ रोज तक जब आप को स्वयं उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई —(व्यवधान) आप कोई आवाज न निकालें। तो आप को स्वयं ही अर्जेंसी उस रोज महसूस नहीं हुई और इसी कारण उस रोज नोटिस भी आपने नहीं दिया कि "मैं इसके विषय में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बाद में उठाऊंगा।" इसलिये यकायक इस प्रश्न को आज उठाने से तो उसकी अर्जेंसी सिद्ध नहीं होती। नियम में अर्जेंसी शब्द का मतलब यह नहीं है कि चूंकि बार-बार या रोजाना भविष्य में ऐसी घटना हो सकती है इसलिये वह प्रश्न उठाना आवश्यक हो जाता है और उस पर आज ही निर्णय देना सदन को जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि उसमें अर्जेंसी इसलिये और भी नहीं है क्योंकि ऐसी घटना भविष्य में भी होने की सम्भावना है और जब फिर से होगी तो जिस रोज होगी उस रोज माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा दें।

[श्री अध्यक्ष]

इन कारणों से मैं आप को प्वाइंट आफ आर्डर को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं और विशेषाधिकार की अवहेलना के लिये नियम ४४ के अनुसार भी आप को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

आगामी कार्य-क्रम के संबंध में पूछ-ताछ

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मैं आप के जरिये यह जानना चाहता हूं कि सरकार कृपा कर के बताये कि बजट सेशन के बाद कौन से बिल आयेंगे और हम कब तक बैठेंगे ? यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह भी बता दिया जाय कि एक दो बिल ऐसे हैं, जैसे वृहत् जोत-कर है उसके नियम कब आयेंगे, वह बहुत जरूरी है, उठने से पहले सरकार उस को ले ले।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री अगर प्रकाश डाल सकें तो इस पर प्रकाश डालें क्योंकि ५ बजे के बाद भी कार्य-सूची में एक कार्यक्रम दिया हुआ है। इसलिये कौन-कौन से विधेयक सदन के विचारार्थ रखे जायंगे इस हफ्ते में वह सूचना मिलनी चाहिये।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जहां तक इस हफ्ते की बात है, वह तो बिल इस में दिये हुए हैं। यही हैं इस हफ्ते के लिये और ये शाम को लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---अगर शाम को ५ बजे बाद सदन बैठे तो ये लिये जायंगे। इसके बाद का प्रोग्राम बाद को बतलायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

बैठक का समय १ घंटा बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय ५ बजे के बाद १ घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय। २ विधेयक हैं, कोर्टफीस अमेंडिंग बिल और यू० पी० स्टैम्प अमेंडिंग बिल, जो अत्यन्त आवश्यक हैं और पहली तारीख तक पास होने वाले हैं। मैंने नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से सलाह कर ली है और प्रयत्न करेंगे कि आज समाप्त हो जायं। यदि आज नहीं हुए तो कल फिर एक घंटा समय बढ़ा दिया जायगा और उस को पूरा कर लिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं इसका विरोध करता हूं। जो नया प्रोग्राम बनाया गया है, मैं इस बात को जान नहीं पाया कि उन्होंने विरोधी दल के लोगों से बात कर ली, तो भी मैं एक सदस्य की हैसियत से कह सकता हूं कि यह जो नए बिल पेश होने वाले हैं इनकी सूचना अभी सुबह तक हमें किसी प्रकार से नहीं थी। अतः एक दम ५ बजे हम इसके विवाद के पात्र नहीं हो पायेंगे। यदि हमें काफी समय नहीं दिया जायगा और इस प्रकार इन आवश्यक बिलों को एक दम से पास कर के जल्दी की जायगी तो वह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करना होगा। नियमावली के अनुसार हमें ३ दिन का समय मिलना चाहिये। उस नियम की अवहेलना की गयी है। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और अन्य सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि इसकी स्वीकृति न दी जाय, इन पर विवाद होना आवश्यक है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष---मालूम होता है कि आप का ध्यान इस तरफ़ नहीं था।

कुंवर श्रीपाल सिंह--- श्रीमन्, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने जो कुछ कहा उसमें शायद हम लोगों ने यह बात कही थी कि तीन दिन अर्थात् आज, कल और परसों एक-एक घंटा रोज सदन का समय बढ़ा दिया जाय जिसमें आज और कल में तो कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक पारित हो जायगा और परसों स्टैम्प (संशोधन) विधेयक हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--- वह दूसरा सवाल है। इस समय तो आज सदन का समय एक घंटा बढ़ाने का प्रस्ताव सामने है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन कर दूं?

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री राजनारायण--- श्रीमन्, निवेदन यह करना है कि माननीय शान्ति प्रपन्न जी ने बहुत ही सद्भावना के साथ यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख आप की आज्ञा से रखना चाहा होगा।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--- आप की सलाह से।

श्री राजनारायण---इसी पर मुझे आश्चर्य है और आज तक इस सदन में न तो माननीय मुख्य मंत्री ने और न किसी और मंत्री ने इस प्रकार कहा है हमारे बारे में। मैं अपना ऐसा नियम बना चुका हूं कि चाहे मुझ से कोई बड़ी से बड़ी ताकत रंज हो जाय मगर वह मुझ से गुमराह नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि स्पष्ट वक्ता बनूं और स्पष्ट भाषण दूं चाहे मुझ से सम्पूर्णानन्द जी नाराज हो जायं, चाहे कमलापति जी नाराज हो जायं और चाहे शांति प्रपन्न जी नाराज हो जायं लेकिन मैं उनको गुमराह नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष---आप वैयक्तिक बातें छोड़ दीजिये।

श्री राजनारायण---वैयक्तिक नहीं, श्रीमन् सिद्धान्त की है, आचरण की है और मैं चाहता हूं कि चाहे व्यक्ति अप्रसन्न हो जाय मगर गुमराह न हो। किसी स्टेज पर मैंने शान्ति प्रपन्न जी से यह बात नहीं कही कि आज ५ बजे के बाद कोई विधेयक लिया जाय और मैं समझता हूं कि जब तक मैं मौजूद था किसी दल के व्हिप ने यह बात नहीं कही कि आज ५ बजे के बाद विधेयक लिया जाय। थोड़े समय के लिये मैं उनके कमरे में कल चला गया और उन्होंने कहा कि आप की क्या राय है? क्या यह दो, एक घंटे में पास हो जाय? और उन्होंने मुझको हवाला दिया माननीय नेता विरोधी दल, श्री त्रिलोकी सिंह जी का कि उन्होंने कहा है कि ५ मिनट में यह बिल पास हो जायगा। मैंने कहा कि जब आप ऐसी बात कह रहे हैं तो बिना त्रिलोकी सिंह जी से सलाह किये मैं इस सम्बन्ध में कोई भी सम्मति देने के लिये तैयार नहीं हूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या ५ मिनट में पास करने का वादा कर लिया है और इसी तरह की बात करीब करीब जो दूसरे दलों के सचेतक थे उन्होंने भी कही। फिर भी आज ५ बजे के बाद एक प्रस्ताव के रूप में ले आना और यह कह देना कि सभी विरोधी दलों की राय ले ली गयी है, मैं समझता हूं कि अगर सरकारी पक्ष को थोड़ा लाभ भी होता तब भी मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिये। तो मैं इसका विरोध करता हूं और विरोधी इसलिये भी हूं कि अभी बहुत समय है। अभी माननीय सदस्यों ने पूछा कि सरकार बताये कि क्या प्रोग्राम है तो माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि आगे का प्रोग्राम अभी पता नहीं है, इतना ही प्रोग्राम है। तो यह सदन कब तक बैठेगा, बीच में कितने दिन की छुट्टी होगी, फिर यह सदन कब मिलेगा, क्योंकि जैसा आपने हम लोगों को सूचित किया कि ५ तारीख को चुनाव है, तो ५ के पहले खुलेगा, उस समय हमको समय मिलेगा या नहीं? ४ को खुलेगा, ३ को खुलेगा या २ को खुलेगा। उस दिन भी हम इसको ले सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप उन्हें अभी इसको मूव करने की आज्ञा न दें। हम लोग बात कर लेंगे और उस के बाद किसी निश्चय पर पहुंचेंगे।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस सिलसिले में मेरा भी जिक्र किया गया इसलिये मैं इतना निवेदन करूंगा कि सरकार के सचेतक ने जब मुझसे बात की थी और यह ७--८ दिन की बात है, तो उन बिलों को देखकर मैंने उनसे यह कहा था कि चूंकि इसमें बजाय आना, पाई के मुख्यतः नये पैसों का सब्स्टीट्यूशन है, वह जो दर हैं आने पाई में उनको नये पैसे में रख दिया जाय, इसलिये इसके ऊपर विचार करने में और इसको स्वीकार करने में कुछ समय नहीं लगना चाहिये और मैंने कहा था कि मेरी राय में इसको पेश किया जाय, विचार किया जाय और पारित किया जाय, क्योंकि ऐसे बिल आमतौर पर निर्विवाद होते हैं। मैंने माननीय नेता समाजवादी दल से भी परामर्श किया था और उनसे कहा था कि देख लीजिए, अगर कोई आपत्ति न हो तो अन्य दलों से पूछकर इसे जल्द स्वीकार कर लीजिए, उस समय में जब तक बजट मंजूर किया जाय। इसके अलावा मुझे और कुछ निवेदन नहीं करना है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, वैसे तो हम लोगों की आदत नहीं है कि ज्यादा जोश खरोश से बोलें और मैं यह भी मानता हूं कि जो हमारी ओर से कमिटल है उसे मेनटेन करना चाहिये। लेकिन मैं सत्य की हत्या नहीं कर सकता हूं। कल जो बात हुई और माननीय शान्ति प्रपन्न जी शर्मा ने जो बात कही वह सोलह आने सच कही और उन्होंने कहा था कि त्रिलोकी सिंह जी ने कहा है कि ५ मिनट में इस बिल को खत्म कर दें। इस पर मैंने एतराज किया और कहा कि मेरे अमेंडमेंट हैं और मैं इस पर जनरल डिस्कशन चाहता हूं। इसलिये एक एक घंटा तीन दिन बढ़ाने की बात थी। लेकिन आज यह कहा जा रहा है। इसके माने यह हैं कि हम इतना शोर नहीं कर सकते हैं बल्कि यहां पर एक तहजीब होती है, नम्रता होती है, शिष्टता होती है जिसे हमें मेनटेन करना चाहिये। अगर हम कमिटेड हैं तो हमें मेनटेन करना चाहिये। समाजवादी दल के नेता ने चाहे जो कुछ कहा हो। उनके ह्विप मौजूद थे। अगर हम कोई बात तय करते हैं तो हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस तरह के पर्सनल ऐस्सपर्शन न हों और बातों को ट्विस्ट न किया जाय। मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि हम जिसके लिये कमिटेड हैं उस पर स्टैंड करते हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, पीसमील बात करने में और प्रस्ताव रखने में वही दिक्कत होती है जो इस समय हो रही है। माननीय शान्ति प्रपन्न जी ने जो प्रस्ताव रखा है यदि इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है उसे भी रख दिया होता तो यह दिक्कत पैदा नहीं होती। माननीय शान्ति प्रपन्न जी ने सलाह मश्विरा किया। उन्होंने कहा था कि कुछ छुट्टियां ऐसी पड़ रही हैं कि एक दिन छुट्टी है फिर वर्किंग डे है और फिर छुट्टी है। इसलिये हम चाहते हैं कि इधर लगातार छुट्टी कर दी जाय और बाद में असेम्बली खोली जाय ३ तारीख को। उस समय यह बात आई थी कि यह जो दो बिल हैं इनको कब लिया जायगा तो विचार हुआ कि एक घंटा समय बढ़ाकर ले लिया जाय तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छुट्टियां हो जायगी और सब लोगों को बाहर जाने का मौका भी मिल जायगा। इसलिये एक घंटा समय बढ़ाकर इन बिलों को ले लिया जाय तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यह बात हुई थी। यदि उन्होंने पूरी बात रखी होती तो यह भ्रमोत्पादक मौका नहीं आता। अब मेरा अनुरोध यह है कि इस समय इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाय और सवा बजे के बाद हम लोग बातचीत कर लें और जैसा तय हो वैसा किया जाय।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं अपना निजी स्पष्टीकरण कर दूं क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल, त्रिलोकी सिंह जी ने मेरा जिक्र किया। माननीय शान्ति प्रपन्न जी ने जब अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यह जो विधेयक है इन में कितना समय लोगे। मैंने कहा कि यह बड़े अहम विधेयक हैं और इनमें काफी समय मैं ले सकता हूं। यह भी उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसी बात मालूम नहीं होती है। देख लो और लोगों से बातचीत कर लो। हमने कहा कि हमारा कहना यह है कि इन में हमें काफी समय

मिलना चाहिये क्योंकि चार पुराने पैसों को नये दस पैसे किया जा रहा है और उसमें यह चीज बढ़ाई जा रही है और इसमें रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प की पूरी पालिसी का संबंध है तो इस पूरी पालिसी पर हम बहस करना चाहेंगे। उस समय मैंने यह कहा था और किसी तरह की बात नहीं है कि कोई फैसला उस समय हुआ हो या विरोधी दल ने इस पर कोई राय दी हो। अभी झारखंडे राय जी ने जो बात कही उन्होंने भी यह बात कही कि कोई फैसले की बात नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस समय इसको रहने दें और बाद में इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---अभी विरोधी दल के नेता ने जो बात कही और राजनारायण जी ने जो स्पष्टीकरण दिया उन दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। उन्होंने भी यह नहीं कहा कि श्री राजनारायण जी ने उक्त बात स्वीकार की थी। उन्होंने आपसे यही कहा था कि सोच लें और अगर यह ठीक न हो तो और पार्टी के लोगों से बात कर लें। वह कभी यह नहीं कहते कि राजनारायण जी द्वारा कोई बात मन्जूर की गई थी। अब प्रश्न यह है कि गोविन्द सिंह जी विष्ट और झारखंडे राय जी यह कहते हैं कि इस तरह की आशंका थी कि इन दोनों विधेयकों को लाने में आगे चलकर दिक्कत होगी। इसलिये यह सुझाव था कि इनको एक घंटा समय बैठक का बढ़ा कर ले लिया जाय। यह कल बातचीत हुई थी। इसके साथ-साथ झारखंडे राय जी यह भी कहते हैं कि उनको शान्ति प्रपन्न जी ने बताया था कि बीच में कुछ छुट्टियां हो जाने की तजवीज है तो इन सब बातों को देखकर यह कल तय हुआ था जहां और सचेतक भी मौजूद थे कि एक एक घंटा बैठक का समय बढ़ाकर इनको ले लिया जाय। इस सुझाव में कल किसी को आपत्ति नहीं थी, यह उनका खयाल है। गोविन्द सिंह जी विष्ट, झारखंडे राय जी और साथ ही शान्ति प्रपन्न जी का भी यह खयाल है किन्तु सम्भव है कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई हो। लेकिन कल की बातचीत का इम्प्रेशन शान्ति प्रपन्न जी पर जो पड़ा उसी के अनुसार उन्होंने बात कही है, चूंकि मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट यह नहीं कहा कि आगे का प्रोग्राम क्या होगा इसलिये छुट्टी के बारे में इस समय प्रस्ताव उपस्थित करते समय वह जिक्र नहीं कर सकते थे। आपस की बातचीत में किसी छुट्टी की तजबीज का वे जिक्र कर सकते थे। वह उनका एक कल सुझाव था। इसलिये जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है जब तक मुख्य मंत्री जी यहां यह न कहें कि फलां तारीख से वे छट्टी रखना चाहते हैं तब तक शांति प्रपन्न जी इसका जिक्र प्रस्ताव पेश करते समय नहीं कर सकते थे। इसलिये कुछ सदस्यों के मन में गलतफहमी हो सकती है। लेकिन जो बात है वह तो अपनी जगह कायम है और उसको समझ कर ही सबको विचार करना चाहिये। मैं नहीं समझता कि इस छोटे से प्रश्न पर इतना विवाद क्यों हो। सदन को अधिकार है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या न करे। अगर शांति प्रपन्न जी चाहते हैं कि इस पर अभी निश्चय न हो तो कोई बात नहीं है, यह स्थगित होगा और अगर वह चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को ले लिया जाय तो सदन की राय ले ली जायगी।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---कल जो बातचीत हुई थी उसमें मैंने सब व्हिपों को बुलाया था। बातचीत करने के समय राजनारायण जी भी कृपा करके चले आये और वह भी उसमें शरीक हो गये। उसके बाद यह निश्चय हुआ कि इन बिलों में समय ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय और अगर आवश्यकता पड़ेगी और एक घंटे से अधिक समय लगा तो फिर अगले दिन थोड़ा समय और बढ़ा दिया जायगा। इसमें सब लोग यूनानिमस थे। यह निश्चय हुआ था कि यह कर दिया जाय। मुझे आशा है कि सदन के सभी हमारे साथी इसको सपोर्ट करेंगे। आज एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय। मुमकिन है कि यह एक घंटे में समाप्त हो जाय और अगर ज्यादा समय लगा तो फिर कल भी समय बढ़ा दिया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, माननीय शांति प्रपन्न जी ने हम लोगों को बुलाया था। हम सब वहां मौजूद थे। जैसा झारखंडे राय जी ने कहा मुझसे बहस

[श्री उग्रसेन]

हुई। उन्होंने पहले ही कहा कि कुछ छट्टियां होने वाली हैं। तब मैंने स्वयं उनसे एक दिन का समय उनके लिये मांगा था। कम से कम इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर एक दिन मिलना चाहिये। फिर उन्होंने कहा कि कुछ समय बढ़ा लिया जाय। यह उनका एक सुझाव था, लेकिन जैसा शांति प्रपन्न जी कह रहे हैं कि निश्चित हुआ, उसके लिये मैं कहता हूं कि यह निश्चय कतई नहीं हुआ था और आज एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय इसका कोई जिक्र नहीं आया था। मैं वहां मौजूद था और जितनी बातें मेरे सामने आयीं थीं उनको मैंने निवेदन किया।

श्री राजनारायण—मेरे सामने यह बात थी....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि आप चले गये थे। अब मैं इस पर राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि आज सायंकाल ५ बजे के बाद सदन एक घंटा और बैठे और उसमें उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ और उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार प्रारम्भ हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी—डिवीजन, सर।

श्री अध्यक्ष—आप हिन्दी का अभ्यास कीजिये। आप मेरे लिये 'सर' कहते हैं और विभाजन के लिये 'डिवीजन'।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१६५,
विपक्ष में—१५।)

श्री राजनारायण—इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आइन्दा सोशलिस्ट पार्टी का कोई भी साथी या सचेतक जैसा आज शांति प्रपन्न जी ने व्यवहार किया है कि बिना किसी बात के निश्चित हुये ही उन्होंने कह दिया कि निश्चय हुआ, इसके विरोध में जब तक वह अपने को अमेंड नहीं करेंगे किसी बैठक में भाग नहीं लेंगे।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग (क्रमागत)*

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर यह कहा करते हैं कि जब किसी दल का कोई भाषण शुरू होता है, तो मैं बैठने की कोशिश करता हूं मगर आज जब कि उनसे इसका सीधा सम्बन्ध है और खास विषय है, उस वक्त वह सदन छोड़ कर चले जा रहे हैं।

बजट के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस सरकार की औद्योगिक नीति भी, सरकार की अन्य नीतियों की भांति, गलत आधार पर चल रही है। श्रीमन्, जिस प्रकार कोई दिवालिया पूंजीपति अपने उद्योग को चलाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से यह सरकार दिवालिया पूंजीपति की तरह सारे प्रदेश की उद्योग नीति को चला रही ह। यदि आंकड़ों को देखा जाय तो मालूम होगा कि गत वर्ष १९५६-५७ में ५६,९२५ हजार रुपये रखे गय थ और इस वर्ष ५५,७७५ हजार रुपये रखे गये हैं। इस तरह से १,१५० हजार रुपये की कमी पर अनुदान में है लेकिन वेतन भत्ते में ५२ हजार रुपया ज्यादा गत वर्ष से खर्च होगा। कमी कहां होगी ? औद्योगिक विकास में २,२५२ हजार रुपये की कमी होगी, विकास योजनाओं में १२८ हजार रुपये की कमी होगी। इससे स्पष्ट है कि सरकार की जो नीति है, वह नीति औद्योगिक विकास के लिय दिन प्रति दिन नीचे की ओर झुकती जा रही ह।

---

*२५ मार्च, १९५८ की कार्यवाही से।

इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रीज डायरेक्टोरेट में ३६,९०० रुपया ज्यादा है और इंडस्ट्रियल एजूकेशन में ४५,९०० रुपये कम हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट में ६,५५,३०० रुपये कम हैं। तो इस सरकार के जो आंकड़े हैं वे स्पष्ट कर देते हैं कि इस सरकार की पूंजीशाही नीति दिन पर दिन ह्रास की ओर चलती जा रही है।

श्रीमन्, अगर उत्तर प्रदेश को एक इकाई के रूप में लेकर देखा जाय तो मालूम होगा कि यह सरकार कतई औद्योगीकरण में असफल हुई है। यह सरकार कुछ जगहों पर तो इंग्लिस्तान की नकल करना चाहती है और कुछ जगहों पर अमेरिका की। मैं पूछना चाहता हूं कि यह अमेरिका और इंग्लिस्तान की नकल करेगी या अपने देश की आबादी और साधनों को देखकर औद्योगिक विकास की ओर देखेगी? मेरा ऐसा खयाल है कि जो आज इस सरकार की नीति है वह अमेरिका और इंग्लिस्तान को नकल करने की है। उनकी नकल करके सरकार इसलिये सही मानों में अपने प्रदेश का औद्योगी करण नहीं कर सकती क्योंकि अमेरिका की नकल करने के लिये खरबों रुपये इस सरकार को चाहिये, जो इसके पास हैं नहीं। इस माने में इस सरकार की हालत दिवालिये के समान है लेकिन नकल करने में यह सरकार वहां के उत्पादन के तरीकों की नकल करती है। अच्छा है, यहां पर और दूसरी पार्टियां के नतामण भी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूस ने जो सबसे बड़ी गलती की वह यह की कि अपनी क्रान्ति को कामयाब करने के बाद औद्योगिक विकास का जो पैटर्न अख्तियार किया था, जो माडल अख्तियार किया उसने अपने यहां उद्योग के विकास के लिये खेती का उपनिवेशन बनाया इसलिये कि स्टेट कंट्रोल के अन्तर्गत खेती के सामान का दाम कम रखा जायगा। और इस तरह से यहां के उद्योग-धंधे विकसित होंगे और बढ़ेंगे।

आज मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की अस्पष्ट नीति है। उसके पास इसके आधार क्या हैं कि उत्तर प्रदेश में आज कितने साधन ह, उत्तर प्रदेश की आबादी क्या है, कितने आदमी बेकार हैं और कितनों को वह उद्योग-धंधों में खपा पायेगी? उद्योग-धंधों के जरिये कितना सामान पैदा होगा और जो सामान पैदा होगा, वह कितने लोगों में वितरण होगा। इस सम्बन्ध में आज सरकार की कोई नीति नहीं है। अगर देखा जाय तो हमने अभी हिसाब लगाया है कि जिस गति से यह सरकार चल रही है, अगर उसी गति से वह चले तो हिन्दुस्तान को अमेरिका के माडल पर बनाने के लिये करीब ६०० वर्ष सरकार को लग जायेंगे। क्या अपना देश इतने दिनों तक यों ही पिछड़ा रहेगा और वह इसी तरह से चलता रहेगा? सदन के सम्मानित सदस्य इस पर सोचें और विचार करें। हमारे यहां पर कैपिटा कैपिटल कितना है? अमेरिका और इंगलैन्ड का हिसाब लगा कर मैंने देखने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि किसी भी माने में हमारे यहां पर कैपिटा कैपिटल २०० रुपये से ज्यादा नहीं आ रहा है, जब कि अमेरिका और इंगलैन्ड में पर कैपिटा कैपिटल १० हजार रुपये तक जाता है। इसलिये ऐसा प्रदेश और ऐसा देश जहां पर २०० रुपये और २५० रुपये पर कैपिटा कैपिटल हो, वह देश उस देश की नकल करे जहां १० हजार रुपये पर कैपिटा कैपिटल हो, तो उस देश के लिये अपना विकास करना बहुत असम्भव है। यह सही है श्रीमन्, कि कीचड़ में भी कमल खिलते हैं, लेकिन कीचड़, कीचड़ ही रहेगा। इस प्रदेश की आबादी ७ करोड़ के करीब है जिनमें से चाहे सरकार माने या न माने, लेकिन २ करोड़ आदमी इस प्रदेश में बेकारी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो इन २ करोड़ आदमियों को काम देने के लिये और अमेरिकन माडल पर बनाने के लिये सरकार कितना रुपया लगायेगी और कहां से रुपया पायेगी? अमेरिकन माडल पर जाने के लिये एक वर्कमैन के लिये कम से कम १५ हजार रुपया चाहिये। क्या हमारे प्रदेश में इतनी आर्थिक क्षमता है कि वह एक वर्कमैन के लिये १५ हजार रुपया लगा कर देश का विकास कर सके?

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा श्री शांन्ति प्रपन्न शर्मा को रोक दें क्योंकि वे इस वक्त काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---वे उनसे बात कर रहे हैं, आप से भी बात करेंगे ।

श्री राजनारायण---तो मैं यह कह रहा था कि सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिये कि सरकार ७ करोड़ जनता की दृष्टि से काम करना चाहती है या ढाई लाख लोगों की दृष्टि से काम करना चाहती है ? आज सरकार की नीति का कुछ पता नहीं है । इसलिये मैंने जो नीति बतलायी है उसी के मुताबिक उसको चलना पड़ेगा ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, १५ मिनट का समय था ।

श्री अध्यक्ष---क्या आप और अधिक समय चाहते हैं ?

श्री राजनारायण---मैं चाहता तो हूं कि एक घंटा समय मिल जाय, लेकिन अधिक से अधिक आप जितना समय दे सकें, देनेकी कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष---ऐसे समय तो १० ही मिनट का था लेकिन आप १५ मिनट चाहते हैं, तो ले लें ।

श्री राजनारायण---श्री शांति प्रपन्न शर्मा ने जो डिस्टर्ब मुझे किया, उसका भी ध्यान रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आपने शिकायत करके उनको डिस्टर्ब किया ।

श्री राजनारायण---तो श्रीमन्, मैं आखिर में आंकड़े ही ले लूं । क्या सरकार ने अपने सूबे के १२० हजार गांवों को उद्योगीकरण की नीति से लाभान्वित करने के लिये कोई पालिसी निकाली ? मैं देख रहा हूं कि कोई पालिसी नहीं है । क्योंकि हमारे सूबे में १२० हजार गांवों को विकसित करने के लिये कोई योजना बनायी जायगी तो उसके लिये बिजली की आवश्यकता होगी और सस्ती बिजली पैदा करके हम अपने गांवों को समुन्नत कर सकते हैं । इसी तरह से हमारे प्रदेश में चमड़े का रोजगार कई जगह चल सकता है । आज कलकत्ते में देखें करीब साठ हजार चीनी वहां पर चमड़े के छोटे-छोटे कारखाने खोल कर काम चला रहे हैं लेकिन क्या इस सरकार ने जिन हरिजनों की वह बहुत दोहाई देती है, उनके उत्थान के लिए, उनका जो एकमात्र चमड़े का रोजगार है उसको प्रोत्साहित करने के लिये कुछ किया है ? इस दिशा में वह बिल्कुल असफल रही है । चीनी, कपड़ा, और खाद आदि के जितने यहां के उद्योग के हैं सब में ह्रास हुआ है । अगर इन उद्योगों को हमारे यहां छोटी-छोटी मशीनों से चलाया जाता तो अधिक लाभ हो सकता था । माननीय रउऊ जाफरी साहब जापान के सिस्टम को पढ़ें होंगे । जापान ने जिस तरह से अपने को क्षम्य बनाया है और अपने देश के उद्योग को विकसित किया है क्या उसी तरीके से हम भी अपने उद्योग को आगे नहीं बढ़ा सकते ? लेकिन हम सरकार की नीति के कारण अभी तक बिलकुल नाकामयाब रहे हैं ।

यहां पर ऐशबाग में एक गवर्नमेन्ट प्रेस है । उसके वर्किंग को यदि आप देखें तो औद्योगिक नीति जो सरकार की है उस को आप अच्छी तरह से समझ जायेंगे । वहां पर राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण में कोई भेद आप नहीं पायेंगे, वहां पर आज भी मजदूरों को चाहे बोनस का सवाल हो, चाहे वेतन का सवाल हो, चाहे उन के क्वार्टर्स का सवाल हो या उन की और किन्हीं सुविधाओं का सवाल हो, मीटिंग करने का सवाल हो, रिश्तेदारों से मिलने का सवाल हो, हर चीज में इतनी जबरदस्त पाबन्दी लगाई जाती है सरकार की ओर से कि जो किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली के लिये अशोभनीय और निन्दनीय है । आये दिन उन पर जुर्माने होते हैं, बस-बस साल से लोग वहां काम कर रहे हैं लेकिन स्थायी होने की कोई व्यवस्था नहीं है । मशीनें वहां की बन्द पड़ी हैं और दूसरे प्रेसों में जाकर सरकारी कारोबार हो रहा

है। जाति-पांति की बात तो इस सदन में बहुत बार हो चुकी है उसके लिये भी कोई व्यवस्था सरकार करे।

इसके अलावा मैं चाहता हूं कि बनारस औद्योगिक विकास के लिये सरकार एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाये। मैं इस बात का सबूत दे सकता हूं कि बनारस काटन मिल में केवल एक सेक्शन चल रहा है और दूसरा सेक्शन बन्द पड़ा है, वीविंग सेक्शन चल रहा है और स्पिनिंग सेक्शन बन्द पड़ा है और इसका नतीजा यह है कि एक डेढ़ करोड़ का नुकसान सरकार का एक्साइज ड्यूटी में होगा। चुर्क सीमेंट फैक्टरी में फैक्टरी ऐक्ट को न लागू करने से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां के वर्कर्स की कितनी दुर्दशा होगी, लेकिन वहां के जो मैनेजर और अधिकारी हैं वह ऐशोइशरत की जिन्दगी बिता रहे हैं।

कानपुर की काटन मिल्स को देखा जाय तो वहां भी यही हालत है। वहां के विषय में मूंधड़ा कांड की बात है, वह सबको मालूम है। उसके बारे में मैं इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा। बस एक बात यही है कि आज सरकार की कपड़े की मिलों के सम्बन्ध में जो औद्योगिक नीति है उसके कारण कपड़े का उद्योग हमारे यहां बरबाद हो रहा है। बनारस के बारे में मैं अर्ज करूंगा कि वहां का सबसे बड़ा उद्योग भदोही के कालीनों का है और वहां के काफी कालीन विदेशों में जाते हैं। हमारे कुछ सम्मानित सदस्य भी उस उद्योग से सम्बन्धित हैं। जनरल आकिन ले ने पाकिस्तान में कालीनों का उद्योग धंधा चला रखा है और भदोही के सारे अच्छे कारीगर वहां जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार वहां के रोजगार को क्यों बरबाद करना चाहती है और क्यों वहां के बुनकरों के साथ इन्साफ नहीं होता है? वहां पर कालीनों का यह काम दो तरह से होता है, एक तो इंडस्ट्री को एक जगह सेन्ट्रेलाइज करके और दूसरा यों ही छुटपुट और जहां पर सेन्ट्रेलाइज्ड काम होता है वहां पर एक मजदूर को महीने में साढ़े ६३ रुपये तक मिल जाते हैं, लेकिन जो दूसरी तरह से इधर उधर काम करने वाले मजदूर हैं उनको मुश्किल से २० या २२ रुपये का औसत पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस उद्योग की ओर विशेष ध्यान दे।

इसी तरह से बनारस में रेशम का काम भी सरकार की नीति के कारण चौपट हो रहा है।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य का उद्योग मेरे विचार से उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह है। उसका सीधा सम्बन्ध बेरोजगारी और उसकी खुशहाली से रहता है। अपने राज्य के बारे में जहां यह सही है कि पिछले वर्षों में उद्योगीकरण के क्षेत्र में काफी प्रयत्न हुये हैं, इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा राज्य इस दिशा में काफी पिछड़ा हुआ है।

श्रीमन्, मुझे सबसे पहले तो इस बात की ओर माननीय सदन का ध्यान दिलाना है कि जो हेवी इंडस्ट्रीज का एलाटमेंट इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश के लिये हुआ है उसमें हमारे प्रदेश के हितों की अवहेलना हुई है और वह अपर्याप्त ही नहीं अशोभनीय है। बड़ी बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज तो कोई हमारे यहां नहीं लगीं, लेकिन जो कुछ एलाटमेंट हमारे यहां हुआ भी वह प्रदेश के महत्व को देखते हुये बहुत कम है। रेलवे की कोच फैक्ट्री कहते हैं कि २० करोड़ की लागत से इस प्रदेश में लगने वाली थी और उसके लिये केन्द्रीय सरकार के एक्सपर्ट्स ने साइट भी करीब करीब निश्चित कर ली थी बरेली के नजदीक। उसके बाद उस समय बरेली और इलाहाबाद, इन दो जगहों के बीच में सोचा जा रहा था कि कौन सी जगह अधिक उपयुक्त है। अब ऐसा सुनने में आता है कि उसे भी हमारे प्रदेश के बाहर ले जाने की बात सोची जा रही है। यदि यह सत्य है तो बहुत दुःख की बात होगी। केन्द्रीय सरकार में मंत्रियों के बदलने के साथ अगर उपयुक्त स्थानों में भी परिवर्तन होता रहा तो कोई हर्ष का विषय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

यह नहीं हो सकता। मैं यह चाहूंगा कि हमारी प्रदेशीय सरकार और यह सदन केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना कर सके कि जो हमारा कोटा, हमारा अधिकार मिलना चाहिये वह हमें अवश्य मिले।

श्रीमन्, समय की प्रगति को ध्यान में रखते हुये मैं केवल दो तीन बातों की ओर संकेत मात्र में ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो यह कि आज जब यह स्वीकार किया जा चुका सिद्धान्त रूप में कि समाजवादी व्यवस्था हमारे प्रदेश में और देश में स्थापित होनी है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही को अपनी जगह पनपना है तब आज सरकार के ऊपर यह दायित्व आ जाता है कि पब्लिक सेक्टर उस बोझ को सम्हालने के लिये अपने को तैयार करे। मैं यह देखता हूं और मेरी तो यह धारणा है कि आज उस तैयारी में कमी है। पब्लिक सेक्टर में जो कारखाने चल रहे हैं उनकी दशा ऐसी नहीं है जिन पर हम गर्व कर सकें। यों तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर बहुत काफी रुपया लगाया जायगा तो कुछ लाभ होगा, कुछ उसका फल होगा, कुछ परिणाम होगा, लेकिन हमें तो इस कसौटी से देखना होगा कि यदि उसी पब्लिक सेक्टर में लगे हुये कारखाने को किसी उद्योगपति ने लगाया होता और इतनी ही पूंजी लगायी होती तो क्या इससे इतना ही लाभ होता या इससे बहुत अधिक ?

मैं उस लाभ की तरफ जरा भी देखने की चिन्ता न करता यदि लाभ कम होते हुये हम यही निश्चित तौर से सन्तोष कर पाते कि हमने अपने श्रमिकों को बहुत विशेष सुविधायें दीं या हमने उस चीज के मूल्य को इतना कम किया जो कि शायद कोई उद्योगपति न करता। यह बातें न होते हुये भी यदि लाभ पहले से कम हो तो चिन्ता की बात है और इसका कारण मेरी सम्मति में तो यह है कि आज हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें यह कमी है। यह कमी आगे चलकर और दिखाई देगी। ज्यों-ज्यों हम पब्लिक सेक्टर को बढ़ायेंगे हमें उसका दायित्व सम्हालने वाले सर्विसेज के आदमियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिये आज सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये और उसे एक इंडस्ट्रियल सर्विस का कैडर तैयार करना चाहिये जो कि पब्लिक सेक्टर में अन्यान्य इंडस्ट्रीज का दायित्व सम्हाल सके।

बरेली के समीप एक बाबिन फैक्ट्री है जो बन्द हो गई थी। उसमें कुछ लकड़ी के काम का आयोजन किया गया उसको कुछ चालू रखने के लिये। मैंने देखा एक सार्वजनिक कार्य के लिये कुछ फ़र्नीचर की आवश्यकता थी। मैं उस फ़र्नीचर को खरीदने के लिये स्वयं बाबिन फैक्टरी में गया। दूसरे रोज मेरे मकान पर एक सज्जन आये और कहने लगे कि आप अगर हमारी मारफ़त इसको ले लें तो हम सब सुविधा देंगे। तो मैंने पूछा क्या इतनी बड़ी फैक्टरी में भी कोई ब्रोकरी का सिस्टम है। उन्होंने कहा कि हां, हमको साढ़े बारह परसेंट कमीशन मिल जायगा। मैं चकित रह गया कि फ़र्नीचर ऐसी चीज पर साढ़े बारह परसेन्ट कमीशन मिल सकता है ब्रोकरेज के रूप में। यदि यही जानकारी इंडस्ट्रीज को चलाने वाले सरकारी कर्मचारियों को है तो फिर उस इंडस्ट्री में घाटा हो यह निश्चित और आवश्यक है। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब पब्लिक सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं तब उसके दायित्व को लेने के लिये हम अपने को अधिक तैयार करें।

इसके बाद मैं काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। आज मुझे इस बात को इस सदन में कहने की आवश्यकता नहीं कि आज समय की मांग है, आज प्रदेश की समस्यायें और भयंकर बेकारी चिल्ला चिल्ला कर यह तकाजा कर रही है कि काटेज इंडस्ट्रीज की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाय। मैं अगर सरकार पर यह चार्ज लगाऊं कि काटेज इंडस्ट्रीज पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिये तो कदाचित गलत नहीं होगा। इस अवहेलना का ज्वलन्त प्रमाण इस से अधिक क्या हो सकता है ? मैंने इसी सदन में एक प्रश्न किया था कि गत वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार से काटेज इंडस्ट्रीज के प्रोत्साहन के लिये कितना अनुदान मिला था तो बताया गया कि ७ लाख १६ हजार ४८ रुपये का अनुदान मिला था।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, क्या मैं भी प्रार्थना कर सकूंगा कि १० मिनट के अलावा मुझे भी ३, ४ मिनट मिल जायं ?

श्री अध्यक्ष--दो, एक मिनट और मिल जायेंगे, इस से ज्यादा नहीं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--इतना अनुदान केन्द्रीय सरकार ने दिया था उसमें से ५ लाख ५३ हजार ४५१ रुपये व्यय हुये । तो जब यह दशा हो कि केन्द्रीय सरकार से जितना रुपया मिले उसको भी खर्च न कर पाये तो इस से बड़ी अपैथी, इससे बड़ी अवहेलना मैं नहीं समझ सकता कि क्या हो सकती है ?

मेरी धारणा है कि आज काटेज इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहा है उसमें कोई प्लानिंग नहीं है । एक लम्बी सी लिस्ट इस किताब में मौजूद है । लेकिन जहां लिस्ट का सवाल है तो १९४१ की जो काटेज इंडस्ट्रीज कमेटी थी उसको भी अगर देखा जाय तो ७४ काटेज इंडस्ट्रीज और ६८ माइनर इंडस्ट्रीज की लिस्ट मौजूद है । हमें उस से यह ज्ञात नहीं होता कि इन गत वर्षों में क्या कार्य किया गया और उसके फलस्वरूप कितनी प्रगति हुई । वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास इसके कोई आंकड़े ही नहीं हैं । और इसमें प्लानिंग की कमी प्रतीत होती है । काटेज इंडस्ट्रीज का एक सर्वे किया जाय, एक काम्प्रोहेंसिव प्लान बनाया जाय जिसके अन्तर्गत इसको पूरा किया जा सके और काटेज इंडस्ट्रीज की उन्नति हो सके ।

इसके बाद आखिरी बात यह कहनी है कि आज कोआपरेटिव पर बड़ा जोर दिया जा रहा है और दिया जाना चाहिये क्योंकि उसी पर प्रदेश का भविष्य बन सकता है । लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें बड़ा करप्शन आ चुका है । और यदि इस भविष्य का निर्माण इस करप्शन के आधार पर हुआ तो देश के लिये बहुत दुर्भाग्य की चीज होगी । इंडस्ट्रीज अफ़सर जो नगरों में मौजूद हैं उनका उपयोग जनता के लिये और काटेज इंडस्ट्रीज के लिये ठीक रूप में नहीं हो पा । उनके द्वारा जो वांछित सूचनायें हैं वे उन हितों को जिनके लिये वे वहां पर रहते हैं नहीं पहुंच पाती हैं । जो काटेज इंडस्ट्रीज के प्रोत्साहन के लिये या और इंडस्ट्रीज के प्रोत्साहन के लिये सोसाइटीज बनती हैं उनको श्रीमन्, केवल रुपया अनुदान के रूप में देना ही एक अन्तिम बात समझी जाती है । मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इतना ही कर देना काफी नहीं है । उन कमेटीज को बनाने में अनुदान दिया जाय, गायडेन्स दी जाय, टेक्नीकल एडवाइस दी जाय और उनका सुचारु रूप से संचालन हो । और जो यह करप्शन डीप रूटेड होता जा रहा है उसको इसी स्थान पर निप इन दि बड किया जाय । अन्यथा जो हम भावी समाज का निर्माण कर रहे हैं वह एक बड़े खतरे की तरफ हम को ले जायेगा । इन शब्दों के साथ में अपना निवेदन समाप्त करता हूं ।

*श्री गैंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो निश्चय ही है कि आज नहीं तो कल या कुछ दिनों के बाद पब्लिक सेक्टर पर ही अभी हमको निर्भर करना पड़ेगा । मैं सरकार का ध्यान सबसे पहले इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन उद्योगों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है उनमें सरकार बदनाम न हो । हम लोगों के कहने को वह इस प्रकार न माने कि हमारा उद्देश्य पब्लिक सेक्टर को बदनाम करने का है । हम आलोचना इसलिये करते हैं कि वहां के हालत में सुधार हो । हम चुर्क सीमेंट फैक्टरी, प्रसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी और केसा को आदर्श कारखाने बनाना चाहते हैं । अगर वहां के मजदूर अधिक संन्तुष्ट हों, दूसरे कारखानों से वहां अधिक उत्पादन हो और उसी तरह से कच्चे माल की कीमत अन्य व्यवसायों के मुकाबले में वहां अच्छी मिल सके तो मैं समझता हूं कि सरकार को ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । मजदूर और कच्चा माल पैदा करने वाले स्वतः प्रचार करेंगे । मेरा तो विश्वास है कि आज तो किताबों में जो हम पढ़ते वह केवल हम लोगों के पढ़ने की बात रह जाती है । लेकिन जैसे मैंने कहा है उस पर अमल होगा उसका अधिक प्रचार होगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बैंचा सिंह]

इस ओर संकेत करते हुये मैं सबसे अधिक इस बात पर जोर डालना चाहता हूं कि इंगलैंड में जहां पर कुछ नेशलाइजेशन हुआ है वहां पर विधान सभा की कुछ कमेटियां हैं जो सीधे-सीधे नेशनलाइज किये हुये कारखानों का प्रबन्ध देखती हैं, उनकी आलोचना करती हैं और सुझाव देती हैं। मैंने भी इस विधान सभा में कई बार इस का जिक्र किया कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, गवर्नमेंट प्रसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी और केसा इत्यादि में अधिकृत तौर पर हमको जानकारी हासिल करने का मौका दिया जाय ताकि हमारे पास कुछ अक्ल हो तो हम उस कारखाने को चलाने में कुछ सहायता कर सकें। लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया। मैं समझता हूं कि अभी देर नहीं हुयी है और सरकार हमारी बात को मंजूर कर ले।

मुझे यह जानकार खुशी हुई कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में इधर उत्पादन बढ़ा है। यह भी बतलाया गया कि ठेकेदारों को हटा दिया गया है। तो यह बहुत अच्छा है। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने उत्पादन बढ़ाया है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी और कानपुर की केसा के बारे में मुझे विशेष जानकारी है। आज भी वहां बड़ा असंतोष मजदूरों में है। उस असंतोष को दूर करने की चेष्टा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, कुछ कारखाने ऐसे हैं जो पहले से बने हुये हैं जिनमें हमको इम्प्रूवमेंट करना है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। चीनी के कारखाने उन्हीं कारखानों में हैं जिनमें जो उत्पादन हो रहा है उस से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और उस से फारेन एक्सचेंज मिलने की आशा है। हमारी जो चीनी बनती है उसकी २०-२५ प्रतिशत ही हम यहां खपा पाते हैं, बाकी सब निर्यात करते हैं चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को या दूसरे मुल्क को। दो तीन चीजें मैं जरूरी समझता हूं जिन से उत्पादन बढ़ेगा। जैसा मैंने कहा उत्तादन बढ़ा, लेकिन क्रेडिट उसके लिये जब सरकार कभी देती है तो फैयाजी के साथ मिल मालिकों को देती है। लेकिन कभी भी सरकार किसानों के साथ फैयाजी नहीं करती कि उनको बधाई दे और मजदूरों को बधाई दे। तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी भारी भ्रांति है। अगर गन्ना हम न बोते और इस कुर्बानी करने को तैयार नहीं होते कि हम कम कीमत पर गन्ना दें तो सरकार और मिल मालिक दोनों घटने टेककर रह जाते और उत्पादन नहीं बढ़ता। तो अध्यक्ष महोदय, नान-आफिशियल दिन को गन्ना और उसकी कीमत पर बहस होने वाली है, उस वक्त मैं शायद कहूंगा, इस वक्त नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात इस अवसर पर कह देना चाहता हूं कि दूसरी सारी स्टेट्स से हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम गन्ने के उत्पादकों को न्याय दिला सकें क्योंकि जितनी पैदावार अपने देश भर में होती है उसकी आधी पैदा करने वाले हम हैं। कहीं आधे से ज्यादा के हैं। तो दूसरी जो स्टेट्स हैं वह गन्ने के उत्पादकों के साथ रिआयत करती हैं और सहूलियतें दिलाया करती हैं, लेकिन यह स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिला सकी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी सूबे में, बिहार और यू० पी० को छोड़कर, जो गन्ने की कीमत है वह दूसरी जगह मिलती है ?

अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि सरकार को जानकारी न हो और यह कह दिया जाय कि हमारे यहां तो रिकवरी कम होती है, ड्युरेशन आफ सीजन कम होता है। लेकिन माननीय मंत्री सर्वज्ञ नहीं हैं और हम भी सर्वज्ञ होने का दावा नहीं करते। वह कुछ हमसे पढ़ा करें और हम उनसे पढ़ा करें। तो दूसरे से अगर जानकारी हासिल की जा सकती है तो वह किया करें। मैं उनसे कहूं कि आज ३८ कोआपरेटिव फैक्टरीज सारे देश में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनाने का फैसला किया है जिनमें ३ हमको मिल रही हैं। रऊफ साहब चाहे जितने गौर से हमारी तरफ देखें, लेकिन माननीय रऊफ साहब और उनकी सरकार एक भी नहीं चलवा पायेगी अब की मर्तबा। उन्होंने वादा किया था कि बाजपुर की फैक्टरी जनवरी में चल जायगी, लेकिन क्यों नहीं चली ? इसलिये कि अगर कोआपरेटिव फ़ैक्टरी इस सूबे में चल जाय तो सरकार की भी आंख खुल जाय और मिल-मालिकों की पोल खुल जायगी, दोनों की पोल खुल जायगी। खुद श्री पंजाबराव देशमुख ने दिल्ली में कहा कि २ रुपये मन कोई फ़ैक्टरी जो

महाराष्ट्र में चलती है वह गन्ने की कीमत देती है और उसके बाद भी मुनाफा करती है। जहां तक रिकवरी का सवाल है वह मैं बता सकता हूं उनको कि कहां की कितनी है। इसलिये यह न कहा जाय कि रिकवरी यहां की कम है।

मैं यह कहता हूं कि लेबर जिसका ऐसा पार्ट है जिसके बिना उसका उत्पादन नहीं बढ़ सकता और जो केन-ग्रोअर है कम से कम उसको तो ध्यान में रखें, तब उत्पादन का काम बढ़ सकता है। जितनी पैदावार हमारे सूबे में गन्ने की होती है उसका ५० फीसदी खांडसारी और गुड़ बनाने के लिये जाता है। मैं रऊफ साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिये क्या किया है? कुछ जिक्र है कि कुछ किया है, लेकिन ५० फीसदी जिस व्यापार में गन्ना चला जाय, जिसमें कि, अध्यक्ष महोदय, खुद गवर्नमेंट का कहना है कि २,६३,००० कोल्हू चलते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा कोल्हू ऐसे हैं कि जो भद्दे किस्म के हैं और उनमें प्रतिवर्ष बराबर ३ मन रोज खुजरी और बगासा में चला जाता है। यह जानते हुये भी सरकार ने उन कोल्हुओं को रिप्लेस करन के लिये कोई बन्दोबस्त नहीं किया है। खांडसारी को मैंने खुद देखा है, तो मैं सोचता हूं कि उसके लिये भी सरकार कुछ नहीं कर सकी। इतना बड़ा व्यापार है जिससे करोड़ों रुपया सरकार और किसानों को मिलता है। उस दिन माननीय जगदीश शरण ने कहा था कि एक समिति मुकर्रर कर ली जाय जो सारे देश की स्थिति को देखकर उत्तर प्रदेश की सरकार को इस सम्बन्ध में सुझाव दिया करे कि इस व्यापार को बचाने और पालने में, तरक्की करने में क्या-क्या किया जा सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि उद्योग मंत्री जी ने उस सलाह पर, जो जगदीशशरण जी की सलाह थी, मेरी सलाह नहीं है, क्या विचार किया और विचार करके सरकार कोई ऐसा काम करने को तैयार है।

करघा का अध्यक्ष महोदय, मैं जरा जिक्र करूं। रऊफ़ साहब ने कल यह फरमाया कि हम किसी सूबे से पीछे नहीं हैं। अपने घर में अगर बीवी, बच्चों से हम यह कहें कि हम बम्बई के किसी मिनिस्टर से कम नहीं हैं, बंगाल के डाक्टर बी० सी० राय से कम नहीं हैं, तो वहां पर अपने हाथ अपनी पीठ ठोंक लेने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन पब्लिक में और सदन में ऐसी बात कहना कहां तक उचित है? मैं कहता हूं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट रऊफ़ साहब ने पढ़ी है या नहीं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके बिड़ला साहब की सदारत में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट को पढ़ लें। उस कमेटी में श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय जी भी थे जो उनके संगठन के चीफ रहे हैं और जिन्हें शायद अभी छुट्टी हुई है। उनका कहना है कि हमारा सूबा वेस्ट बंगाल, बम्बई, मद्रास, पंजाब आदि से पीछे है। अकेले करघे में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री में, पावर प्रोजक्ट में, बिजली में, सारी चीजों में पीछे है। अच्छा, नहीं भी है, तो प्लानिंग कमीशन आपके लिये इसलिये नहीं बैठा है कि आप नहीं पीछे हैं तब भी आपको दे। वह नहीं देगा और नहीं दे रहा है।

अन्त में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। बड़ी छोटी बात है लेकिन मैं समझता हूं कि कह दूं तो अच्छा है। कुछ वर्ष पहले कुछ भले आदमियों को इस प्रदेश में फैक्टरी चलाने के लिये साढ़े तीन करोड़ रुपया दिया गया। वह चन्द आदमियों को ही दिया गया है इसलिये बताने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जरा कृपा करके रऊफ साहब बता दें कि वह रुपया कहां है और उससे कितनी फैक्टरियां खुलीं। क्या यह सही नहीं है कि एक जगह को छोड़ कर वह रुपया जिस काम के लिये दिया गया था उसमें न लगाया जा कर दूसरे कामों में लगा हुआ है?

आखिर में आधे मिनट में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। एक सरकारी नौकर है उसके लिये हर एक आदमी चाहता है और इस विधान सभा की बनायी हुई पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का भी यह कहना है कि इस भले आदमी को यहां से छुट्टी दो लकिन सरकार उसको छुट्टी देने के लिये तैयार नहीं है। आखिर क्या बात है? मैं चाहता हूं कि काटेज इंडस्ट्री का जो माल बन कर आये वह लोगों को आकर्षित करे लेकिन उसके रहने से वह आकर्षित नहीं करता है। तो मैं नहीं समझता कि सारे लोगों के कहने के बावजूद भी सरकार क्यों इस बात पर अड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष--माननीय रघुनाथ सहाय, अब आप बाद में भाषण करेंगे ।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामेश्वर शरण सिंह, सेक्रेटरी, मजदूर कांग्रेस, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं रामेश्वरशरण सिंह, सेक्रेटरी मजदूर कांग्रेस, अमीनाबाद, लखनऊ के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आपके नोटिस में मैंने ला दिया है । कल मैं लिखकर सारा विषय भेज दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--हां, आप लिख कर भेज दें ।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग (क्रमागत)

*श्री रघुनाथ सहाय यादव (जिला फतेहपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस समय जो कुछ भी प्रगति उद्योगीकरण में हुई है वह वास्तव में सराहनीय है और उसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । लेकिन इन तमाम प्रयत्नों के बावजूद आज जो सफलता मिलनी चाहिये थी, जो अपेक्षित थी, वह नहीं मिल सकी है । इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो भी प्रयत्न किये गये हैं, उनमें हमारी सरकार की नीयत के बारे में कहा जाता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और उसका विचार ऐसा नहीं है कि उद्योगीकरण में ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले, ऐसी बात नहीं है । लेकिन कहीं न कहीं ढिलाई जरूर है । इस चीज को यदि हम स्वीकार कर लें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत कुछ प्रदेश का लाभ हो सकता है और भविष्य में काफी सतर्कता से काम किया जायगा, ऐसी संभावना है ।

आज जो कुछ भी उद्योगीकरण हुआ है, बड़े पैमाने पर, उसको छोड़ दीजिये । छोटे-छोटे उद्योग जो जिलों में फैले हुये हैं उनको बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उनकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिलों में जो उद्योगों को सहायता दी जा रही है उसका समुचित और सही नियंत्रण और निरीक्षण न होने के कारण आज अपेक्षित लाभ नहीं दे रहे हैं । यह एक विचारणीय विषय है । आज फतेहपुर में मैं देखता हूं कि एक समिति बनी हुई है । वहां कुछ कर्मचारी भी हैं और मूंज, सन इत्यादि से टाट-पट्टी बनाने का कार्य बहुत दिनों से चला आ रहा है और उसके बढ़ाने के लिये भी तरह-तरह के प्रयास किये गये हैं । लेकिन हमारे कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहेहैं वह बजाय इन उद्योगों को करने वालों को प्रोत्साहन देने के, एक नई श्रेणी उद्योग करने वालों को पैदा कर रहेहैं । वह अपने सम्पर्क के कुछ आदमियों की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर, उनको सहायता देना चाहते हैं और उसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं । हमारे नोटिस में यह आया है कि एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनी है जो मूंज उद्योग समिति के नाम से बनी है । मैंने जांच की तो एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसका मूंज उद्योग से कोई भी संबंध हो । आज मूंज का काम करने वाले उस पिछड़े वर्ग के लोग केवट और दूसरे लोग हैं जो कि गंगा के किनारे आबाद हैं । वहां पर मूंज की अधिक उपज होती है । सन का उद्योग करने वाले टाट पट्टी बनाने वाले ऐसे ही लोग यमुना के किनारे ज्यादातर आबाद हैं । वह अपने खाली वक्त में यह काम करते हैं । उचित तो यह था कि वास्तव में जो काम करने वाले हैं उनको इस समिति के द्वारा संगठित किया जाता और इस कार्य में लगाया जाता, उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य में प्रोत्साहन मिलता और उनको भी थोड़ा सा आर्थिक लाभ होता लेकिन विपरीत इसके यह हुआ कि नये-नये लोगों की समिति बनाई गई और समिति को फाइनेन्स करने का प्रयास किया गया । जब एक कमेटी ने इस प्रकार से प्रयास शुरू किया तो दूसरे लोगों ने भी देखा कि इनको तो व्यर्थ ही यह पैसा मिल रहा है और इसके यह अधिकारी हैं तो दूसरे लोगों ने समिति बनाई और उन्होंने प्रयास शुरू किया । नतीजा यह हुआ कि कोई भी कार्य नहीं हुआ । पैसा पूरा लैप्स हो रहा है और वहां पर जो उद्योग है यह जो मुख्य उद्योग करने वाले हैं वह अपनी दशा पर वैसे ही बने हुये हैं। नाना प्रकार के नुकसान के कारण आज हमारे कर्मचारी बिलकुल ही अपने लक्ष्य में फेल हो रहे हैं । आज जो देहात के कोने-कोने में इस तरह के उद्योग फैलाये जा सकते हैं उनको तब तक लाभ नहीं पहुंचेगा जब तक कि हमारा यह विभाग अपने उन कर्मचारियों के ऊपर समुचित नियंत्रण नहीं रखेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक योजना जो चलाई जाय उस योजना के अन्तर्गत कितना लाभ पहुंचता है, कितने व्यक्ति उससे लाभान्वित होते हैं इसका भी लेखा-जोखा रखने की जरूरत है । मुझे अपने गांव की एक मिसाल सदन के सन्मुख रख देने में संकोच नहीं है । वहां पर एक चर्खा केन्द्र खोला गया । उस चर्खा केन्द्र में काफी लोगों ने दिलचस्पी ली और भरती हुये । चरखे वहां पर चलने लगे और चरखा चला कर अच्छे से अच्छे नम्बर का सूत निकाला गया । उसमें काफी लोग ट्रेन्ड हुये लेकिन वे कर्मचारी जो इलाहाबाद से आये थे, वह दो व्यक्ति थे । उनमें कुछ त्रुटियां थीं । उनमें चरित्र की कमी थी । लोगों ने उनकी शिकायत की । हम लोगों के कानों तक भी यह चीज आई और उनकी शिकायतों को भेजा गया । नतीजा यह होता है कि वह दोनों कर्मचारी यह रिपोर्ट कर देते हैं कि इस गांव में चर्खा केन्द्र चल ही नहीं सकता । अब हुआ यह कि वहां से तुरन्त ही आदेश आ गये कि चर्खा केन्द्र वहाँ से हटा दिया जाय । कोई भी अधिकारी इस बात की जांच करने के लिये नहीं आया कि क्यों हटाया जाना चाहिये । केन्द्र में कितना कार्य हुआ और अभी तक इसका क्या नतीजा रहा । बावजूद तमाम दरख्वास्तों के कोई भी उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई । हुआ यह कि वह चर्खे एक किराये के मकान में बन्द कर दिये गये और वह साल भर से ज्यादा उस किराये के मकान में बन्द रहे । सैकड़ों रुपये उन चर्खों के रखने में व्यय हो गये । आखिर तक कोई आदमी नहीं आया । सरकार को पैसा भी देना पड़ा । केन्द्र बड़ी अच्छी तरह से संचालित हो रहा था, उसका परिणाम भी अच्छा था, लेकिन फिर भी कर्मचारियों की त्रुटियों के कारण वह केन्द्र असफल हुआ । कर्मचारी दूसरी जगह चले गये । इस प्रकार की मिसालें हमारे सामने हैं । अगर सरकार इतने अधिक व्यय पर परीक्षण करेगी तो मैं समझता हूं कि हम विरोधियों को यह कहने का मौका देंगे कि जनता का पैसा इस तरह से पानी में बहाया जा रहा है ।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाऊंगा कि हमारे यहां गृह उद्योग में और कई चीजें ली जा सकती हैं । फतेहपुर जिले में एक स्थान जाफरगंज है । नवाबी के जमाने में यहां अच्छी से अच्छी छपाई होती थी । एक दूसरा मुकाम किशनपुर है । वहां के लोगों नें बंम्बई में जाकर अच्छे-अच्छे छपाई के कारखाने खोल लिये हैं और वे वहां पर बड़ी सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं । अगर आज वे एक्सपर्ट समुचित सुविधा पायें तो अपने यहां आकर वे अच्छा काम कर सकते हैं और जिले को उससे बहुत अधिक फायदा हो सकता है । लेकिन हमारे कर्मचारी न तो उन तक पहुंच पाते हैं और न वे बेचारे यह जान पाते हैं कि हमारी सरकार की क्या स्कीम है और किस प्रकार वे लाभान्वित हो सकते हैं । इसी प्रकार हमारे यहां एक क्लास बेंत बनाने का खोला गया । हमारे कर्मचारी किस स्पिरिट से काम कर रहे हैं उसे मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक इंस्पेक्टर साहब शाह नाम के उस मुकाम पर गये । एक हफ्ता मुश्किल से गुजरा होगा कि उनके घर में पता नहीं किसने नफब लगा दी। वे साहब कलेक्टर के यहां पहुंचे । उस दिन कोई मीटिंग थी और मैं भी वहां था । कलेक्टर

[श्री रघुनाथ सहाय यादव]

साहब ने कहा कि यह आपके क्षेत्र की बात है, यह साहब वहां गये और इनके घर में नकब लग गई । पूछने पर मालूम हुआ कि माल कुछ चोरी नहीं गया, लेकिन नकब लग गई । वह कहते हैं कि वहां की जनता नहीं चाहती कि वहां पर किसी तरह का गृह उद्योग या कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाय । मैंने इसकी चर्चा वहां के एक प्रमुख आदमी, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस प्रेसीडेंट भी हैं, उनसे की और पूछा कि यह क्या बात है जो परदेशियों के साथ यह व्यवहार किया जा रहा है । इससे तो ग्रामीण जनता को लाभ ही होगा । उन्होंने कहा कि उन्होंने आते ही आते यह कहा था कि यह स्थान शहर से काफी दूर पड़ता है और इस स्थान पर . . . .

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे उद्योग मंत्री, माननीय हाफिज जी, इस प्रदेश से जा रहे हैं, आज का उनका विदाई का दिन है और दिल में ऐसी बात उठ रही है कि कोई कड़ुवी बात न कही जाय । उनका कसूर नहीं है लेकिन यह अवश्य है कि इस विभाग में बहुत गड़बड़ियां हैं । यही क्या, सभी विभागों की यह हालत है । मैं अपनी ड्यूटी की वजह से सिर्फ कुछ इशारा भर करूंगा । मैं उस ओर ध्यान दिलाना पर्याप्त समझूंगा जो हमारी कांग्रेस की डाक्टर बी० सी० राय की केबीनेट के बारे में उनके मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे, जुडिशियल मंत्री, ने कहा है । मैं उसमें सदन का अधिक समय नहीं लूंगा, सबने उसे अखबार में पढ़ा ही होगा ।

इसके अलावा अभी ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न आपके यहां पेश हुआ है । एक पर्चा हम सबको बंटा है । मैं नाम नहीं लूंगा और न मेरिट्स में जाऊंगा । लेकिन इतना है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स के मैनेजर के खिलाफ सिफारिश की थी कि उनका तबादला हो उसी से इसका कुछ सम्बन्ध है । माननीय गेंदासिंह जी ने भी कहा कि जब चारों ओर से ऐसी मांग है तो यह जम्हूरियत के खिलाफ जाता है कि सरकार अपनी कमेटी की भी सिफारिश न माने ।

श्रीमन्, फ़ूट यूटिलाइजेशन डाइरेक्टोरेट के खिलाफ तारीख २ दिसम्बर, १९५६ को भूतपूर्व एम०एल० ए० श्री भूपालसिंह खाती ने डेफिनिट चार्जेज लगाते हुये माननीय सी०बी० गुप्ता जी को जो उस समय प्लानिंग के मंत्री थे, लिखा था। प्रजा सोशलिस्ट सदस्य श्री प्रतापसिंह तथा श्री हरिदत्त कान्डपाल, एम० एल० ए० ने शायद मई में माननीय वित्त मंत्री को एक पत्र इस बाबत लिखा । तीसरे, नैनीताल जिले की भ्रष्टाचार कमेटी ने भी लिखा जिसके सदर कांग्रेसी एम० एल० सी० हैं । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि विरोधी पक्ष के लोग ही नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस के भी एम० एल० ए० और एम० एल० सी० कहते हैं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है । इसी विभाग से संबंधित कोई फर्म दौलतराम ऐन्ड सन्स है। उनके लड़के के साथ उसके भाई को ही भाई के मातहत डाइरेक्टर ने रखा यद्यपि बाद में शोर मचने पर उसे कानपुर बदल दिया गया। बाप की फर्म और बेटे की डीलिन्ग हो । कम्युनिटी कैनिङ्ग के भी दो आने ले लेते हैं । इसी तरह से अरोड़ा ब्रदर्स वगैरह हैं जो इससे नाजायज लाभ उठा रहे हैं । जिन पत्रों का मैं जिक्र कर चुका हूं उनमें तफसील के साथ कहा है कि रानीखेत में डाइरेक्टोरेट की नौकरियों में साम्प्रदायिकता बरती गई है । वहां की स्टेनो के बारे में जो लेडी थी, इश्तहार शाया हुआ है कि स्टेनो उनकी एडाप्टेड डाटर हैं, तो धर्मपुत्री को अपने ही विभाग में कैसे रख लिया ?

रामगढ़ का पता लगा है कि २०० पौंड की वहां की फैक्टरी की क्रशिन्ग की ताकत है लेकिन बायलर वहां ५० पौंड का ही रखा गया है । वहां के मैनेजर ने बताया जाता है यह कहा कि बायलर बदल दिया जाय लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । इसी तरह से दो मदरासी लेडीज ट्रेन की गईं मगर उनसे मिनिमम सर्विस का बान्ड भी नहीं लिया गया और वे चली गईं । बहुत सी बातें हैं, मैं कहां तक बताऊं ?

अब में कुछ सुझाव मंत्री जी के पेशेनजर करते हुये आशा करूंगा कि हाफिज जी कुछ करत जावेंग या अपने डिप्टी साहेब को हिदायत करते जावेंगे, अगर उनको समय न हो तो। मैंने एक दिन एक पत्थर यहां दिखलाया था। मैंने मुख्य मंत्री जी के पास ये धातु वाले कई पत्थर एग्जीबिट १, २ लगा करके, इस तरह से, भेजे हैं, नोट भी दिया है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। वह यह है कि वह पत्थर मैंने तभी उसके एक्सपर्ट के सुपुर्द कर दिये। उन्होंने बताया कि यह ऐसा है, यह ऐसा है। मैं मेम्बर साहेब को दिखा सकता हूं। आगे उसकी तहकीकात हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं माननीय उद्योग मंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी स्टेप लिया, वरना मुझे तो डर हो रहा था। बड़ी हाई परसेन्टेज का मैग्नेसाइट और लेड वहां निकला है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया के लोगों से भी मैंने सम्पर्क किया मगर उन्होंने कहा कि उनके प्रायर कमिटमेन्ट्स हैं, और यहां तवज्जह नहीं दे सकें। इसलिये मैंने प्रदेशीय सरकार का ध्यान दिलाया है। माननीय हाफिज जी केन्द्र में जा रहे हैं, वहां जाकर ही इस कार्य को कराने की कृपा करें। ऐसा न हो कि वहां जाकर हमें भूल जावें। खरही, रीठागढ़, कमस्यार, दारुण इत्यादि में मैग्नेसाइट बहुत निकलता है। गन्धक पगना में निकलती है। इसी तरह से लोहा भी निकलता है। हमारी सरकार ठीक से सर्वे नहीं कर पाई है। उनके पास शायद स्टाफ काफी और अच्छा न हो। दूसरे, वे कोमल पांव जो हजरतगंज में चलने के आदी हैं हमारे यहां ऊबड़-खाबड़ में नहीं चल सकते। इसलिये वहां के लिये लोगों को ट्रेन किया जाय। एक एक्सपर्ट, ब्लेड साहब गवर्नमेंट आफ इण्डिया के आये थे। वह शाम को वहां पहुंचे और सुबह को चल दिये, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी होगी ? कापर के लिये कहा गया कि कम है। उन्होंने ४, ६ फीट ही गहरी जगह खोदकर कह दिया कि परसेन्टेज कम है। वहां के लोग अपने प्रिमिटिव तरीके से तांबा निकालने में सफल हुये थे। वहां उस तांबे के हजारों की संख्या में बर्तन मौजूद हैं। वहां ड्रिलिंग होने से मिनरल रिसोर्सेज का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। तभी पूरी जांच हो सकती है।

वहां की चीड़ की लकड़ी का कलकत्ते में जाकर कागज बनता है, तो क्यों नहीं उसे उत्तर प्रदेश में ही कागज बनाने के लिये इस्तेमाल किया जाय ? चीड़ के पत्तों की जांच हुई थी। उसका क्या हुआ, सदन को बताया जाय। ऐसबेस्टस की इन्डस्ट्री हल्दवानी और नैनीताल में बड़ी अच्छी हो सकती है। हमारे यहां गांव टूट रहे हैं, चार हजार रुपया देने का वादा किया था मगर वे भी नहीं पहुंचे। खड़ी, जिसका टैलकम पाउडर बनता है, वहां बहुत है। वहां दधीच की हड्डी वज्र बनी थी, तो क्यों नहीं खड़िया को एक्सप्लायट किया जाय ? पिरोजा व तारपीन वहां चीड़ व देवदार से बहुत ज्यादा निकल सकता है। टेहरी गढ़वाल व अल्मोड़ा में यह उद्योग बहुत हो सकता है। वहां श्री बिशनलाल ने यह उद्योग स्थापित किया है, और भी लोग तैयार हैं। लीसा जिस कीमत पर वहां निकलता है उसी पर उन लोगों को दिया जाय, लेड (सीसे) के साथ ही साथ यूरेनियम भी मिलने का अन्दाजा है। लेंड के बारे में मैंने केशवदेव मालवीय जी को एक पत्र लिखा था। उनके सेक्रेटरी ने उसका जो जवाब दिया है वह इस प्रकार है—

"As regards lead, it was found that the ore content varied widely from place to place, but that mineralization was fairly extensive over a wide region. It has been suggested that large scale prospecting may be carried out to ascertain the extent of depth, grade and disposition of the ore body. This work will be undertaken having regard to the other prior commitments of the bureau."

अब इस ब्यूरो के कमिटमेंट्स दूर-दूर हैं। मैग्नेसाइट के बारे में अब और तवज्जह दिला दूं। हमारे यहां का मग्नेसाइट रूरकेला और भिलाई के प्लान्टों में काम आयेगा। यह धातु भारत में केवल राजगोपालाचार्य जी के यहां जिला सालम में मिलता है। लेकिन हमारे यहां का धातु भिलाई से बमुकाबले सालेम के १७५ से ६७५ मील नजदीक पड़ेगा।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

श्रीमन्, टनकपुर से बागेश्वर तक रेल की मांग हमारी बहुत दिनों की है, उस मांग को आपको केन्द्र से प्रेस करना चाहिये । अंग्रेजों के जमाने में वह नापी गई थी । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अब गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा है । अगर रेलवे न हो सके तो कम से कम रोपवे तो जरूर बना दिया जाय । इसके अलावा हमारे यहां माइका भी बड़े अच्छे किस्म की मिलती है ।

जहां तक बिजली का सवाल है उसकी कारखानों की पावर के लिये बहुत ज्यादा आवश्यकता है । इसके अलावा आप जो डैम्स बनाते हैं उसके लिये आपको चारों ओर से दीवार चिनी पड़ती है । हमारे यहां घाटियां तंग और गहरी होती हैं । वहां पर आसानी से बांध बनाये जा सकते हैं । पूर्वी जिलों में जो बाढ़ आती है उसको भी रोका जा सकता है । इसके अलावा जो पानी उत्तर प्रदेश में बरसता है उसका दो-तिहाई पानी पहाड़ों पर बरसता है, इसलिये उसको वहीं रोक कर समय पर वह काम आ सकता है । वहां पर चीप और पुख्ता बांध आसानी से बनाये जा सकते हैं ।

एक प्रार्थना आपसे और करूं कि हमारे यहां आप कृपा कर अमेरिकन ऐक्सपर्ट्स को न भेजें । रूस के या अन्य ऐक्सपर्ट्स भेजें जो जरा दिलचस्पी के साथ देखें । रूस ने जो अपना कारखाना बनाया है वह कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है । मैं यह नहीं कहता कि मैं रूस का हिमायती हूं, या उनकी सब बातें ठीक समझता हूं ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुदान पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस वक्त हमारा देश और प्रदेश योजना के युग से गुजर रहा है । पहली योजना हमारी कृषि प्रधान योजना थी और उसमें जो भी हमारा लक्ष्य था, उसे हमने पूरा ही नहीं किया बल्कि हम उससे आगे भी बढ़ गये । इस वक्त हम दूसरी योजना से गुजर रहे हैं और इस योजना में इंडस्ट्रीज को ज्यादा महत्व दिया गया है । यह नहीं है कि कृषि को छोड़ दिया गया है लेकिन हमारी जो यह योजना है वह औद्योगिक योजना है । इंडस्ट्रीज के बारे में बातचीत करने के पहले मैं जरा पापुलेशन के बारे में कुछ आंकड़े बतला देना चाहता हूं । हमारे प्रदेश का पापुलेशन बेशुमार बढ़ता चला जा रहा है । सन् १९०१ में जो पापुलेशन था वह सन् १९५१ में बढ़ कर ड्योढ़ा हो गया । यहां भुखमरी की और गरीबी की भी चर्चा होती है लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि इसके कारण क्या हैं । सबसे बड़ा कारण इस वक्त हमारे यहां भुखमरी और अनएम्प्लायमेंट का है, वह दिन रात इस तरह से पापुलेशन का बढ़ना ही है । यहां के पापुलेशन में से ज्यादातर लोग देहातों में रहते हैं । ८६ परसेंट पापुलेशन रूरल एरिया में रहती है और १४ परसेंट पापुलेशन अरबन एरिया में रहती है । दूसरे और स्टेटों के मुकाबले में औद्योगिक मामले में हमारा स्टेट बहुत पिछड़ा हुआ है और इससे साफ जाहिर होता है कि यहां खेती के अन्दर ४३२·८५ लाख आदमी लगे हुए हैं, और खेती के अन्दर जो लैंडलेस लेबरर्स लगे हैं वह ३६·१२ लाख हैं, प्रोडक्शन के अन्दर ५३·१ लाख हैं, कामर्स के अन्दर ३१·८० लाख हैं, ट्रांसपोर्ट के अन्दर ८० लाख हैं, और नौकरियों तथा दूसरी चीजों के अन्दर जो लगे हुए हैं, वे ६९·७८ लाख हैं । इस तरह से मालूम होता है कि ७५ प्रतिशत आबादी एग्रीकल्चर में लगी हुई है और ३६ प्रतिशत आबादी नानएग्रीकल्चरल कामों में लगी हुई है । जब तक हम अपने यहां इंडस्ट्रीज को नहीं बढ़ायेंगे, उस वक्त तक हमारे प्रदेश से भुखमरी और अनएम्प्लायमेन्ट की समस्या हल नहीं होगी । अगर दूसरे प्रदेशों को देखें, अगर बाम्बे को देखें तो बाम्बे राज्य के अन्दर ३९ परसेंट आदमी इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं और केवल ६१ प्रतिशत आदमी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं । तो हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की है ही लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी देखना पड़ेगा और इस पर सोचना पड़ेगा कि यह पापुलेशन जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, उसको किस तरह से रोका जाय । ऐसे इस अनुदान से उसका तो कोई सम्बन्ध नहीं

है लेकिन में इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग किस प्रकार से हो, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी यह समस्या हल हो सकेगी।

इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन करते हुये हमको यह भी देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज में हमारे यहां क्या क्या दिक्कतें हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या दिक्कतें हैं, काटेज इंडस्ट्रीज में क्या दिक्कतें हैं। पहले प्लान के अन्दर जो कार्य किया गया है उसमें सबसे कम कार्य काटेज इंडस्ट्रीज के लिये हुआ है। इंडस्ट्रीज को चलाने के लिये जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वह रा मैटीरियल, पावर, लेबर और फाइनेन्स की होती है। हमारे यहां प्रोडक्टिव कैपिटल और स्टेटों के मुकाबले में बहुत कम है। अब जरा बम्बई को देखें, बम्बई के अन्दर सन् १९५२ में प्रोडक्टिव कैपिटल २३७·८ करोड़ रहा जब कि हमारे उत्तर प्रदेश में केवल ७६·९८ करोड़ ही कैपिटल लगा और सभी ने ५१ प्रतिशत इस मामले में प्रगति की है। जनरल एवरेज सब के लिये ५२ परसेंट आता है, जब कि उत्तर प्रदेश में केवल २१ परसेंट ही प्रगति हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी हिंडरेंस जो इसके अन्दर है वह कैपिटल की है, और यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है।

विरोधी दल की तरफ से अक्सर भाषण होते हैं कि सरकार की तरफ से इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। जब कि दूसरे प्रदेशों में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लाकर यहां कोई इंडस्ट्री लगायी जाती है तो विरोधी दल की तरफ से यह कहा जाता है कि फेवरिटज्म हो रहा है और उनको तरह-तरह के प्रलोभन दिये जाते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारे प्रदेश के अन्दर या देश के अन्दर कोई पब्लिक सेक्टर की बात आती है और कोई इंडस्ट्री कायम की जाती है तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी की जाती है कि इसमें प्राफिट बहुत कम हुआ। और यदि प्राइवेट कैपिटल की तरफ ध्यान दिया जाता है तो कहा जाता है कि फेवरटिज्म हो रहा है, किसी की आलोचना करना आसान है लेकिन आजतक कोई ठोस सुझाव विरोधी दलों की ओर से नहीं आया कि किस तरह से प्रगति की जा सकती है।

जहां तक पब्लिक सेक्टर का सम्बन्ध है उसमें एक बड़ी समस्या है कि हमारे देश में ट्रेन्ड पर्सोनल की बहुत कमी है। मैं सरकार का इस तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि इस तरह के आदमियों के लिये हमें एक अलग केडर बनाना चाहिये। हर काम में आई० ए० एस० और पी० सी० एस० सर्विसेज वालों को जो लगा दिया जाता है इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि हर काम को चाहे वह किसी भी औद्योगिक कन्सर्न का हो या किसी तरह का भी काम हो यह लोग कैसे कर सकते हैं जब कि उसके लिये एक खास तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। जब कि हम अपने यहां देखते हैं कि पुलिस के लिये अलग केडर है, इंजीनियर्स का एक अलग केडर है, कृषि के लिये एक सेपरेट केडर है तो हम अपने यहां इंडस्ट्री के लिये भी एक अलग केडर क्यों न बनायें। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको रिक्रूट करें और एक कमर्शियल किस्म का ट्रेनिंग उनको दें ताकि वह इस तरह के कारखानों का मैनेजमेंट आदि सुचारुरूप से चला सकें। इस वक्त हो यह रहा है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर का काम होता है तो इन्हीं आई० ए० एस० और प्रादेशिक सर्विस के अफसरों को भेज दिया जाता है जिनको इन उद्योगों को चलाने का कोई ज्ञान नहीं होता और उनको पता तक नहीं होता कि किसको इंडस्ट्री का चलाना कहते हैं।

आप के द्वारा मैं मंत्री जी का थोड़ा सा ध्यान काटेज इंडस्ट्री की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। पिछले सालों में काटेज इंडस्ट्री में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अब ज्यादातर रुपया काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। इस विषय में खास सोचने की बात यह है कि उसके द्वारा हम अपने यहां का अनएम्पलायमेंट कम कर रहे हैं या नहीं, बेकारों को रोजगार मिल रहा है या नहीं? इसके द्वारा लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग भी बढ़ना चाहिये। मेरा खयाल है कि इस समय रूरल क्षेत्र की

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

तरफ ज्यादा विकास कार्य किये जायं क्योंकि वहां पर बेकारी की और स्टैन्डर्ड आफ लिविंग के लो होने की प्राबलम ज्यादा है। इस सम्बन्ध में मैं एक बहुत छोटी सी बात माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं और वह यह है कि अगर कोई अरबन एरिया में बिजली लेता है तो उसके कोई मेंटेनेन्स चार्जेज नहीं लिये जाते लेकिन रूरल क्षेत्र में ५२ रुपया प्रति मील के हिसाब से मेंटेनेन्स चार्जेज लिये जाते है और अगर उसी लाइन से तीन, चार कनेक्शन और लिये जाते हैं तो भी उसी ५२ रुपए के हिसाब से सबसे लिया जाता है। यदि मंत्री जी और सरकार रूरल क्षेत्र को डेवलप करना चाहते है तो वहां भी सस्ती दर पर बिजली दी जानी चाहिये क्योंकि देहात में तो सामान की दिक्कत है, ट्रान्सपोर्ट की दिक्कत है मार्केटिंग की दिक्कत है और टेक्निकल एडवाइस भी लोगों को नहीं मिल पाती और इन सब के बाद भी अगर वहां पर बिजली भी ऊंची दर पर मिलेगी तो काटेज इंडस्ट्री वहां डेवलप नहीं कर सकती और वहां के लोग अरबन एरिया से कम्पीट नहीं कर सकते। ज्यादा उचित तो यह हो कि सरकार की ओर से जो भी कोई छोटा उद्योग लगाना चाहे उसे फ्री टेक्निकल एडवाइस मिले और पूरी स्कीम बनाकर दी जाय कि क्या-क्या रा मैटीरियल चाहिये, कैसे चलाई जायेगी, कितनी कास्ट आयेगी, कैसे मार्केटिंग की सुविधा मिल सकती है, भले ही उसका कोई मुनासिब चार्ज सरकार मुकर्रर कर दे और जो आदमी वह एडवाइस लेना चाहे उससे सरकार चार्ज कर ले।

इसके अलावा हमारे यहां पावर के रेट्स दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। मैं साधारण सा उदाहरण आप के सामने दूंगा कि लखनऊ में लाइट एन्ड फैन के लिये बिजली का रेट पौने ४ आना पर यूनिट है जब कि हमारे यहां उझियानी, जिला बदायूं में वह ८ आना प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिये पावर बहुत जरूरी और अहम चीज है, इस जमाने में हम कोयले पर डिपेंड नहीं कर सकते वह वक्त से मिलता भी नहीं और काम ठीक से नहीं चल पाता। इसलिये यह जरूरी है कि और प्रदेशों के मुकाबले में हमारे पावर के रेट कम किये जायं और कम से कम पूरे प्रदेश में तो एक से रेट रहें। इसके अलावा श्रीमन्, थोड़ा सा मैं गुड़ और खांडसारी इंडस्ट्री के बारे में भी कहना चाहता हूं।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मदन पांडेय ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज हमारी सरकार कैपिटलिस्टों की सरकार हो रही है। गरीब जनता की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। आप देखें कि आज पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता है मगर कई करोड़ रुपया सेस के रूप में मिल मालिकों के जिम्मे बाकी है और करोड़ों रुपया मजदूरी का मजदूरों को वक्त पर नहीं मिल रहा है। एक बात और भी है जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फैक्ट्रियां बड़ी देर से चलायी जाती हैं यानी दिसम्बर के महीने में चलायी जाती हैं जबकि आप जानते हैं कि यहां पर गन्ने की बुआई सितम्बर के महीने में शुरू हो जाती है और अर्ली वेराइटीज जिनकी सोइंग सितम्बर में होती है जल्दी पक जाती हैं। सीजन देर में शुरू होने के कारण मई और अप्रैल के महीने में गर्मी के दिनों में वह गन्ना पेरा जाता है जबकि गन्ने का अधिकांश रस सूख जाता है। करीब ३३ परसेंट रस गन्ने का सूख जाता है जिसका खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। इस तरह से आप देखें जो कुछ भी नुकसान हो रहा है वह किसानों का हो रहा है। इसलिए सरकार को यह चाहिये कि फैक्ट्रियों का सीजन अक्तूबर से ही शुरू करे। इसके लिए प्रान्तीय सरकार यह कहेगी कि यह केन्द्रीय सरकार से तय होता है। तो क्यों नहीं प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखती है कि इस तरीके से जो घाटा होता है किसानों को, वह बचाया जाय? आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में जहां कि सींच-सींच कर गन्ना पैदा किया जाता है, मई और जून की लू में वहां के किसान मेहनत करके वह गन्ना सींच्चते हैं, उनकी बिक्री होती है नेक्स्ट मई तक। आप सोचें कि अगर यह गन्ना दिसम्बर या

जनवरी तक बिक जाय तो यह जो ३३ परसेंट तक रस सूख जाता है इससे उनको जो नुकसान उठाना पड़ता है, उस नुकसान से वह बच जायं ।

गोंडा जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ जिला है । मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस जिले की तरफ विशेष ध्यान दें । आज यह देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वह बड़े-बड़े शहरों में खोली जाती हैं जैसे कानपुर, वाराणसी, आगरा इत्यादि जहां कि वैसे ही तमाम इंडस्ट्रीज हैं और हमारे पूर्वी जिलों के मजदूर इतने दूर जाकर मजदूरी करते हैं । तो क्या वजह है कि जो पिछड़े हुए जिले हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान न दिया जाय ? आज सरकार का ध्यान इस तरफ विशेष होना चाहिए, वहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम किये जायं जिससे कि वह तरक्की कर सकें और जो यह बड़े-बड़े शहर ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, वह भी उससे बचे रहें । मान्यवर, मैं आपके द्वारा कुछ और सुझाव अपने गोंडा जिले के बारे में, वृहद् और लघु दोनों प्रकार के उद्योगों के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना चाहता हूं । हमारा जिला उद्योगों की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ जिला है ही । यहां पर उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । हमारे जिले से कच्चा माल बहुत सा बाहर जाता है । मसलन् हमारे जिले में अगर एक कागज का कारखाना तुलसीपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में खोल दिया जाय तो वह बड़ी अच्छी तरह से वहां चल सकता है । उस तरफ बनकस, सवाई घास और यह जो शुगर के कारखानों से बगास निकलता है वह कागज बनाने के लिये बहुत काफी मात्रा में प्राप्त हो सकता है । वहां से ५६,६७१ मन बनकस बाहर ले जाते हैं । इसलिए उस तरफ अगर एक कागज का कारखाना खोल दिया जाय तो अत्युत्तम होगा । दूसरे उद्योग के सिलसिले में मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में वनों की भी बहुतायत है जहां से लगभग २ लाख मन लकड़ी बाहर भेजी जाती है । इतनी ज्यादा लकड़ी वहां पाई जाती है फिर भी वहां कोई लकड़ी के सीजन का कारखाना नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक लकड़ी सीजन करने का प्रशिक्षण केन्द्र तथा कारखाना रेहराबाजार में स्थापित कर दिया जाय जिससे वहां से लोग सीजन्ड लकड़ी प्राप्त कर सकें और उसका फर्नीचर आदि बनाने में इस्तेमाल कर सकें ।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां उन्नतशील यन्त्रों द्वारा जूट, सन, और बनकस की रस्सी बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा सकता है । करनलगंज, नवाबगंज, तुलसीपुर, परसपुर में जूट, सन और बनकस काफी मात्रा में प्राप्त होता है । ५६,६७१ मन बनकस तथा ३१,८८६ मन जूट हमारे यहां से बाहर भेजा जाता है । अगर करनलगंज में सुतली और बोरा वगैरह बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाय तो उससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी ।

हमारे यहां कसकुट के बर्तनों का उद्योग भी था । खरगूपुर, मछली गांव और उतरौला आदि में काफी मात्रा में कसकुट के बर्तन बनाये जाते थे । यहां पर एक औद्योगिक कोआपरेटिव संस्था खोली जाय और जो बर्तन बनाने वाले हैं इनको अनुदान के रूप में रुपया दिया जाय जिससे इस क्षत्र का बर्तन का उद्योग फिर से चालू हो जाय और गांव में जो बेरोजगारी की समस्या है, उसका भी निराकरण हो सके ।

श्रीमन्, हमारे यहां से कच्चा चमड़ा काफी मात्रा में बाहर भेजा जाता है । ४,३०० मन कच्चा चमड़ा कानपुर आदि को भेजा जाता है और फिर वह वहां से शोध हो कर आता है । यदि सादुल्लानगर में चर्मशोधन का प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया जाय जिसमें पंचायतों तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के लोगों को प्रशिक्षण किया जाय तो वह लोग भी अपने क्षेत्रों में जाकर इसको सिखा सकेंगे और जो चमड़ा आज बाहर चला जाता है वह न जा पाये और उसका उद्योग वहीं पनपे ।

इसी तरह से हमारे यहां चावल की भूसी भी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है । चावल की भूसी से ऐक्टीवेटेड कार्बन बनाया जा सकता है । मेरी मांग है कि बलरामपुर में एक कारखाना

[श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह]

खोला जाय जिससे जो चावल की भूसी अभी तक केवल जलाने के ही काम में आती है वह बच जायगी और लोगों की बेरोजगारी भी दूर होगी।

लाखों मन हड्डी भी हमारे जिले से बाहर भेजी जाती है। अगर गोंडे के अन्दर हड्डी की खाद बनाने का कारखाना बना दिया जाय तो लोगों को रोजगार मिलेगा और हम आसानी से रासायनिक खादों को प्राप्त कर सकेंगे जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो पुस्तिका हम लोगों को उद्योग विभाग की तरफ से वितरित की गई है उसको पढ़ने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे मंत्रिमंडल को प्रान्त के उद्योगों से बड़ी भारी जानकारी है यह भी मालूम पड़ता है कि मंत्रिमंडल इस बात के लिये बड़ा प्रयत्नशील है कि इस प्रान्त की औद्योगिक उन्नति हो जिससे जनसाधारण का रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठ सके। परन्तु जब हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं कि यह कहां तक कार्यान्वित हो रहा है तो हमको बड़ा खेद होता है। मैं समझता हूं उसका दोष केवल हमारे मंत्रिमंडल पर नहीं है या केवल अधिकारियों पर नहीं है। मैं समझता हूं उसका दोष यहां के प्रान्त के व्यापारी वर्ग का भी है। आज देश और प्रान्त के व्यापारी जहां इस दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारे प्रान्त की उन्नति हो वहां हम यह भी देखते हैं उनमें एक प्रकार की शिथिलता है और हमारे अधिकारी इन व्यापारियों को उनके काम में कोई प्रोत्साहन नहीं देते। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमारे प्रान्त का औद्योगिक सर्वे नहीं हुआ। हम यह जानते हैं कि यू० पी० में छोटे-छोटे उद्योगों के पनपने की बड़ी गुंजाइश है लेकिन हम देखते हैं कि उसके लिये कोई प्लानिंग नहीं की गयी जिससे उन उद्योगों के लिये जरिये पैदा किये जा सकें।

यू०पी० में सबसे बड़ी कमजोरी यह नजर आती है कि छोटे-छोटे उद्योगों के लिये जो अनुदान या कर्ज दिया जाता है उसका माध्यम नकद धनराशि होती है। ज्यादा अच्छा होगा कि उसे मशीनरी या काइंड में दिया जाय बजाय इसके कि कैश में पेमेंट किया जाय। कैश में देने से उसका दुरुपयोग होता है। बाद में वे लेने वाले अपने को दिवालिया करार दे कर यू० पी० के लिये एक समस्या पैदा कर देते हैं। साथ ही वह अनुदान या कर्ज देते समय यह नहीं देखा जाता कि वास्तव में जो इसको ले रहा है वह उसका अधिकारी भी है या नहीं। कभी तो कर्ज और अनुदान सोसाइटीज के नाम से लिया जाता है। कुछ मनचले लोग कोआपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। वास्तव में उनमें उस कार्य को करने की क्षमता नहीं होती। वे केवल इसलिये सोसाइटी बना लेते हैं कि गवर्नमेन्ट से सहायता मिल जाय। इंडस्ट्रियल इस्टेट में भी वे इसके लिये बसते हैं। अभी कानपुर में एक इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बन चुकी है। आगरा में अभी तक बन नहीं पायी है। मैं नहीं कह सकता कि आगरे के अन्दर दो साल से जो इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने का प्रश्न विचाराधीन है उसका निर्माण अभी क्यों नहीं शुरू हुआ और लाखों रुपया अब तक खर्च हो चुका। स्कीम तो हम बना लेते हैं लेकिन उसको बहुत समय के लिये टाल देते हैं। यह चीज बहुत गलत है।

गवर्नमेन्ट ने जो पायलट प्रोजेक्ट्स खोले हैं या जो ट्रेनिंग स्कूल चलाये हैं उनके अन्दर एक बड़ी विचित्र प्रणाली काम कर रही है। गवर्नमेन्ट ने कुछ यह भी निश्चय किया है कि इन ट्रेनिंग स्कूलों से जो शिक्षित हो कर युवक आयेंगे उनको गवर्नमेन्ट अपनेकाम में या उससे संबंधित महकमे में नौकरी ही देगी। इस आधार पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो उस उद्योग की बिल्कुल जानकारी नहीं रखते केवल इसलिये वहां जाकर ट्रेनिंग लेते हैं कि उनको गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी और इस प्रकार अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे। उनका ध्येय यह नहीं होता कि वे देश की कुछ उन्नति करेंगे या देश के उस उद्योग को कुछ प्रोत्साहन देंगे। यही चीज विदेश में भेजते समय मैं देखता हूं। हम अधिकांश उन अधिकारियों को विदेश भेजते हैं जो उस महकमे में कार्य करते होते हैं लेकिन जिनको उस कार्य का कोई ज्ञान नहीं होता। आगरे में मैंने देखा कि कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिये जर्मनी या अन्य जगहों

पर भेजे गये हैं चर्म उद्योग को सीखने के लिये। मैंने देखा कि वहां से तथाकथित कास्ट हिन्दुओं को भेजा गया और उन नौकरी पेशा लोगों को भेजा गया जिनको उस काम में कोई भी जानकारी नहीं है। जिन्होंने न खुद काम किया, न उनके पुरखों ने काम किया और एक तरफ उस तबके को इस तरह से छोड़ दिया गया जिसका वह पुश्तैनी पेशा रहा है, उसको खत्म कर दिया गया। क्या इस तरह हम ऐसे आदमियों को जो कि काम से दिलचस्पी नहीं रखने, जोकि वास्तव में हाथ से काम करना भी नहीं चाहते ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं? क्या इससे देश की उन्नति या प्रान्त की उन्नति हो सकेगी? मुझे इसमें बड़ा संदेह है।

अभी एक माननीय सदस्य ने यू०पी० हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में कुछ यहां जिक्र किया था। मैं भी उसके बारे में यह जिक्र करना चाहता हूं कि जिस समय यू०पी० हैंडीक्राफ्ट्स के शो-रूम को देखने का अवसर मिलता है तो ऐसा मालूम होता है कि इसके अन्दर आवश्यकता की चीजों का जमाव नहीं है और यहां ऐसी चीजें नहीं बनतीं जिनसे जनसाधारण या यू० पी० की गरीब जनता का कोई फायदा हो सके। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार उन उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है जोकि अमीरों के रहन-सहन की चीज है और मैं तो यह कहूं कि आज हिन्दुस्तान के अमीरों को नहीं विदेश के अमीरों के उपयोग की चीज है। मैं एक गलीचे का उदाहरण देता हूं और ३०-३०, ४०-४० हजार की कीमत के गलीचे वहां पर रखे हुये हैं। मैं नहीं कह सकता कि हिन्दुस्तान का ऐसा कौन सा अमीर है, वह राजा और महाराजा तो रहे नहीं जो इन बेशकीमती चीजों को खरीद सकेंगे। दूसरी चीजें जो नजर आती हैं वह रूम को सजाने, ड्राइंग रूम को सजाने की हैं। मैं नहीं कह सकता कि जनसाधारण का इससे क्या फायदा होगा। इन चीजों को प्रोत्साहन देने से तो मैं यह कहूंगा कि हम उन इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे हम यू० पी० की गरीब जनता की रोटी का सवाल हल करने में कोई भी सहारा नहीं हो सकेंगे। अगर आप इनके अलावा होम इंडस्ट्रीज को, उन उद्योगों को प्रोत्साहन दें जिससे कि यहां की गरीब जनता का पालन-पोषण हो और जिससे हिन्दुस्तान की अनएम्प्लायमेन्ट प्राब्लम का हल हो, तो मैं समझता हूं कि हम अपने देश और प्रान्त की बड़ी भारी भलाई कर सकेंगे।

इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो आज इंडस्ट्रियलिस्ट्स को होती है वह पावर की है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि यहां पर कोयले का अभाव रहता है, वह ईस्ट से, बिहार से आता है, परन्तु पावर जोकि हमको उपलब्ध है उसके लिये भी हमको बड़ी कठिनाई होती है उद्योग के वास्ते। उदाहरण के लिये कहता हूं कि अभी एक साल हुआ, आगरे में जैसे तैसे कुछ उद्योग करने वालों को पावर का सैंक्शन हुआ था, परन्तु अभी पिछले १०-१५ दिन हुये इस प्रकार के आर्डर्स वहां पहुंचे कि जिन लोगों को पावर सैंक्शन हो गयी है वह अब उनको न दी जा सकेगी। मैं नहीं कह सकता कि हम इस प्रकार कैसे अपने प्रान्त के उद्योग को बढ़ा सकेंगे जबकि हम उसके लिये जो बहुत आवश्यक चीज है उसका भी सहारा लोगों को न दे सकेंगे। यदि वास्तव में हम अपने प्रान्त की उन्नति करना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि हमें उसके लिये पहले सर्वे करना चाहिये। हमारा प्लानिंग हो और इस प्रकार से हो जिसमें हम यह देखें कि हमारे यहां एम्प्लायमेंट बढ़ सकेगा, लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सकेंगे और जोकि पुश्तैनी काम करते चले आ रहे हैं उनको हम इस प्रकार की शिक्षा दे सकेंगे कि हमारे यहां अच्छी क्वालिटी बन सकेगी।

यू०पी० के अन्दर कपड़े के उद्योग के बाद अगर किसी चीज का नम्बर आता है तो वह चमड़ा है जिसको सरकार भी मानती है। मगर मैं देखता हूं कि चमड़े के उद्योग के अन्दर यू०पी० में एक बड़ी ही विचित्र नीति है कि इस काम के करने वालों को बिलकुल ही खत्म किया जा रहा है। जो स्किल्ड लेबरर्स हैं उनको किसी प्रकार की भी सहायता नहीं दे पा रहे हैं और बार-बार कहने के बाद भी उद्योग मंत्री ने यह खयाल नहीं किया कि आगरे की इस

[श्री छत्रपति अम्बेश]

इंडस्ट्री के लिये किस तरीके से सेल्स टैक्स को लगाया जाय कि उनको भी फायदा हो सके और छोटे उद्योग वहां पनप सकें। मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें। अभी आगरे से रूस को तो जूते सप्लाई हो गये लेकिन पोलैंड के लिए सारे जूते रुक गये। इसका कारण यह है कि यहां अच्छा मैटीरियल नहीं मिल पाता। हिन्दुस्तान के अन्दर चमड़ा इतना अच्छा शोधित नहीं होता कि बढ़िया जूते बन सकें। इसलिये इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने उद्योग के लिये रुपया तो बहुत बिखेरा लेकिन बेमौके और बेमौजूं बिखेरा। ऐसी जगह दिया जहां से उसके लौटने की आशा ही नहीं रही और न कोई देगा। मैं जिला बदायूं का रहने वाला हूं, वहां भी बहुत से उद्योग खुले। खजूर से गुड़ बनाने का उद्योग वहां खोला गया जिसमें १०,९९७ रुपया खर्च किया जाता है। लेकिन बदायूं में गन्ना इतना पैदा होता है कि मई तक मिल को पेर नहीं मिलता, किसानों को डाल नहीं मिलता, गुड़ बनता है, भठिठयां चलती हैं। वहां पर खजूर का गुड़ बन रहा है, सैंटर इन्स्पेक्टर बने हुये हैं, केन्द्र खुला है और एक दूकान खुली है। भला सोचिये, जब लाखों मन गुड़ वहां वैसे ही बनता है तो खजूर के गुड़ का क्या काम जिस पर हमारी सरकार १०,००० रुपया खर्च कर रही है।

आगे चलिये। हमारे जिला बदायूं में तीन बातें अजीब हैं। एक तो मूंगफली की हमारे यहां बहुत उपज है, दूसरे कपास की और तीसरे गन्ने की। मूंगफली की हालत तो यह है कि हजारों मन मूंगफली होती है, मशीनों से उसके छिलके के ढेर के ढेर लगे हैं, चार आने मन पर भुरजी भाड़ में झोंकता है और उसका कोई उपयोग नहीं होता। अगर उस छिलके को काम में लाया जाय तो सरकार उसे बहुत उपयोग में ला सकती है।

इसके अलावा हमारे यहां सरकार ने एक ओसावां केन्द्र खोल रखा है जहां बढ़ईगीरी का उद्योग है। उस पर ५४,००० रुपये लगे हैं। एक लोहारगीरी का उद्योग है जिस पर २२,७१० रुपये लगे हैं और एक चर्मकारी का केन्द्र है जो मोहल्ला शाहबाज में है, उस पर १५,००० रुपये लगे हैं। इसके अलावा आसदपुर एक केन्द्र है जहां चर्खा संघ है। वहां की हालत यह है कि जो इंस्पेक्टर हैं वे थान देखते हैं कि कितने थान बुने गये। उन्होंने थान मंगवाये और अपनी किताब में दर्ज किया और तीन गज की उनको छूट दे दी और अपने में दर्ज किया कि हमने बुनवाया। यह हालत हो रही है खद्दर वालों की। दो आना एक गुन्डी पर सबसिडी दी जाती है कातने वालों की। हम बड़े मजबूर हैं। एक तो अम्बर चर्खा चल गया और एक पुराना चर्खा है। अम्बर चर्खे की कताई भी हमारे यहां हो रही है। केन्द्र खुला, दो ट्रेनिंग वाले गये। वे ठहरे नहीं। लड़कियों को सिखाया और चौथे दिन चल पड़े कि यहां तो कोई सीखता ही नहीं। अरे, जब घर-घर चर्खा सीखने वाले गांव में मौजूद हैं तो अम्बर चर्खे को हम क्यों नहीं सीखेंगे ? हमारे यहां तो कताई जरूरी चीज है। लेकिन वहां पर अधिकारी वर्ग और काम करने वाले सिर्फ नौकरी की खातिर आते हैं। हम तो तब जानें, जब वे उसी चर्खेसे जिस से हम को रोटी देने चले हैं, खुद कमा कर खायें। उन्होंने तो सिर्फ हाथ में चर्खा ले लिया और बैठ कर बताया और तार मिला दिया, कातो भैया। इस तरीके से कोई असर नहीं पड़ता।

अब रहा यह कि हमारे यहां चमड़े का उद्योग खुला हुआ है। यह एक खास व्यक्ति की जायदाद है और उसमें कोई तरक्की नहीं हो सकी है। मशीनें सिलाई की दी गई हैं, साबुन बनाने के कारखानों को रुपया दिया गया है। लेकिन किसी ने आज तक वहां नहीं देखा कि उन मशीनों पर कपड़ा सिया जा रहा है या नहीं, आया साबुन बनाया गया है या नहीं। आज यह देखने की जरूरत है कि जो रुपया गांवों में हरिजन उद्योग विभाग या किसी भी विभाग द्वारा बांटा गया है उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं। पारसाल ३१ मार्च

से पहले गायों के लिये रुपया दिया गया। लेकिन वह रुपया बचत योजना में बचा लिया और एक भी गाय नहीं खरीदी। हमारे साथी यहां पर बैठे हुये हैं उनको भी मालूम है ....

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—श्रीमन्, मेरा यहां पर जिक्र आया है इसलिये मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, आप बैठ जाइये...

श्री टीकाराम—गायों के लिये जो रुपया दिया गया उससे गायें खरीदी गईं या नहीं यह चीज देखने की है। रुपया पब्लिक को दिया जाता है लेकिन उपयोग में नहीं लाया जाता है।

हमारे यहां कोआपरेटिव के भट्टे खुले और उनमें तीन लाख रुपया लगाया गया और भट्टे खूब चले। लेकिन हजारों रुपया लेकर सुपरवाइजर भाग गये और आज तक उनको अदालत के सामने नहीं लाया जा सका पब्लिक पर इसका बड़ा असर हुआ है। वह समझती है कि हमारे रुपये का कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। साल भर में कोई सुपरवाइजर यह भी नहीं दिखाता है कि तुम्हारे रुपये का क्या फायदा या घाटा रहा। कोई समझाने वाला नहीं है। इन भट्टों में तीन लाख का घाटा हो रहा है। किसूरिया में खेती का फार्म खुला हुआ है। वहां पर इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर वगैरह सब रहते हैं और हमारे यहां जितनी पैदावार होती है उससे ज्यादा करके वह कभी नहीं दिखा सके। हमारे यहां आमगांव, लखनपुर नगला, और गुलड़िया वगैरह में गन्ना पैदा होता है। उनके बराबर यह फार्म कभी पैदा नहीं कर सका।

श्री अधिष्ठाता—फार्म की बात से और इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री टीकाराम—श्रीमन्, यह खेती का उद्योग है। बिजली के सम्बन्ध में यह हालत है कि अगर आज हम आबपाशी बढ़ाना चाहें तो बिजली नहीं मिलती है। किसान बिजली के लिये ज्यादा रुपया नहीं दे सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आबपाशी के लिये बिजली जरूर दी जाय और कम खर्चे पर दी जाय। अब मेरा वक्त भी खत्म हो गया है और मसाला भी खत्म हो गया है।

श्रीमती विद्यावती बाजपेयी (जिला हरदोई)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि दस वर्षों में हमारी सरकार ने बड़ा भारी क्रान्तिकारी कदम उठाया है। वृहत् उद्योगों, मध्यम उद्योगों और कुटीर उद्योगों, इन तीनों में बहुत उन्नति हुई है। एक देश की स्थिति का सुधार करने के लिये कृषि और उद्योग को ही सुधारने की आवश्यकता होती है। इससे हमारे प्रदेश की बेकारी और गरीबी दूर हुई है। यह बड़े हर्ष का विषय है। हमारे प्रदेश ने वृहत् उद्योगों में दो चार काम किये हैं। उनके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं। जैसे रेलवे के पार्ट्स बनाने का कारखाना है, जैसे डाक्टरों के इंस्ट्रूमेन्ट बनाने का कारखाना है। जिनके लिये बहुत सा रुपया विदेशों को जाता था उनको बनाकर माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं। कुटीर उद्योग में भी सैकड़ों प्रकार के काम किये गये हैं जिनसे काफी हमारे प्रदेश की उन्नति हुई है। कहने को तो लोग कहा करते हैं कि कुछ हुआ नहीं लेकिन मैं कहती हूं कि कृषि और उद्योग की ओर काफी ध्यान दिया गया है और बहुत अच्छी उन्नति, जितनी कि इन १० वर्षों में हो सकती थी, हुई है।

मैं अपने जिले की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारे हरदोई जिले की तरफ आजतक सरकार की नजर नहीं गई वहां पर १३ लाख ५० हजार की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी के जिले में केवल एक चीनी मिल है। उस मिल का भी

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी]

यह हाल है कि वह पूरे जिले का गन्ना खपा नहीं पाती है। दूसरे जिलों का गन्ना लेने के लिये सरकार की ओर से मिल के पास आर्डर आता है जिससे हमारे जिले का गन्ना तो रह जाता है और दूसर जिल का गन्ना हमारे मिल को लेना पड़ता है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि कम से कम हमा जिले में एक मिल है तो उसमें हमारे जिले का ही गन्ना लिया जाय उससे हमारे जिले की जनता को लाभ हो। हमारे जिले का गन्ना भी खड़ा रह जाता है। इसी का यह परिणाम हुआ है कि इस साल गन्ना कम बोया गया है क्योंकि पिछले साल बहुत सा गन्ना खेतों में पड़ा-पड़ा सूख गया तो उसकी गुड़ और राब बनाई गई।

दूसरी चीज यह है कि हमारे जिले में मूंगफली भी बहुत पैदा होती है। सरसों भी बहुत अधिक तादाद में पैदा होती है। यदि माननीय मंत्री जी वहां पर एक आयल मिल का प्रबंध कर दें तो बहुत सा पैसा जो जनता का खर्च होता है मूंगफली को वहां से लादकर दूसरी जगह को भेजने में उसकी बचत हो जायगी। हमारे जिले में भी कोई काम हो जाय तो जनता का इससे लाभ हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि वह इस ओर अवश्य ध्यान देने की कृपा करें।

हमारे जिले में सनई भी बहुत पैदा होती है। मझिया और बलरिया में मैंने देखा है कि काफी तादाद में सनई पैदा होती है। अगर वहां पर टाट पट्टी का रोजगार खोल दिया जाय तो बहुत सी गरीब जनता उस काम में लग जाय और लाखों मन माल जो कच्चा बाहर भेजा जाता है और उससे जो कम पैसा मिलता है वह बाहर न जाय और ज्यादा पैसा मिले। हरदोई जिले के १० कस्बों में कोरी और जुलाहे बहुत अधिक तादाद में रहते हैं, सिर्फ संडीला में एक हैंडलूम और मल्लावां में स्वराज्य आश्रम है जहां पर सूत का प्रयोग होता है। ये ८,१० स्थान ऐसे हैं अगर वहां पर अम्बर चरखे की ट्रेनिंग हो जाय तो बहुत उनको लाभ हो जाय। अभी वहां पर एक आध जगह अम्बर चरखे की ट्रेनिंग है परन्तु वह बहुत कम है। मेरे क्षेत्र शाहाबाद में ३०,४० महिलाओं ने दस्तखत करके प्रार्थना-पत्र दिया कि हमारे यहां अम्बर चरखे की ट्रेनिंग का प्रबंध कर दिया जाय लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगी मंत्री जी से कि वहां पर अम्बर चरखे की ट्रेनिंग का अवश्य प्रबंध किया जाय जिससे गृह उद्योग को सहायता मिले और महिलायें व कोरी और जुलाहे जो वहां पर रहते हैं, उनको कुछ काम मिले और उनकी गरीबी दूर हो।

इसके अलावा मुझे एक विषय की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान और दिलाना है। गुड़ खंडसारी का उद्योग हमारे यहां पहले से ही होता था। शाहाबाद में उसका बड़ा भारी प्रचार था। अब जब से यह मिलवाली चीनी चली है तब से उसका उपयोग कम हो गया है। अगर सरकारी सहायता दी जाय तो शायद गुड़ और खंडसारी की तरफ गरीब जनता अपना ध्यान दे सके क्योंकि बड़े-बड़े लोग तो पैसा लगा कर उद्योग करते हैं लेकिन छोटे आदमी अपना काम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि खंडसारी उद्योग को कुछ अधिक सहायता यहां से दी जाय।

इस पुस्तिका में मुझे एक चीज पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं उसका विरोध करती हूं। और वह यह है कि यहां शक्कर बनाने में हड्डी का चूरा इस्तेमाल किया जाता है....

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—यह हिन्दुस्तान में नहीं होता।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी—अगर यह गलत है तो मैं इस विषय को वापस लेती हूं, लेकिन मुझे इस तरह की खबर मिली थी कि ऐसा किया जाता है अब भी।

इसके अलावा मुझे मंत्री जी से यह कहना है कि वह मेरे जिले की ओर अधिक ध्यान दें। वहां पेंच, ताला तथा चर्म उद्योग को वह बढ़ावा दें तो उस से वहां की गरीब जनता का लाभ हो सकता है। उनके पास कोई रोजगार नहीं है और जो पैदावार होती है वह कच्चे माल की शक्ल में बाहर चली जाती है। तो ऐसी हालत में उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---चेयरमैन साहब, मौजूदा गवर्नमेन्ट और उसकी नीतियां, विशेषकर उद्योग के क्षेत्र में कितनी पूंजीपरस्त हैं, इसका सब से बड़ा प्रमाण हमें उद्योग और श्रम के अनुदानों में स्पष्ट होता है। अगर सरकार और सरकारी पार्टी की ओर से पूंजीवादी व्यवस्था को बनाये रखने का और उसके विकास करने की घोषणा ही की गई होती जैसा कि पहले किया गया था, तो मुझे बुनियादी तौर पर कोई भी शिकायत न होती। लेकिन जब सरकार और उसकी पार्टी ने समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करने का दावा किया है और उधर बढ़ने का विचार प्रकट किया है, तब और तभी पूंजीवादी नीति की पृष्ठभूमि में हमारी शिकायतें पैदा होती हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था कि हम देश और प्रदेश को खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बनायेंगे। लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। दूसरी योजना में स्पष्ट तौर पर इस बात की घोषणा की गयी कि हमारी यह योजना मुल्क और प्रदेश को इंडस्ट्रियलाइज करेगी। इस में कल कारखाने खुलेंगे और उद्योग धंधों की दृष्टि से हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। लेकिन उधर कौन सी चाल चला जा रहा है, किस रफ्तार से उधर बढ़ा जा रहा है, यह श्रीमन्, अगर आप बजट के आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट हो जायगा। पूरे ५ साल में १८ करोड़ ५४ लाख रुपया खर्च किया जायगा कुल उद्योग धंधों में। यह एक पिछड़े हुए अर्ध-औपनिवेशिक और अर्धसामन्तिक प्रदेश का बजट है। इस रकम में भी उद्योग धंधों में, जो इस देश के विकास की बुनियाद बन सकते हैं, और देश के विकास की आधार शिला जिन पर है, उस ओर सरकार एक भी कदम नहीं बढ़ी है। ४ करोड़ ७२ लाख रुपया कुल खर्च करने का विचार है बड़े-बड़े उद्योगों में, लेकिन यह रुपया भी केवल चुर्क तथा प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी के विस्तार पर ही खर्च हो जायगा। एक भी नया कल कारखाना पूरी पंचवर्षीय योजना में पब्लिक के सेक्टर में खोलने का विचार नहीं है। मैं कैसे सोचूं और मानूं कि सरकार का विचार पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा करने का है। मेरा तो आरोप है कि सरकार ने फाइव ईयर प्लान का जो लक्ष्य घोषित किया था, उसकी ओर बिलकुल नहीं बढ़ रही है। मैं नहीं समझता कि प्रान्तीय सरकार की नीति देश की सरकार की नीति से भी सामंजस्य रखती भी है या नहीं। जब आप समाजवादी प्रकार के समाज की बातें करते हैं तो कोई भी उदाहरण आपको अमेरिका और ब्रिटेन से लेना नहीं है, भले ही वहां पर कुछ लोग समाजवाद में विश्वास करने वाले हों, लेकिन वहां पर समाजवाद में कोई अभिनव प्रयोग नहीं हो रहे हैं। समाजवाद की ओर जो कोशिश की गयी है वह समाजवादी देशों में ही। इसके लिये समाजवादी देशों में जो पहला कदम उठाया गया वह यह था कि बड़े-बड़े कल कारखानों को उन्होंने सरकार के कन्ट्रोल में लिया, उनका राष्ट्रीयकरण किया ताकि उनके मुनाफे का लाभ जो चन्द व्यक्ति उठाते थे, उनके धन का फैलाव नहीं होता था, उसको सारी जनता और देश के लिये इस्तेमाल किया जा सके। देश में एक दो स्थान पर ऐसे कदम जरूर उठाये गये लेकिन इस सरकार ने उस ओर कोई कदम नहीं उठाया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या समाजवाद की उन्होंने कोई नयी व्याख्या कर दी है? माननीय मंत्री जी अपने उस अनोखे समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट करें, हमारी तीन सालों से जो शिकायतें हो रही हैं, वह न हों सभी देश का कल्याण है।

हमारे यहां बहुत से उद्योग हैं, जैसे चीनी का उद्योग है, कपड़े का उद्योग है। बड़े बड़े उद्योगों में दो ही प्रमुख उद्योग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें सरकार ने कितना कंट्रोल

[श्री झारखंडे राय]

किया है। क्या सरकार ने उनके मुनाफे पर, उनके प्रबंध पर कोई कंट्रोल किया है ? कहां तक सरकार इन कारखानों के प्रबंध में मजदूरों को हिस्सा दिला सकी है ? मैं समझता हूं सरकार इसमें पूरे तौर से असफल रही है ।

इसके अलावा जो उद्योग हमारे प्रदेश में पहले से चल रहे थे हाथरस, मुरादाबाद और लखनऊ में, उसकी क्या गति है ? वह बंद पड़े हैं। कहीं-कहीं, जैसे बनारस में कुछ काम नाम मात्र का हो रहा है। सरकार की नीति इन उद्योगों को पुनः चालू करने में सहायक नहीं है। इसी कारण पहले से जो उद्योग चल रहे थे, वह भी बन्द होते जा रहे हैं।

कहा जाता है कि मैं इंडस्ट्रीज की ही बात कहता हूं, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट हूं। इस समय मैं काटेज इंडस्ट्रीज की बात ले रहा हूं। हमारे आजमगढ़ जिले को ही ले लीजिये वहां पर मऊ, मुबारकपुर, और घोसी ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जहां हैंडलूम का कपड़ा बनाया जाता है जो देश के कोने-कोने में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी जाता है लेकिन वहां के बुनकरों की जो हालत है उसको वहां का रहने वाला हर एक व्यक्ति जानता है। मुबारकपुर रेशम की साड़ियां बनाने का केन्द्र था जहां से देश और विदेशों में साड़ियां जाती थीं। लेकिन वहां के तीन हजार बुनकर अहमदाबाद और बम्बई चले गये हैं क्योंकि उनका पैतृक और पुश्तैनी काम बन्द होता जा रहा है। उनके घरों में फाके हो रहे हैं और मजबूर होकर वह भाग रहे हैं। क्या सरकार ने इस प्रकार के उद्योग धंधों की सहायता के लिये कुछ किया है ? क्या सरकार मऊ में ऐसी मिल नहीं खोल सकती थी जो केवल सूत तैयार करती ताकि बुनकरों को सस्ते दाम पर हर प्रकार का सूत मिल सकता ? अपने प्रदेश की काटेज इंडस्ट्रीज को बचाने का यह तरीका सरकार ने नहीं किया। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, जब कि इस सदन के बाहर भी और भीतर भी जनता और उसके प्रतिनिधियों की यह मांग बराबर उठती रही है ?

भदोही के कालीन के कारबार के बारे में आपको मान्यवर पता ही है। वहां पर ६० हजार मजदूर हड़ताल किये हुये हैं। इतने मजदूर सिवाय कानपुर की सूती मिलों के और किसी एक काम में लगे हुये नहीं हैं। २० दिन आज उनको हड़ताल किये हो गये, लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान उनकी ओर नहीं दिया जा रहा है। उनको ४-६-८ आना मजदूरी दी जाती है। जब सरकार से बातचीत की जाती है तो सरकार कहती है कि हम क्या करें ? मैं समझता हूं कि ऐसा कहने वाले के लिये यह जरूरी है कि वह कुर्सी छोड़ दे। जो सरकार छोटे-छोटे उद्योगपतियों पर कन्ट्रोल नहीं कर सकती, मजदूरों की जायज मांग को भी नहीं मनवा सकती ऐसी सरकार के लोगों को नैतिक आधार पर यह अधिकार नहीं है कि वह कुर्सियों पर बैठें। आज भदोही, कानपुर और बनारस में कालीन मजदूरों की हड़ताल में कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, झूंठी प्रतिष्ठा और सम्मान की बात लेकर हर समझौते की बातचीत में रोड़ा अटकाया जाता है।

(इस समय ३ बजकर ४५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा, पीठासीन हुये।)

यू० पी० हैंडीक्राफ्ट के बारे में कहां तक कहा जाय। सवालों के रूप में, व्याख्यानों के रूप में माननीय सदस्यों ने न जाने कितनी बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया, न जाने कितनी बार इसके विरुद्ध आवाज उठायी गयी कि यू० पी० हैंडीक्राफ्ट की दूकान में बड़ा गोल-माल है। वह दूकान क्या है, केवल शो रूम है। ९० प्रतिशत शो रूम है। लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, सब लोग उसको जानते हैं और सरकार भी जानती है। केवल स्पेशल मैनेजर की अयोग्यता और निकम्मे पन के बारे में न जाने कितनी बातें कहीं गयी हैं, पी० ए० सी० में प्रस्ताव पास किये गये, सदन में आवाज उठायी गयी लेकिन सरकार उस एक आदमी को न जाने क्या समझ कर बैठाये हुये है। छोटे-छोटे मजदूरों को तो हैदराबाद तक ट्रान्सफर कर दिया जाता है लेकिन ये मैनेजर साहब मालूम होते हैं, हटेंगे ही नहीं।

कर्वे कमेटी की सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या-क्या किया ? यह रिपोर्ट सन् १९५५ में शाया हो गयी थी। उसकी ओर इस प्रदेश की सरकार कहां तक बढ़ी ? ४५ लाख आदमियों को देश भर में काम देने के बारे में कर्वे कमेटी ने विचार प्रकट किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उधर क्या किया और वह रिपोर्ट हमारे प्रदेश में कहां तक लागू हुई ? उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे प्रदेश में कितने आदमी काम में लगे इसके कोई आंकड़े सरकार ने हमारे सामने नहीं रखे हैं।

श्रीमन्, केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की काफी चर्चा हुई लेकिन मेरी शिकायत तो यह है कि यहां कोई उद्योगधंधा है ही नहीं,। जब सरकार ने यहां कोई उद्योग धंधा खड़ा ही नहीं किया तो केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्रीमन्, मैं अपने जिले आजमगढ़ का एक उदाहरण ही दे देना चाहता हूं जिससे मालूम हो जायगा कि पूंजीपतियों के साथ सरकार की नीति किस तरह की है। आजमगढ़ और जौनपुर की सरहद पर ही शाहगंज शुगर फैक्टरी है जिसके जिम्मे अमिला, दोहरीघाट और घोसी में गन्ना लेने के लिये कांटा लगाने की जिम्मेदारी थी लेकिन उस मिल ने उन स्थानों पर कांटा नहीं लगाया। हमने बीसों बार डाइरेक्टर को टेलीफोन किया, सेक्रेटरी को टेलीफोन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे बढ़कर सरकार की असफलता का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। एक मामूली चीनी मिल के उद्योगपति ने सरकार की कोई परवाह नहीं की, "पिद्दो न पिद्दी का शोरबा।" फिर भी सरकार कहती है कि हम समाजवाद की स्थापना कर रहे हैं। इसलिये श्री जे० सी० कुमारप्पा ने कहा था कि "वर्तमान योजना में पूंजीपतियों के हितों को विशेष महत्व दिया जा रहा है।" जनता की उपेक्षा की गयी है इसीलिये उनको यह कहना पड़ा। वे कोई कम्युनिस्ट नहीं थे, समाजवादी भी नहीं थे। बल्कि विशुद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। इसलिये मैं कहता हूं कि जो तीन चार सुझाव मैंने दिये हैं सरकार उनको मानकर उनके अनुसार काम करने की कोशिश करे।

मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जितनी चीनी और सूती मिलें हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। आज जमाने की यह मांग है, समय की पुकार है कि सरकार इस तरफ तेजी से बढ़े। अगर सरकार का कदम इस तरफ बढ़ेगा तो इस प्रदेश की सभी पार्टियां, समस्त जनता तन और मन से इसका समर्थन करेगी।

दूसरी बात यह है कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज के लिये केवल दो चार लाख रुपये का दान या चर्खा दे देने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को चाहिये कि वह इस तरह की नीति तय कर दे कि कुछ किस्म के कपड़े मिलों के अन्दर नहीं बनेंगे, वे सबके सब हैंडलूम के कपड़े ही होंगे, तो इस तरह से हैंडलूम इंडस्ट्री की काफी तरक्की हो सकती है।

तीसरी बात यह है कि गन्ने के उत्पादकों को गन्ने का दाम कम से कम पौने दो रुपये दिये जायं। आखिर में मुझे यह बात कहनी है कि मेरे जिले के इन्दारा में एक शुगर फैक्टरी अवश्य खोली जाय क्योंकि उसकी हमारे जिले की जनता की ओर से मुतवातिर मांग रही है।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि यह सरकार पूंजीपति परस्त है। मैं नहीं जानता कि कोई उद्योग बगैर रुपये या पूंजी के चल सकता है। शायद कभी माननीय झारखंडे राय जी की सरकार आवे तो उसको भी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। बगैर पूंजी के कोई बिजनेस, कोई उद्योग नहीं चल सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम गुप्त]

माननीय उद्योग मंत्री जी ने कारपेट उद्योग के बारे में अपने भाषण में भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि कारपेट उद्योग से ३ करोड़ रुपया फारेन एक्सचेंज से आता है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने भी कारपेट उद्योग के बारे में चर्चा की। एक कामरोको प्रस्ताव भी इस सदन में इस सिलसिले में आया था। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि कारपेट उद्योग के बारे में अब इस सदन के अधिक माननीय सदस्य रुचि रखने लगे हैं। वास्तव में यह उद्योग ऐसा है जिसमें हरएक सदस्य को रुचि होनी चाहिये। यह एक ऐसा उद्योग है जिसको हम चाहते हैं कि यदि वह इस प्रदेश के हर जिले में चालू हो जाय तो किसानों का बड़ा कल्याण हो सकता है क्योंकि वह एक ऐसा उद्योग है कि जब काश्तकार अपनी खेती के काम से फारिग हो जाता है तो वह कालीन बनाने के काम को पार्ट टाइम वर्क के तौर पर कर सकता है। यह काम एक पार्ट टाइम वर्क की तरह किया जा सकता है, यह नहीं कि कोई किसी खास उद्योग का मजदूर हो और वह केवल उसी काम को करता रहे। इस काम को करने वाले ९५ प्रतिशत मजदूर ऐसे हैं जिनके पास खेती है और जब वह खेती के काम से खाली होते हैं तो इस काम में लग जाते हैं।

यह भी कहा गया कि भदोही में ६० हजार मजदूरों की हड़ताल हुई है और कोई ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करदूं कि इस सब के पीछे एक पृष्ठ भूमि है और वह यह कि सन् १९५२ में भदोही म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था जिसमें ६ सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य चुनकर आये थे, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने सदस्यों को खड़ा किया था लेकिन वह नाकामयाब रहे, और अभी जो चुनाव वहां म्युनिसिपैलिटी का हुआ है उसमें सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी सदस्य नहीं आ सका और अब चूंकि जिला बोर्ड के चुनाव बहुत नजदीक हैं, शायद मई में होने वाले हैं तो उसी को लेकर एक भूमिका बनाई गई और आनबूझ कर मजदूरों को काम करने से उनके द्वारा रोका गया। बुनकर मैन्युफैक्चरर्स के पास बराबर आना चाहते हैं लेकिन उनको बराबर रोका जाता है। यह बिलकुल गलत बात है कि बुनकर स्वयं हड़ताल करना चाहते हैं या उन्होंने हड़ताल कर रखी है। मैं इस सम्बन्ध में जरा यह बता दूं कि किस तरह से वहां यह कारोबार होता है।

जहांतक एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर्स का सम्बन्ध है उनका मजदूरों से कोई सम्बन्ध नहीं है, उनका सम्बन्ध तो केवल लूम-होल्डर से होता है और बुनकर का सम्बन्ध लूमहोल्डर से होता है जिनके पास लूम होते हैं। तो कोई झगड़ा मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और बुनकर के बीच में नहीं है, अगर कोई झगड़ा हो भी सकता है तो वह केवल बुनकर और लूम होल्डर के बीच में ही हो सकता है। लेकिन अब जो खबर आयी है उस से मालूम हुआ है कि वहां हड़ताल जो कुछ भी थी वह करीब-करीब खत्म हो गई है। वह हड़ताल इसी प्रकार की थी जैसे कि आप को याद होगा कि समाजवादी भाइयों की तरफ से एकबार एक जमाने में हड़ताल चलाई गई थी कि काश्तकार अपना गल्ला मिलों में न ले जायं बावजूद इसके कि काश्तकार अपना गल्ला मिलों में से जाना चाहते थे, उनकी गाड़ियों को समाजवादी कार्यकर्त्ता उलट देते थे, जाने नहीं देते थे और तरह-तरह की कार्यवाही उनकी तरफ से होती थी। अब जहां तक इस भदोही की कारपेट मजदूरों की हड़ताल का सम्बन्ध है वह अब करीब-करीब खत्म हो गई है और हमें वहां के मजदूरों के साथ पूरी हमदर्दी है। मैंने देखा था कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी, माननीय झारखंडेराय जी या और किसी एक नेता की तरफ से एक स्टेटमेंट निकला था कि वहां के मजदूरों को छे आना से दस आना तक मजदूरी रोजाना मिलती है लेकिन वाकया यह है कि वहां पर एक रुपया रोज से कम तो मजदूरी औसतन किसी को नहीं मिलती अगर कोई ८ घंटा काम करता है वर्ना २० आना और डेढ़ रुपया तक मजदूरी ८ घंटे काम करने वाले पाते हैं, अब कोई पूरी मेहनत न करे, कम घंटे काम करे तो उसे ८ आना या ६ आना, जो भी हिसाब से होगा, मिलेगा लेकिन अगर कोई मेहनत करे तो दिन भर में एक रुपया से कम किसी हालत में नहीं मिल सकता।

पाकिस्तान में जनरल आकिनलेक का जिक्र श्री राजनारायण ने किया कि वह यहां कारपेट इंडस्ट्रीज देखने के लिये पधारे हैं। मैं भी अभी इस सरकार की तरफ से पाकिस्तान गया था

और चूंकि मेरी भी रुचि कुछ उस इंडस्ट्री में है इस वास्ते मैंने उसको देखने की कोशिश की। बावजूद इसके कि वहां वूल सस्ता है, जूट सस्ता है फिर भी वहां की कारपेट इंडस्ट्री चल नहीं पाई। इस आन्दोलन के पीछे हमारे कुछ कम्यूनल भाइयों का हाथ है जिनका पाकिस्तान से भी सम्बन्ध है। वह चाहते हैं कि जैसे वहां का व्यवसाय नहीं चल पाया वैसे ही यहां का व्यवसाय भी बन्द हो जाय . . . (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस से पचास-साठ हजार जनता के जीवन का सम्बन्ध है। उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। आप मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के बीच में बैठ जायं, मजदूरों की बात भी समझ लें। आप कहते हैं कि १२ रुपये गज उनको मजदूरी दी जाय जब कि ११ शिलिंग में कारपेट बिक रहा है तो १२ रुपये गज मजदूरी कैसे दी जा सकती है? यह तो कोई ऐसी चीज नहीं है। हम जानते हैं कि आपको भी मजदूरों से हमदर्दी है और हमको भी हमदर्दी उनसे है। लेकिन कहां तक मजदूरी ज्यादा देते चले जायेंगे? इतनी मजदूरी नहीं दी जानी चाहिये कि वह इंडस्ट्री ही खत्म हो जाय। मैंने कहा कि आप इसको देख लें और अगर गुंजाइश हो तो मजदूरी बढ़ाने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर आप मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर की बातों को भी ध्यान में रख लें।

दूसरी बात इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार इस इंडस्ट्री का जिक्र इस सदन में आया। सरकार की तरफ से कोई उसको संरक्षण नहीं मिलता। उद्योग विभाग वाली यह करता है कि हमने साहब, एक क्वालिटी मार्किंग स्कीम चलायी है, अगर उस स्कीम में ये मैनुफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स आ जायं, तो यह इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ जाय। अभी न्यूयार्क में एक एग्जीबीशन हुआ था जिसमें क्वालिटी मार्किंग के कारपेट रखे गये थे। वहां से एक चिट्ठी आयी है। उसका एक थोड़ा सा हिस्सा मैं पढ़ देना चाहता हूं। उस से आपको मालूम हो जायगा कि इस क्वालिटी मार्किंग की क्या इज्जत है बाहर के देशों मे और क्या इसकी हैसियत है —

"For your information the carpets displayed at the fair were produced by Mills and Mines Private Ltd. and in so far as colour, design and quality are concerned, they are twenty years behind the times. The India Government has done a very poor job in arranging this fair if their intention is to promote the sale of Indian carpets."

उन्होंने खुद कहा है, न्यूयार्क वालों ने, कि यह जो कारपेट यहां रखे गये वह रंग में, डिजाइन में २० वर्ष पीछे हैं। श्रीमन्, मैं अक्सर, कभी कभी यू० पी० हैंडीक्रैफ्टस् में जाता हूं और कारपेट्स को देखता हूं तो बाबा आदम के जमाने के कारपेट्स देखने में आते हैं। पता नहीं किस से वह उसे खरीदते हैं या क्या वह करते हैं। २०, २५ वर्ष पहले के डिजाइन वह होते हैं। हमारे उद्योग विभाग के सचिव तो अंग्रेजों के बड़े भक्त हैं। अगर वह अंग्रेजों की फर्मों से ही कारपेट ले लेते और उनसे लेकर रखते तो ज्यादा इस प्रदेश का कल्याण होता।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। जब मैं मद्रास में घूम रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर एक लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। वहां के लोगों ने हमको दिखलाया। तो मेरे दिमाग में यह बात आयी कि आगरे में चमड़े का काम ज्यादा होता है। ज्यादा अच्छा होता कि चमड़े के बारे में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां हम कायम करते। इस से इस उद्योग का बहुत भला हो सकता है।

यह उद्योग का काम श्रीमन्, ऐसा है कि बहुत जल्दी उसकी तरक्की नहीं हो सकती। उसमें समय लगता है। इसलिये जो कुछ दस वर्ष में इस डिपार्टमेंट ने किया है उसके लिये हम उसकी प्रशंसा करते हैं। मगर यह हम नहीं कहते हैं कि हम को बहुत बड़ा सन्तोष है। मगर यह है कि वह उन्नति के पथ पर अब चले हैं। हर एक जिले में इंडस्ट्रीज अफसर मुकर्रर किये गये। कॉट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आयी है उसमें समय लगेगा।

[श्री बेचनराम गुप्त]

एक बात और भी है, जो बड़ी अच्छी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही कि वह इस डिपार्टमेंट को, यानी काटेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को अलग करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस से काटेज इंडस्ट्रीज का ज्यादा कल्याण हो सकेगा।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जो गम्भीर विवाद सदन के सामने चल रहा है भदोही के बुनकरों की हड़ताल के सम्बन्ध में, उस उद्योग से सम्बन्धित और उसके ऊपर विशेष जानकारी रखने वाले सदस्य ने जो अपने विचार व्यक्त किये उसी आधार पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि वह अभी पाकिस्तान गये थे। वहां देखा कि इस उद्योग के लिये जो रा मेटीरियल चाहिये वह रा मेटीरियल वहां पर सस्ता उपलब्ध है। फिर भी यह उद्योग पाकिस्तान में विकसित नहीं हो सकता। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि पाकिस्तान में वह विकसित नहीं हो सकता इसका प्रधान कारण यह था कि इस उद्योग के लिये जैसे कुशल कारीगरों की आवश्यकता है वैसे कारीगर पाकिस्तान में नहीं हैं। और अगर यह हड़ताल ऐसे ही चलती रही और इन बुनकरों की मांगों को ऐसे ही राजनीतिक स्वरूप दिया जाता रहा तो मुझे यह भय है कि जिस इंडस्ट्री पर हमको नाज है, और सचमुच नाज है, हम जानते हैं कि करोड़ों रुपये का कालीन इंगलैंड प्रतिवर्ष जाया करता है, वह इंडस्ट्री बरबाद हो जायगी। जो जुलाहे २० रुपये महीने पर रखे गये हैं यह जुलाहे भागकर पाकिस्तान चले जायेंगे।

यह भी बताया गया कि इस सदन के उसी इलाके के एक माननीय सदस्य के भाई आकिनलेक के साथ बिजनेस कर रहे हैं और यह धंधा हमारा चौपट हो जायगा।

श्री बेचनराम गुप्त—यह बिलकुल गलत है कि किसी माननीय सदस्य के भाई आकिनलेक के साथ बिजनेस कर रहे हैं।

श्री रामायण राय—दूसरी बात पूंजी के सिलसिले में कही गई। तो यह तो अर्थशास्त्र का बुनियादी सवाल है। यहां प्रश्न पूंजी का नहीं है। यहां पूंजीपरस्त नीति का सवाल है। आप बड़े आदमियों के दामन को छोड़िये, इसके लिये आग्रह किया जा रहा है। अब मैं अपने बुजुर्ग को कैसे कहूं कि इधर आपका ध्यान नहीं है। शायद उन्होंने हम लोगों को बच्चा समझ कर भुलावा देने के लिये इस तर्क को रखा। पूंजीपरस्त नीति का मतलब यह है कि ऐसी नीति जिस से पूंजीपतियों का लाभ हो।

रिहन्ड डैम की जब चर्चा होती है तो हमारा मन और आकांक्षायें बहुत दूर तक जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इस योजना के कार्यान्वित होते ही पूर्वी जिलों का भाग्य पलटा खायेगा और ओवर पापुलेशन का जो प्रश्न है वह हल हो जायगा। लेकिन उस योजना के साथ भी जो सरकार की नीति है उसकी तरफ़ जब ध्यान जाता है तो हमारी सारी आकांक्षायें धूल में मिल जाती हैं। सुना है आप इस देश के एक बहुत बड़े पूंजीपति को, उस डैम से जो बिजली पैदा होगी उनको देने जा रहे हैं और सस्ते दामों पर देने जा रहे हैं। तो आपकी जो पूंजीपति परस्त नीति है उसकी हम आलोचना करते हैं।

श्रीमन्, अब मैं अपने जिले के सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारा जिला वह बदनसीब जिला है जिसकी इस सदन में भुखमरी और बेकारी की बार-बार चर्चा होती है। वहां गरीब ईंट पाथने वाले लोग बहुत बड़ा धंधा चलाते हैं। ईंट बनाने के लिये, आज ही मैंने अखबारों में देखा, बार-बार इस सदन में आग्रह करने के बाद भी उस छोटे से धंधे के लिये कोयला नहीं दिया जा रहा है। वह कोयला केवल उन लोगों को दिया जा रहा है जो लोग ईंटों का बड़ा व्यवसाय करते हैं, बड़ी-बड़ी चिमनियां चलाते हैं। तो हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस सरकार की पूंजीपति परस्त नीति हमारी आकांक्षाओं और हमारी आशाओं पर पानी फेर देगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो अपने देश में सही औद्योगीकरण की नीति को अपनाइये । मैंने पहले निवेदन किया था कि ऐसा मुल्क जिसके पास पूंजी कम हो उसको छोटी मशीनरी की नीति अपनानी चाहिये । इंडस्ट्रियल फील्ड में मजबूरी है । बड़े उद्योग चलाइये लेकिन जहां तक हमारे जीवन के उपभोग की अन्य वस्तुएं हैं उनके क्षेत्र में छोटी मशीन की योजना लागू करनी चाहिये, विकेन्द्रित औद्योगीकरण की नीति अख्तियार करनी चाहिये । जिस चर्खे को हम इस औद्योगिक जीवन की बुनियाद मानते हैं उसके बारे में सूचना मिली है कि जो अम्बर चर्खे का प्रयोग चल रहा था उससे सरकार को निराशा हुई है और संभवतः सरकार उस प्रयोग से अपना हाथ खींच रही है । उसमें लगे हुये करीब-करीब १२ हजार जो नवयुवक हैं वह सारे बेकार हो जावेंगे । मेरा तो यह ख्याल था कि इस देश में छोटी मशीन को जो अर्थ नीति है या जो उद्योग नीति है उसका प्रतीक बनेगी लेकिन आपकी नीति उसपर मुसीबत बन कर छायी हुई है ।

इसके साथ–साथ मैं आपका ध्यान अपने जिले के अन्य छोटे-मोटे उद्योगों की तरफ दिलाना चाहता हूं । श्री अशोक मेहता ने अपनी रिपोर्ट में यह बतलाया था कि जिस इलाके में एक वर्ग मील में ६४० आदमी बसते हों उस इलाके में आपको गृह उद्योगों को विकसित करना चाहिये । वहां के गृह उद्योगों में बांस और लकड़ी है । जूट हमारा बंगाल भेजा जाता है । हमने बार-बार कहा कि हमारे यहां जूट का कारखाना खोला जाय । हमारे यहां जो शुगर मिलें हैं उनके मुलेसिस से सिंथेटिक रबर बनाने की सुविधा प्रदान की जाय लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । प्रश्न पूछे गये कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिये क्या किया गया तो पुराने धन्धों का हवाला दिया गया । मेरा कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में सर्वेक्षण कराया जाय । यहां पर हमारी औद्योगिक नीति एक विशेष अवसर प्राप्त वर्ग के प्रचार के प्रेशर के अन्दर चल रही है । मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि शब्दों से आप समाजवाद नहीं ला सकते ।

श्रीमन्, यहां पर सूती मिलों की हड़ताल व तालाबन्दी की चर्चा हुई । मैं समझता हूं कि यह पूंजीपतियों की हड़ताल थी, मजदूरों की हड़ताल नहीं थी । इसलिये वह हड़ताल होती है कि उनके मुनाफे पर खतरा दिखाई देता है । आप टैक्स इम्पोज करते हैं लेकिन वे इनडाइरेक्ट प्रेशर डाल कर यह प्रयत्न करते हैं कि टैक्स हटे और मुनाफा आगे हो । आपको स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करना चाहिये कि इस देश की उन्नति छोटे उद्योगों के चलाने में निहित है । एकमात्र उन उद्योगों के चलने का लक्ष्य जनता की सेवा करना है । मुनाफा नहीं है । जब तक मुनाफे का लक्ष्य धन्धों के क्षेत्र में बना रहेगा तब तक इस देश में पूंजी की हड़ताल चलती रहेगी । आप को साफ–साफ खतरे की घंटी दिखा रहा हूं । हजारों योजनायें आपकी बन रही हैं लेकिन ये योजनायें तब तक कार्यान्वित नहीं हो सकतीं जब तक उद्योग के क्षेत्र में इस प्रकार की नीति चलती रहेगी ।

श्री अधिष्ठाता—श्री हिम्मतसिंह जी, आप ५ मिनट बोलेंगे । उसके बाद माननीय उद्योग मंत्री बोलेंगे ।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती का प्रस्ताव करते हुये आपको यह बताऊं कि पश्चिमी देशों में बटर और बटर्ड मिल्क को नष्ट किया जाता है, खेती योग्य भूमि में खेती न करने की योजना बनती है, तो हम लोगों को बड़ा अचम्भा होता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार हमारी जनशक्ति का ह्रास हो रहा है और वह नष्ट हो रही है तो हममें से कोई उसके लिये दुखित नहीं होता । हम यह देखते हैं कि आज हमारे देश के अन्दर जहां घोड़े जुतने चाहिये वहां रिक्शा चालक आदमी काम कर रहा है और इस प्रकार हमारी जनशक्ति नष्ट की जा रही है । क्या किसी मंत्री ने इसपर ध्यान दिया है ? मैं पूछना चाहता हूं । मैं आज यह देखता हूं कि हमारे भारतीय जनसंघ ने बार-बार कहा है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हिम्मत सिंह]

प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिये । काम मिलेगा तो रोटी अपने आप मिल जायगी । आज हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और काटेज इंडस्ट्रीज तीनों को लेकर जो हम चल रहे हैं, उनके साथ हम न्याय कर रहे हैं ? मैं देखता हूं कि एक बकरे को पालते हैं, उसे मक्खन खिलाते हैं, किशमिश खिलाते हैं, लेकिन ३ घंटे के लिये उसे भेड़िये के सामने बांध देते हैं तो क्या होता है कि बकरा दिन पर दिन सूखता है, पनपता नहीं । वही हालत हमारी इस काटेज इंडस्ट्री, प्राईवेट और पब्लिक सेक्टर की है ।

पब्लिक सेक्टर को ले लीजिये । पब्लिक सेक्टर में हम राष्ट्रीयकरण करते चले जा रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आयेगी कि हमारे सब धंधे फेल होते चले जायेंगे । आज जिन इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें नफा के बदले नुकसान ही हुआ । फिर ऐसी सूरत में क्या होगा ? टैक्सों की भरमार होगी, जनता सुखी नहीं होगी, राष्ट्रीयकरण से । यह जो ऐश-बाग में गवर्नमेंट का प्रेस है, वहां के कर्मचारियों को छट्टी नहीं मिलती है, उनकी तनख्वाहें काट ली जाती हैं और जब उनकी छुट्टी ड्यू होती है तो ५-५ हजार रुपया सितम्बर-अक्तूबर में उनके काट लिये गये । उनकी साईकिलों के रखने के लिये कोई व्यवस्था नहीं, बहुत सी साइकिलें चोरी चली गयीं, जबकि मिनिस्टरों और अन्य बड़े-बड़े कर्मचारियों के लिये मोटर गैराज का प्रबन्ध है । तो पब्लिक सेक्टर की यह हालत है । इसलिये पब्लिक सेक्टर में तो बड़े-बड़े उद्योग, रेल, हवाई जहाज और लड़ाई का सामान बने, वहां और कोई चीज न बने ।

आज हम प्राइवेट सेक्टर में जब आते हैं तो कानपुर में साढ़े छः करोड़ के करीब रुपये का कपड़ा पड़ा हुआ है । रोज हड़तालें होती हैं, लेबर में रोज झगड़े होते हैं । उसका एक ही कारण है कि रुपया कुछ आदमियों के हाथ में एकत्रित हो गया है, उधर गांवों से आकर लेबर एकत्रित हो गई और दोनों में रोज झगड़ा होता है । अगर आज हम उस कैपिटल और लेबर का विकेन्द्रीकरण कर दें तो जो झगड़ा होता है लेबर का वह खत्म हो जायगा । ऐसी सूरत में हमको चाहिये कि जो बड़े-बड़े चीनी के कारखाने हैं, कपड़े के कारखाने हैं, खंडसारी की मिलें हैं उन सब का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय । जो सूत के कारखाने हैं जो सूत बनाते हैं उनको जुलाहों को दे दिया जाय ताकि अपना काम करके मुनाफा भी बचाया जा सके और लेबर और पूंजीपतियों में झगड़ा भी समाप्त हो जायगा ।

आज हम काटेज इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि जुलाहे जो गांव के हैं उनको उनके काम का पूरा पैसा नहीं मिलता है । मार्केट में आकर कम्पीट वह जुलाहा कर नहीं पाता है, और सस्ते दामों के सामने उसका कपड़ा नहीं पहुंचता और उसको पूरा मुनाफा नहीं मिलता, ऐसी सूरत में मैंने जो बकरे वाली मिसाल दी, वह चरितार्थ होती है । इसलिये प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर और काटेज इंडस्ट्री में एक डिमार्केशन होना चाहिये कि कौन-कौन चीज कौन-कौन करेगा । ऐसी सूरत में हम काटेज इंडस्ट्री के साथ समन्वय कर पायेंगे और उसके साथ न्याय कर पायेंगे । आज मेरे ही जिले के अन्दर जो कोली रहते हैं वह कानपुर में गिलाये का काम करने आते हैं । जहां तक गुड़ का सम्बन्ध है उसके लिये कोई योजना नहीं रखी गयी है । खंडसारी के लिये भी कोई योजना नहीं रखी गयी है । मेरे जिले में सब उद्योग बढ़ सकते हैं । मेरे यहां कुम्हार भी बहुत हैं और बड़ा सुन्दर काम बनाते हैं । उनके लिये भी सहयोग मिलना चाहिये । तो इस प्रकार के उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये जिससे सब चीजों की तरक्की होती चले । अगर ऐसा होगा तो जो प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और काटेज इंडस्ट्रीज में झगड़ा चल रहा है वह दूर हो जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय उद्योग मंत्री ।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत गलत बात है । आखिर हम लोग भी एक जिले को रेप्रेजेन्ट करते हैं, सारा बजट सेशन समाप्त होने जा रहा है लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया । यह बहुत गलत चीज है । और हमको अधिकार है कि हम अपनी बात कहें. . . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामप्रसाद नौटियाल—इस अनुशासन को मानने के लिये मैं हर्गिज तैयार नहीं हूं । सारा बजट समाप्त हो गया और हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया ।...

श्री अधिष्ठाता—मैं फिर माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूं ।

श्री रामप्रसाद नौटियाल—मुझे कहने का पूरा अधिकार है । सारा बजट समाप्त हो गया और हमें एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिला ।

श्री अधिष्ठाता—(श्री रामप्रसाद नौटियाल के बैठ जाने पर) नियम के अनुसार आध आध घंटा पूर्व ही यह अनुदान समाप्त हो जाना चाहिये था क्योंकि आज आखिरी दिन है । लिहाजा अब मंत्रीजी बोलेंगे ।

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—अधिष्ठाता महोदय, कल से इस अनुदान पर वाद-विवाद चल रहा है । उस सब को मैंने बड़े गौर से सुना। मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने सुझाव हमारे सामने रखे या जिन्होंने अपने जिले के मुताल्लिक बातें कीं और मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन सुझावों पर हम पूरा गौर करेंगे ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय मंत्री जी जरा एक बात हमारी सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय शुक्ल जी, क्या कोई प्रश्न करना चाहते हैं ?

श्री बंशीधर शुक्ल—सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी के सामने तमाम सदस्यों ने अपने-अपने जिले की बात रखी है । हमारे जिले लखीमपुर में १० लाख मन पटसन पैदा होता है । उसके लिये भी एक कारखाना वहां खुलवाने की कृपा करें ।

श्री रऊफ जाफरी—बहुत थोड़ा सा वक्त है । अगर माननीय सदस्य इसी तरह से बीच में उठते रहेंगे तो जो इत्तलायें मैं उनको देना चाहता हूं या जो बातें उन्होंने कहीं हैं उसके मुताल्लिक जो कुछ मैं गुजारिश करना चाहता हूं वह मैं उनके सामने न रख सकूंगा । मैं समझता हूं कि अगर किसी माननीय सदस्य को अपने जिले के मुताल्लिक या कोई और खास बात कहनी हो तो वह बहुत आसानी से इसके बाद भी मेरे यहां या माननीय हाफिज साहब के यहां आ कर कह सकते हैं । इस तरह से सदन का वक्त भी बचेगा और उनकी बात पर ज्यादा गौर भी हो सकेगा ।

तो मैं यह कह रहा था कि जो सुझाव रखे गये हैं उनके ऊपर पूरी हमदर्दी और सहानुभूति के साथ हम विचार करेंगे । मैं उन माननीय सदस्यों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कुछ शिकायतें पेश कीं । लेकिन शिकायतें अगर ठीक उसी रूप में रखी जातीं जितनी थीं तो वह हमारे लिये बहुत मुफीद हो सकती थीं मगर मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि उन शिकायतों को जरा बढ़ा कर कहा गया । लेकिन बावजूद इसके मैं यह कहता हूं कि जितनी शिकायतें यहां की गयी हैं उनको भी देखा जायगा और जो कुछ उनमें सुधार होने की जरूरत है वह किया जायगा ।

वक्त कम है, चन्द बातें, जो कि कई दफा सामने लायी गयी हैं उनके मुताल्लिक मैं कुछ पहले अर्ज करूंगा और उसके बाद अगर वक्त रहा तो बहुत थोड़े में जो प्वाइंट्स उठाये गये हैं उनके मुताल्लिक भी कुछ अर्ज करूंगा । सबसे पहली बात यह कही गयी की इस गवर्नमेंट की पालिसी की वजह से १६८ मिलें जो पहले से चल रही थीं वे बन्द हो गयी हैं और कुछ चीनी की मिलें भी बन्द हो गयी हैं । एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितनी चीनी मिलें सन् १९४७ में चल रही थीं आज उससे ज्यादा चल रही हैं । पहले ६१ थीं अब ६७ चल रही हैं । सिर्फ ३ छोटी-छोटी मिलें बन्द हैं । उनके लिये भी हमारी यह कोशिश है कि जिन नयी जगहों पर हम मिलें खोलना चाहते हैं वहां उन प्लांट्स को लेजाकर लगायें । ज्यादातर जो फैक्टरियां

[श्री रऊफ जाफरी]

बन्द हुई हैं वह आयल मिल्स हैं । माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि लड़ाई के जमाने में बहुत सी तेल की मिलें खुल गयीं थीं । यहां से ज्यादातर तेल बंगाल और बिहार में जाया करता था और फौज में खर्च होता था । लड़ाई के बाद फौज का खर्चा कम हो गया और दूसरे बंगाल के बट जाने से पाकिस्तान में हमारा तेल नहीं जा रहा है । इन सब वजहों से तेल का खर्चा कम हो गया जिसकी वजह से कुछ तेल की मिलें बन्द हो गयीं ।

टेक्सटाइल के मुताल्लिक जो यह कहा गया कि यू० पी० सरकार की नीति की वजह से उन मिलों की हालत खराब है, कानपुर में मिलें तालाबन्दी का नोटिस दे रही हैं मैं इस सिलसिले में गुजारिश करना चाहता हूं कि यह हालत जो है कानपुर मिलों की ही नहीं है बल्कि अहमदाबाद में भी है और दूसरी जगहों में भी है और इन दिक्कतों को समझते हुये भारतीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भी कमी की है और उनको भी दुश्वारियां थीं । यह मर्ज कानपूर में या उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देशव्यापी था और इसके मुताल्लिक कदम भी उठाये जा रहे हैं उसको खत्म करने के लिये ।

मुझे खुशी है कि माननीय गेंदासिंह आ गये । उन्होंने अपनी स्पीच में बड़े जोरों से कहा था कि यह कहा गया है कि यू० पी० बहुत आगे है बम्बई और बंगाल वगैरह के मुकाबले में । मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैंने ऐसा कहा हो । मैंने यह कहा था, बल्कि मैंने इस तरह से शुरू किया था कि हमारी पापुलेशन का ८ प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो नान ऐग्रीकल्चरल काम में लगा हुआ है जब की बम्बई में १३ प्रतिशत और मद्रास में १२ प्रतिशत हिस्सा ऐसे कामों में लगा हुआ है । यह मैंने नहीं कहा कि हम आगे बढ़े हुये हैं । यह मैंने कहा था कि हमारे यहां भी काम हुआ है और हमारी ऐतिहासिक बैकग्राउंड की वजह से हमारी तरक्की उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है जितनी कि हम चाहते हैं और हमारे साथी गेंदा सिंह जो चाहते हैं । यह मैंने अर्ज किया था और यह बताया था कि पिछले तीन वर्षों में हमारे यहां पांच हजार स्माल इंडस्ट्रीज कायम हुईं । जितना माननीय गेंदासिंह जी और सदस्यों को प्रदेश को आगे बढ़ाने का खयाल है, उससे कम सरकार का नहीं है ।

बात यह है कि औद्योगीकरण के लिये कुछ बातें हैं । हम पिछड़े हुये थे और बम्बई तथा बंगाल आदि देश हमसे आगे बढ़े हुये थे । आपको मालूम होगा कि जब इंडस्ट्री कायम होती है तो शुरू के सालों में मुश्किल होती हैं और बेस कायम हो जाने पर तरक्की होती चली जाती है । लेकिन शुरू में तरक्की की रफ्तार उतनी तेज नहीं होती हैं जितनी कि समझी जाती है । इस सूरत से मैंने यह अर्ज किया था कि हम भी समझते हैं कि हम पिछड़े हुये हैं और सरकार समझती है कि बेरोजगारी दूर करने के लिये हमारे यहां जल्द से जल्द काम होना चाहिये । इन बातों को देखते हुये जो हमारे पास सामान है उस लिहाज से तुलना करनी चाहिये कि हम आगे बढ़े हैं या नहीं ।

माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि इस पंचवर्षीय योजना में कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं खोली गई है और जो ४,७७,००,००० रुपया रखा गया है वह चुर्क सीमेंट फैक्टरी और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी का है । सरकार नये कारखाने कायम करने नहीं जा रही है सिवाय इस के कि यह जो दो कारखाने हैं इनकी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं । उसको हम दुगुना करेंगे । जैसा मैंने कल अर्ज किया था प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी का प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं । लेकिन यह सही नहीं है कि पंचवर्षीय योजना में कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं खुली । जैसा कि मैंने कल अर्ज किया बनारस में रेलवे पार्ट्स बनाने के लिये काम हो रहा है, दूसरे इसका भी आश्वासन दे दिया गया है कि सिंथेटिक रबर फैक्टरी यहां कायम होगी । यह दो तो हो गई । इसके अलावा एक एलमूनियम की भी फैक्टरी हमारे यहां खुलेगी । यह जरूर है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है उससे हमें इत्तिफाक है कि हमारी जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है,

उस लिहाज से हमें और हिस्सा मिलना चाहिये, और मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार बराबर केन्द्रीय सरकार से इस बात का तकाजा करती रहती है और प्लानिंग कमीशन के सामने भी रखती रहती है ।

कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को रकम देने के सिलसिले में यहां पर बहुत कुछ कहा गया । ५० लाख रुपया एक को दिया गया और कुछ रुपया और को दिया गया है, वह रुपया किसी दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहा है इस तरह से यहां पर कहा गया । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है । जिसको ५० लाख रुपया दिया गया है उसकी फैक्टरी बन रही है । उसके लिये जमीन हासिल करने में कुछ देर हुई है लेकिन कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है । यहां पर जो यह कहा गया कि सोडा ऐश और क्लोराइड फैक्टरीज में वह पैसा नहीं लग रहा है किसी दूसरी जगह लग रहा है, यह सही नहीं है । काफी रुपया उसमें लग चुका है । जहां तक मुझे जानकारी है करीब २ करोड़ रुपया इसमें लग चुका है । इस बात की काफी देखभाल की जाती है कि जिस काम के लिये रुपया दिया गया है वह उस काम में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं ।

कोआपरेटिव फैक्टरी के सिलसिले में यहां पर कहा गया कि न सिर्फ यह सरकार ही चाहती है कि यहां पर कोआपरेटिव फैक्टरी कायम न हों बल्कि फैक्टरीज के मालिक भी नहीं चाहते हैं कि यहां पर कोआपरेटिव फैक्टरी खुले, वह इसलिये कि अगर ऐसा किया जायगा तो इससे सरकार की आंख खुल जायगी। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि हर बात यहां पर हालात के मुताबिक ही हो रही है । इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिये । हमारे यहां जो कोआपरेटिव फैक्टरी की बात कही गयी है वह यहां पर जरूर चलेगी । कुछ लोगों का यह खयाल है कि वह नहीं चल सकेगी । इससे मुझे ऐसा अन्दाज लगता है कि शायद गेंदासिंह जी या कुछ और दोस्तों का यह खयाल है कि जानबूझकर सरकार उसमें रुकावट डालना चाहती है । इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बात हरगिज नहीं है । मशीनरी आने में देर हुई है । स्वेज कैनाल का झगड़ा रहा तो इस वजह से मशीनरी के आने में देर हुई । हमारी कोशिश यह है कि वह काम जल्द पूरा हो जाय । मुझे यकीन है कि इस साल तो हम जरूर नाउम्मीद रहे मगर हमको पूरी उम्मीद है कि अगले साल वह जरूर चल जायगी । सरकार खुद चाहती है कि कोआपरेटिव फैक्टरी ज्यादा से ज्यादा यहां पर कायम हों । हम तो और ज्यादा चाहते थे लेकिन अभी ४ ही कायम होने जा रही हैं । हमारी कमेटी जो इस सिलसिले में बैठी थी उसने १३ शुगर फैक्टरीज के लिये अपने यहां की पैदावार को देखते हुये सिफारिश की थी । उसने १३ स्थानों के लिये यह कहा था कि इन स्थानों पर फैक्टरी कायम की जायं । हम भी चाहते हैं कि यह हो लेकिन कुछ प्लानिंग की दिक्कतें हैं, कुछ एलोकेशन की दिक्कतें हैं और कुछ फारेन एक्सचेन्जेज की दिक्कतें हैं जिनकी वजह से यह ४ फैक्टरी ही लगाने की हमको इजाजत मिली है ।

खंडसारी के सिलसिले में बात कही गयी कि इसके सिलसिले में सरकार कुछ नहीं कर रही है । मैं इसके सिलसिले में यह अर्ज करता हूं कि ३८ जिलों में खंडसारी और गुड़ की उन्नति के लिये काम हो रहा है । हम ६,७७० गांवों में सर्वे कर चुके हैं । इस स्कीम को चलाने के लिये माडल गांवों को भी चुना गया है । तरह तरह के उनको कोल्हू भी दे रहे हैं ताकि पुराने कोल्हू रिप्लेस हो जायं । हम उनको तकावी इसके लिये देते हैं । जिनकी दरख्वास्त आती है उनको हम इमदाद देने की कोशिश करते हैं । थोड़ी कास्ट पर कड़ाहा भी हम देते हैं । ऐसी सूरत में हमारे यहां यह सब काम उनकी तरक्की के लिये कर रहे हैं । हम इस बात को नहीं मानते कि हम इसमें पिछड़े हुये हैं । यह तो एक अजीब सी बात है । हर तरफ आप देखें कि काफी काम हुआ है । जो हमारी स्कीम है उसके मुताबिक काफी तरक्की हो रही है लेकिन एकांगी विकास तो करना नहीं है, हर तरह की चीजों को बढ़ाना है इसलिये जो कुछ हमारे पास धनराशि और साधन हैं, उनको बांटना पड़ता है और उसकी वजह से ऐसा मालूम पड़ता है कि हम धीरे चल रहे हैं । जितना हम चाहते हैं उतना तेज तो नहीं चल पाते, लेकिन बेसब्री से काम नहीं चलेगा । चाहिये यह कि हम सब मिल कर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें और रोड़ा अटकाने की कोशिश न करें तो मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ दिन में हमारा बेस ठीक हो गया तो ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं ।

[श्री रऊफ जाफरी]

डिपार्टमेंट की शिकायतों के सिलसिले में खासतौर पर हैण्डीक्राफ्ट के बारे में कहा गया। यह एक किस्म का क्रनिक हो गया है। पिछली बार भी इसका जिक्र हुआ था और इस बार भी हुआ। मैं समझता हूं कि इसके एम्स और मकसद को समझने में कोई गलती हो रही है। हमारा मकसद यह नहीं है कि हम रिटेल के बाजार में आकर चीजों को रिटेलर्स के मुकाबले में रख कर बेचें। हमारा मकसद तो इन शो रूम्स को खोलने से यह है कि मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हमारे कारीगर तैयार करते हैं और जो स्मोल काटेज इंडस्ट्री की प्राडेक्ट हैं उनको हम पब्लिक के और दूसरे बाहरी आने वालों के सामने रख सकें और उनसे आर्डर ले सकें और उनका प्रचार कर सकें। हमारे यहां जितनी वेराइटीज हैं उतनी किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हैं। हम उनकी टेक्निक को बदल कर इम्प्रूव कर उनको सेन्टर से नया डिजाइन दे कर बाजार को तैयार चीजों के कांटैक्ट में ला कर उन चीजों को बाजार में इंट्रोड्यूस करते हैं इन शो रूम्स के द्वारा। इसमें बहुत एतराज यह हुआ कि हमारे यहां इम्पोरियम में ऐसी चीजें हैं जो जनता के किसी काम की नहीं हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि वह चीजें जनता ने बनायी हैं, उनके बिकने से गरीब दस्तकारों का फायदा होगा, और यह ठीक है कि हमारे यहां के लोगों में उन चीजों की बिक्री कम है लेकिन जो बाहर के आदमी आते हैं उन में बिक्री उन चीजों की काफी है और उनके जरिये से हमारे पास आर्डर्स आते हैं। तो इस सूरत से हमारे यह शो रूम्स काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो बातें यहां कही गयी हैं उनके मुताल्लिक ऐसा न समझा जाय कि कोई देखभाल न की जायगी। कल मैंने अर्ज किया था कि इस पूरे विभाग के सिलसिले में एक रिआर्गेनाइजेशन की तजवीज है। अगर सिर्फ हैण्डीक्राफ्ट की बात होती तो मुमकिन था कि हम कुछ कर लिये होते, लेकिन जब सब चीजों को एक पिक्चर में बैठाना है, उनको जस्ट और फिट करना है, तो उसमें कुछ देर होने की संभावना है और इसीलिये यह देर हो रही है। मैंने अर्ज किया था, वैसे आज भी जो शिकायतें और सुझाव हैं उन पर भी रिआर्गेनाइजेशन के सिलसिले में विचार होगा और जो मुनासिब होगा किया जायगा।

पहाड़ के सिलसिले में कहा गया कि वहां काफी छानबीन नहीं की गयी, देखा नहीं गया और इसलिये मालूम नहीं कि कहां क्या चीज है, कहां क्या। कापर और दूसरे मिनरल्स जो दबे पड़े हैं उनकी कोई खोज नहीं की गयी। अभी तक, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक सर्वे डिपार्टमेंट है, ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया। महजयह समझते हुए कि हमारे यहां यह काम कम हुआ है, सरकार ने अपना ज्योलाजिकल सर्वे डिपार्टमेंट कायम किया। उसके लिए इक्विपमेंट वगैरह आया है और मिनरल्स को एक्सप्लायट किया जायगा।

कहा गया कि इंडस्ट्रियल इस्टेट्स को या इंडस्ट्री को कानपुर में ही लगाया जाता है और बैकवर्ड जगहों में क्यों नहीं लगाया जाता? इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में हम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए मकान बनाते हैं मगर काम करना तो होता है दूसरे लोगों को, सरकार नहीं करती है। जहां लोगों को पावर पानी की और दूसरे किस्म की टैक्निकल सूरत की सहूलियतें होंगी वहीं तो वे जाना पसन्द करेंगे। इस समय पावर कम है आइन्दा अधिक होगी। तब हो सकता है कि और जगह भी इंडस्ट्री कायम हो। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है—कानपुर, आगरा और नैनी में हमारी तीन बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स खुल रही हैं। इसके अलावा छोटी-छोटी तीन और हैं। माननीन सदस्यों के साथ हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलें।

माननीय राजनारायण जी ने कहा कि इसमें भत्ते और वेतन की रकम बहुत ज्यादा है और वह बढ़ी है और विकास की रकम कम है और घटी है। उन्होंने सिर्फ एक ही प्राण्ट को देखा है जो खर्चे के बारे में है। २७ के अलावा और दूसरी प्राण्ट हैं जैसे कि ७२ है जिसमें कैपिटल आउटले के बारे में है, या ८२ नम्बर पर है, इन्हें जोड़ लें। इन्हें देखने से मालूम होता है कि इसमें बहुत कम नहीं हुआ। उन्होंने केवल एक ही आइटम को देखा था।

बहुत जोर दिया गया कि हम अमरीका और इंगलैण्ड की पैरवी या पैटर्न अपने विकास के सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं, हमको जापानी पैटर्न इस्तेमाल करना चाहिये। जहां तक कुछ हेवी उद्योगों का सवाल है वे तो कायम हो ही रहे हैं और पब्लिक सेक्टर में हो रहे हैं। गालिबन जापान में भी हैवी इन्डस्ट्रीज उसी तरह से चलाई जाती हैं। अगर उनका मतलब काटेज इंडस्ट्रीज से है तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि हम इस पर काफी जोर दे रहे हैं। हमारी दिक्कतें काटेज इन्डस्ट्रीज से ही हल हो सकती हैं। अगर राजनारायण जी का मतलब यह रहा हो कि जापान में कुछ उद्योग ऐसे हैं जो रा मेटीरियल घरों में दे देते हैं और वहां से तैयारशुदा माल इकट्ठा कर लेते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस किस्म के उद्योगों की क्लास हमारे यहां नहीं है। कालीन में अलबत्ता सूत, ऊन और जूट दे देते हैं। जिनसे लोग अपने घरों में ले जाकर बनाते हैं। लेकिन आम तौर पर इस तरह की क्लास हमारे यहां अभी पैदा नहीं हुई है। हमने सोचा है कि हम इसे कोआपरेटिव के जरिये से करें। इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज हम बनाना चाहते हैं। ये आम कोआपरेटिव से बिलकुल जुदा नेचर की है। हमको पहले कभी-कभी खास धन्धे के लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो पहले से कोई काम करते आये हों उन्हें समझा कर राजी करना पड़ता है कि इकट्ठा होकर कोआपरेटिव बना लें। जहां यह हो जाता है वहां हम कोआपरेटिव से काम करते हैं। अभी हम बहुत हद तक इसमें कामयाब नहीं हुये हैं लेकिन हमारा ध्येय यह है कि जैसे जापान में उद्योगपति माल के वितरण करने के लिये करते हैं वैसे हम यहां करें। कुछ चीजों में हो भी गया है जैसे सूत की बल्क खरीदारी में है। लेकिन इसे अभी और बहुत बढ़ाना है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इन्डस्ट्रीज का बजट बिलकुल नाकाफी है। इसमें मैं उनसे कतई सहमत हूं कि हमारा यह बजट हमारी जरूरतों के लिये नाकाफी है।

एक सदस्य--अम्बर चर्खे के बारे में क्या है ?

श्री रऊफ जकरी--अम्बर चर्खे के बारे में कहा गया कि उसे बन्द किया जा रहा है। ऐसी कोई स्कीम सरकार के सामने नहीं है कि उसे बन्द किया जा रहा है बल्कि उसे बढ़ाने के लिये है। ट्रेडीशनल चर्खे की जगह हम अम्बर चर्खा लगाना चाहते हैं। माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो गई है कि अम्बर चर्खे को रिट्रेन्च किया जा रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--स्पेशल मैनेजर, हैन्डीक्राफ्ट, लखनऊ के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७--उद्योग--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत ५,५७,७४,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--९५,

विपक्ष में--३८।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं कि आज्ञा दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—पहले आप अनुज्ञा मिल जाने दीजिये, अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जब उसकी इजाजत हो जाय तब आप बोल सकते हैं ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

श्री राजनारायण—मैं इस पर डिवीजन चाहता हूं और इस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करने की आज्ञा देने की कृपा करें । हमारा निवेदन यह है कि ....

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर ।

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर काहे के लिये ? मैं तो अभी कुछ बोल भी नहीं पाया ।

श्री अधिष्ठाता—श्री राजनारायण जी, आप बैठ जायं ।

श्री राजनारायण—क्या आपने उसको प्वाइंट आफ आर्डर मान लिया ?

श्री अधिष्ठाता—जी हां ।

श्री सैयद अली जहीर—जिस वक्त आपने डिवीजन का लफ्ज लिया, उसके बाद कोई तकरीर नहीं हो सकती ।

श्री राजनारायण—मेरी तकरीर तो सुनने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—आप अभी तशरीफ रखें, डिवीजन के बाद आप बोलेंगे ।

श्री राजनारायण—मैं डिवीजन के पहले ही बोलना चाहता हूं क्योंकि यह एक बड़ा अहम प्रश्न है । एक कार्य परामर्शदात्री समिति बनी हुई है . . . .

श्री अधिष्ठाता—भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहते क्या हैं ?

श्री राजनारायण—मैं डिवीजन के ऊपर कहना चाहता हूं, उसको आप सुनें तो । आपने तो मुझे कुछ कहने का भी मौका नहीं दिया ।

श्री अधिष्ठाता—भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, आपका प्रश्न क्या है ?

श्री राजनारायण—हमारा प्रश्न यह है कि यह बड़ा अहम प्रश्न है और यह पूरा मामला पहले कार्य परामर्शदात्री समिति के सामने आना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं किया गया । तो मेरा निवेदन यह है कि डिवीजन के लिये लाबी में जाकर अपने दस्तखत करने की इजाजत सदस्यों को दें जिससे सरकार की दकियानूसी नीति पर और उसकी तानाशाही प्रवृत्ति पर सदन के सामने रोशनी पड़े और उस पर अच्छी तरह से प्रकाश पड़े ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न आपके सामने है, आप बैठ जांय ।

श्री राजनारायण—मेरा कहना है कि आप लाबी में जाने की इजाजत दें कि वहां जाकर हम दस्तखत करें ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय राजनारायण जी, नियम के अनुसार लाबी में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजनारायण——आपसे मैंने करबद्ध प्रार्थना की कि आप मुझे इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करने का मौका दें कि मैं इस प्रस्ताव का क्यों विरोध कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—तो आप चाहते हैं कि सब लोग लाबी में जायं ?

श्री राजनारायण-जी हां ।

श्री अधिष्ठाता—किस रूल के अनुसार ?

श्री राजनारायण—ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धति में यह है कि जब डिवीजन की मांग की जाती है तो उसमें यह चीज इम्पलाई करती है कि लाबी में जाकर डिवीजन हो ।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जायं । अध्यक्ष को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह शो आफ हैंड्स के जरिये डिवीजन करावे । उसके लिये कोई लाजिमी नहीं है कि लाबी में जाकर ही डिवीजन करावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में १०१,
विपक्ष में ३८ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला,मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८ पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०९–११३ पर)

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मैं इतना अर्ज करूंगा कि हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी कुछ बातों पर तो आज सदन में प्रकाश पड़ा, कल व्हिप्स भी बुलाये गये और कहा गया कि कुछ प्रोग्राम वहां तय हुआ . . . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य बैठ जांय, अभी तो इस का केवल पुरः स्थापन हो रहा है, कल बहस होगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--कमेटी में यह तय हुआ था . . . .

श्री अधिष्ठाता—आप को जब तक आज्ञा न हो आप क्यों बोल रहे हैं ? आप बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन——मैं तो सूचना देना चाहता था ।

श्री राजनारायण—आप ने कहा था कि बाद को विरोध का समय हमें मिलेगा, मैं कुछ निवेदन करना चाहता था ।

श्री अधिष्ठाता——जब विधेयक पर विचार हो तब आप कहें, अभी तो केवल इन्ट्रोडक्शन हुआ है, आप को कल जो कहना हो कहें ।

श्री राजनारायण—एक निवेदन कर दूं ।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जायं, आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर तो है नहीं ।

श्री राजनारायण—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि किसी भी सदन के सदस्य को क्या यह हक नहीं है कि जिस बिल को वह अनडिजायर बिल समझे उसके पुरःस्थापन के समय ही एतराज करे और उस के पुरःस्थापन होने का ही विरोध करे ? क्या किसी सदस्य को

[श्री राजनारायण]

यह अधिकार नहीं है कि अध्यक्ष महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय से या अधिष्ठाता महोदय से यह निवेदन करे कि उस के पुरःस्थापन की आज्ञा प्रदान न करें ? मैं इस विषय में पहले आप की अनुमति और आदेश जो हो उसको समझना चाहता हूं और उसके बाद जब स्टाम्प के बारे में विधेयक आयेगा तो जो कहना होगा वह कहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—आप ने जो एतराज उठाया तो आप विरोध कर सकते हैं लेकिन परम्परा यह रही है कि इन्ट्रोडक्शन के समय कोई बहस नहीं होती और जब विचार के लिये विधेयक आता है तब जो कहना हो वह कह सकते हैं ।

श्री राजनारायण—अधिष्ठाता महोदय, मैं भी सदन का सदस्य ६ वर्ष से हूं और यहां की परम्परा को भी जानता हूं । हमने ऐसे मौके पर विरोध किया भी है और अब भी करना चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि किस कांस्टीट्यूशन और किस नियम के अनुसार इस समय हम विरोध नहीं कर सकते ?

श्री अधिष्ठाता—मैंने रूलिंग दे दी कि इस तरह की परम्परा रही है ।

श्री राजनारायण—आप ने अभी कहा कि आप को हक है, तो आप हमारा हक तो देंगे ?

श्री अधिष्ठाता—अब आप बैठ जायं, मेरी रूलिंग हो चुकी ।

श्री राजनारायण—क्या आप निवेदन भी नहीं करने देंगे ?

श्री अधिष्ठाता—अब अगला आइटम चलेगा ।

श्री राजनारायण—आप ने प्वाइंट आफ आर्डर का जवाब देते हुये कहा कि हमें हक है । उस समय हमने उठकर के कहा कि आप आज्ञा न दें । क्यों आप आज्ञा न दें, इसके लिए आप हमको मौका दें, वह हम आपके सामने निवेदन करें । आपने हमको मौका नहीं दिया उस समय यह कहकर के कि जब मैं अनुमति दे दूंगा पुरःस्थापित करने की तब आप कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझ गया, आप बैठ जाइए । देखिए यह व्यवस्था है कि हाउस ने, सदन ने अनुज्ञा दे दी ....

श्री राजनारायण—सदन ने नहीं, आपने अनुमति दी और मेरे निवेदन करने के बार-बार आग्रह को ठुकराकर के आपने कहा कि आप बाद में बोलेंगे, इस समय नहीं ...

श्री अधिष्ठाता—देखिए, माननीय सदस्य जब यह बिल विचार के लिए आयेगा, उस समय अपने विचार प्रकट कर सकेंगे ।

श्री राजनारायण—जरा आप मेरा निवेदन सुन लें, यह अधिष्ठाता, या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष किसी के अधिकार की बात नहीं है कि हमको उस समय विरोध करने का मौका न दें । यह हमारा राइट है । हम उसका विरोध कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—आप नियम ९३ पढ़ लें :—

"*Motion for Leave to Introduce*—If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question."

इसमें इफ ही थिंक्स फिट, ये वर्ड्स हैं । तो डिबेट का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८*

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

†श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—प्वाइंट आफ आर्डर । हमारा प्वाइंट आफ आर्डर यह है इसमें कि इस समय जिस विधेयक को पुर:स्थापित करने की बात चल रही है इसकी भी सूचना हमको आज ही दी गई है और इसका कोई आवश्यक मेटीरियल भी हमारे सामने नहीं आया ....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य देखेंगे ११ तारीख को ....

श्री राजनारायण—जरा सुन लें । ११ तारीख को आ गया था लेकिन जब तक तिथि निश्चित नहीं होगी, उसकी हमको सूचना नहीं मिलेगी तब तक ४८ घंटे पहले हम संशोधन नहीं दे सकते । इसीलिए इसकी सूचना पहले से होनी चाहिए ताकि हम संशोधन दे सकें । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मन्त्री जो इस तरह की हठवादिता का परिचय देंगे कि यह इसी समय होना चाहिए और हमारे बार बार के निवेदन को नहीं मानेंगे, पुराने ४ पैसे के स्थान पर १० नये पैसे रखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको संख्या का बाहुल्य प्राप्त है, वह जो चाहें करें, लेकिन मैं किसी गलत काम का पार्टी नहीं हो सकता और न मेरा दल किसी ऐसे गलत काम का पार्टी होगा । सरकार अगर चाहे तो अपने संख्यासुर का प्रयोग करे । अगर अब भी वह मान जायं, इसको वापस ले लें, आज इस पर वादविवाद न हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर वह जिद करेंगे तो उनकी इस हठवादिता के विरोध में, और सदन के सदस्यों को पूरा अवसर न प्रदान करने के विरोध में, हम सदन त्याग करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—११ तारीख (फरवरी) को यह विधेयक आ गया था और आज इसके बारे में बात हो चुकी है, समय निश्चित हो चुका है । इसलिये माननीय मंत्री जी इसको पेश कर सकते हैं ।

श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय ....

श्री राजनारायण—तो श्रीमान, इसके विरोध में, चूंकि हम गरीबों के हित का हनन नहीं करना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी पुराने ४ पैसों की जगह १० नये पैसे कर रहे हैं, सरकार की दकियानूसी नीति के विरोध में, सदन का त्याग करते हैं ।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन के बाहर चले गये ।)

श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, अंग्रेजी की एक मसल है—"स्टार्म इन ए टी कप ।" यानी चाय की प्याली में एक तूफान आया हुआ है । यह कानून सिर्फ इसीलिये पेश किया गया है कि जो रकमें पहले आने, पाई में थीं और उनको अब बदल कर के जब से डेसिमल सिस्टम हमने अपने मुल्क में अपनाया है तब से वह रकम डेसिमल सिस्टम में कर दी जाय। इससे ज्यादा न इसका कोई असर है और न कोई इससे ज्यादा गरज है । सिर्फ एक जगह पर जहां पर लिखा है सेक्शन 19-A (c) और 30-A आफ दी प्रिन्सिपल ऐक्ट । for the word "one anna" the words "ten naye paise" shall be substituted. यही एक दफा है जिस पर कुछ एतराज किया जाता है । और जो बातें राजनारायण जी ने

---

*११ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही में छपा है ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सैयद अली जहीर]

गुस्से से सदन के सामने कहीं वह गालिबन इसी पर मबनी थीं । वरना इसके अलावा जो कुछ जहां कहीं हैं वह यही है कि जहां ४ आना है उसकी जगह २५ नये पैसे, ८ आना की जगह ५० नये पैसे और १२ आने की जगह ७५ नये पैसे समझा जाय । पूरे कानून में यही है ।

माननीय सदस्य इस पर एतराज कर रहे हैं कि १० नये पैसे १ आने की जगह क्यों रखे गये हैं । तो वह अगर दफा पढ़ने की तकलीफ करें तो उनको मालूम हो जायगा कि यह ऐसी चीज नहीं है जो हम नई ड्यूटी लगा रहे हों, या रकम को बढ़ा रहे हों । दफा 19-A को देखा जाय:

"19-A. Where any person on applying for the probate of a Will or letters of Administration has estimated the property of the deceased to be of greater value than the same has afterwards proved to be, and has consequently paid too high a court-fee thereon, if, within six months after the true value of the property has been ascertained, such person produces the Probate or Letters to the Chief Controlling Revenue Authority for the local area in which the Probate or Letters has or have been granted, and delivers to such authority a particular inventory and valuation of the property of the deceased, verified by affidavit or affirmation, and if such Authority is satisfied that a greater fee was paid on the Probate or Letters than the law required, the said Authority may."

इसके बाद 19-A (*c*) आती है—

"(*c*) make an allowance for the difference between them as in the case of spoiled stamps, or repay the same in money, at his discretion, after deducting one anna for each rupee or fraction thereof."

इसके माने यह हैं कि जैसे कोई रेल का टिकट खरीदता है और फिर उसको वापस करता है । अगर उस दिन उसको यूटीलाइज नहीं करना है, तो उसको कुछ न कुछ रिबेट देना पड़ता है । तो यह १ आना रखा गया था इसको अब १० नया पैसा किया जा रहा है । ऐसी हालतों में जब कोई गलती से, ज्यादा रुपया दे दे और वह वापस मांगता है तो उसके लिये लिखा गया है कि बजाय १ आने के १० नया पैसा कट जायगा । सिर्फ यही इरादा है । जो रकम वापस मिलेगी उसमें इतनी रकम कट जायगी । बहरहाल यह तो ऐसी चीज है जो बहुत इसकी नौबत नहीं आयेगी । तो इसके जरिये से न तो यह इरादा है कि कोई टैक्स बढ़ाया जाय या कोई रकम ज्यादा ली जाय । झगड़ा करने के लिये, खामख्वाह एतराज करने के लिये तो कोई भी वजह हो सकती है ।

इतना-सा कानून माननीय सदस्यों के सामने पेश है और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इसको पास करेंगे ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इस विधेयक को तो जल्दी पास करने की बात तय हुई थी और मैं अपने को पाबन्द भी मानता हूं । ५ मिनट की बात शायद हुई थी । लेकिन सदन का समय अधिक बढ़ गया है और स्वतः माननीय न्याय मंत्री जी ने ५ मिनट का बंधन तोड़ दिया है । इसलिये मैं ज्यादा न कह कर दो, तीन मिनट में इस संबंध में कहना चाहूंगा । यह बात मुझे खटकती है कि जब कोई कानून बनता है तो उससे चाहे और किसी का लाभ हो लेकिन जो सब से निचला वर्ग है उस में वह नुकसान उठा जाता है । मैंने गौर से इस सिक्के वाली बात को समझने की कोशिश की है । मुझे यह बात बहुत तकलीफदेह मालूम होती है कि यह सिक्का प्रणाली जो चली उस से भी जो भारतवर्ष का सब से ज्यादा दुखी वर्ग है उसको नुकसान पहुंच रहा है । पहले जमाने में जब कोई भीख मांगने वाला किसी के सामने हाथ पसारता था तो वह पुराना पैसा जो आज १ पैसा नहीं है, देता था और अब जब वह हाथ पसारता है तो यह नया पैसा वह दे देता है । नये पैसे और पुराने पैसे में बड़ा अन्तर है । तो उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य--फायदा ही होता है। ६४ के बजाय १०० मिलते हैं।

श्री गेंदासिंह--मैं बराबर आपको सुनता हूं। आज भी आपको वैसा ही समझा जैसा पहले समझा करता था। अधिष्ठाता महोदय, उनका इलाज किया जाय जो यह समझते हैं कि भीख मांगने वाले को पुराना पैसा देने में नुकसान पहुंचता है और नया पैसा देने में फायदा पहुंचता है। इसका इलाज कुछ कराना पड़ेगा चाहे माननीय मंत्री जी करें या कोई दूसरा करे, लेकिन करिये इलाज।

मैंने इस तरफ ध्यान दिलाया कि सब से निचला वर्ग जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। यों तो सरकार ने तय कर लिया है कि भीख मांगने की प्रथा उसकी शान व इज्जत के खिलाफ नहीं है, वह जारी रहेगी। अगर जारी रहेगी तो माननीय मंत्री मेरी बात पर अदृश्य ध्यान देंगे।

माननीय मंत्री ने कहा कि ४ पुराने पैसे की जगह १० नये पैसे कर दिये गये हैं। जब हम बस पर चढ़ते थे तो ६ पैसे देते थे लेकिन अब १० नये पैसे देते हैं और इसी तरह से यहां १ आने से १० नये पैसे कर दिये। तो मुझे यह कहना है कि एक कहावत है देहात में कि किसी खीरे पर चाकू गिरे तो खीरा कटे और चाकू के ऊपर खीरा गिरे तो खीरा कटे। दोनों तरह से खीरा कटना है। तो सरकार पब्लिक एक्सचेकर में कोई घाटा होने देना नहीं चाहती हालांकि वह जनता का ही खजाना है। उस जनता से लेने में ही खूबसूरती और खुशी समझी जाती है लेकिन उसकी तकलीफ दूर करने में या उसे दूर करने में भी कभी खुशी समझी जायगी? इस पर अधिक विवाद करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। अपने विचारों को मैंने आपके सामने रख दिया है। मुझे उम्मीद है कि भीख मांगने में १ नये पैसे वाली बात पर मंत्री जी का ध्यान जायगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम आप अपने राज्य में भीख मांगने की प्रथा को खत्म कर दें, चाहे कुछ और खत्म करें या न करें। रोटी की व्यवस्था तो उनके लिये किसी तरह से हो जाय। अगर इस ओर मंत्री जी का ध्यान गया तो मैं उनका बड़ा उपकार मानूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अधिष्ठाता महोदय . . . .

श्री अधिष्ठाता--आप पहले अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--अधिष्ठाता महोदय, पहले संशोधन तो कर लूं। मुझे आज दुःख है, मुझे क्षमा करेंगे कि कुछ आज हम लोग ज्यादा उतावली में हैं।

श्री अधिष्ठाता--पहले आप अपना संशोधन पेश करें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--अधिष्ठाता महोदय, संशोधन से पेश्तर आज कुछ डिबेट हो रही है। खैर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट-फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो दो मास के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे। प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

तो अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि न मालूम क्या बदकिस्मती हमारी है कि जब हमारे जन संघ का टर्न आता है तो इधर उधर चला जाता है। आज दो बार हो चुकी है इस सदन में यह बात।

श्री अधिष्ठाता--आप अपने संशोधन पर बोलिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मैं किसी के विरोध में नहीं कहूंगा। मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि पहले भी यह बात हुई है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, वह बुजुर्ग हैं, लेकिन यह बदकिस्मती ऐसी हो गयी कि अब "परसनेलिटीज हैव बिगन

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

डकाउंट इन दिस हाउस"। तो इससे ऐसा हो जाता है कि फ़ील होता है। हम तो यह चाहते हैं कि सहयोग और सद्भावना बनी रहे शुरू से आखिर तक और डिस्क्रिमिनेशन का माद्दा कम हो, लेकिन इतना मुझे कहना पड़ा, कष्ट के साथ।

जहां तक इस वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, गवर्नमेंट वह हर मौका लेती है जिस बहाने से वह पब्लिक से ज्यादा से ज्यादा रुपया टैक्स के रूप में वसूल कर सके और उसके लिये एक बड़ा लेम एक्सक्यूज किया जाता है। कभी तो कहा जाता है कि हम सवैया बढ़ाने के लिये कर रहे है, हम तो इसको राउंड फिगर में ला रहे हैं, कभी कहा जाता है कि डेसीमल क्वायनेज के लिये कर रहे हैं। आज ४ पुराने पैसे के, जिस पर हमारा विरोध है, इस सरकार के १० नये पैसे होते हैं। आप चाहे और डिपार्टमेंट्स को ले लीजिये, हमारे लिये तो दुअन्नी के १२ नये पैसे होते हैं और सरकार १३ नये पैसे वसूल कर लेती है। वहां यह नहीं कि १० हो जायं, घट जायं यानी हर बात को अपने फायदे के लिये ले लेती है। अगर डेसीमल क्वायनेज में बदलेंगे और राउंड फिगर रखेंगे तो ४ पुराने पैसे के जो ६ नये पैसे होते हैं तो ६ के नजदीक है ५,१० नहीं हैं तो ५ नहीं रखेंगे, बल्कि १० रखेंगे। वह नहीं चाहते कि पंच परमेश्वर को लायें, उन्हें तो १० नम्बर पसन्द है। कहते हैं कि पंचायत राज होगा, लेकिन उससे हिकारत है और प्रेम किस से है? नम्बर १० से है। चाहे वह ११० दफा हो या दस नम्बर हो जो कि वैसे ही बदनाम है। तो सरकार अपने फायदे के लिये इस प्रकार के बहाने लेती है। इससे होगा क्या? कहा जाता है जिस किसी से कोर्ट फीस ज्यादा लग जाती है, ओवर वेलुएशन आफ दि सूट हो जाता है या नान-जुडीशियल स्टैम्प ज्यादा का लग जाता है तो पहले रिफंड के लिये कोई दरख्वास्त देता था तो जितने वेलुएशन का स्टाम्प हो, हर रुपये पीछे उसकी इकन्नी कटती थी। अब उसकी जगह १० नये पैसे, यानी १० परसेंट कट जायगा उसका।

अगर शुरू से लें तो कोर्ट फीस के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है। सरकार की नीति यह रही है कि "मैन विद दि लांगर पर्स विन्स"। यानी चाहे कितना ही न्याय का पक्ष हो, कानून भी उसके अनुकूल हो सोलहों आने, लेकिन अगर अपील में पैरवी नहीं कर सकता, सेकेंड अपील में खर्च नहीं कर सकता तो गरीब की तो मरन है। कोर्ट फीस की हालत क्या है? आज कोर्ट फीस २०० रुपये तक तो १० परसेंट है। २०० रुपये के बाद बढ़कर करीब ११ के पहुंचता है। अर्जियों को ले लीजिये। पहले ८ आने पड़ते थे, उसके बाद १२ आने हुआ, फिर १५ आने हुआ और उसके बाद राउंड फ़ीगर के नाम पर १ रुपया कर दिया गया। चाहे वकालतनामा हो चाहे और कोई मामूली अर्जी हो। तो गरीब जनता, जिसके पास पैसा नहीं है उसको आजकल न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और न्याय बिकने लगा है। आजकल बदकिस्मती से कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है। अगर किसी की जमीन कोई जबरदस्ती ताकत के बल पर ले लेता है तो अपना कुनबा पालने के लिये उस गरीब काश्तकार को वह जमीन वापस लेना दुश्वार हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कोर्ट फीस लगाने के लिये। इसी तरह नकल को ले लीजिये। पहले ४ आना था, फिर आठ आना हुआ, फिर १२ आना हुआ और अब १,२०० शब्दों के लिये साढ़े तीन रुपये हो गये। तो गवर्नमेंट की सारी नीति महज क्वायनेज को बदलने की नहीं है बल्कि उसकी चतुराई यह है कि किस तरह से हम टैक्स एनहैन्स करें, राहत एक फूटी कौड़ी की नहीं देती। जिस राज्य में गरीब न्याय नहीं पा सकता, अपनी जायदाद नहीं रख सकता, अपने हकों की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इस सबका न्याय से सम्बन्ध है, तो वह कोई राज्य नहीं है, उसे अगर रावण का राज्य कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

माननीय हाफ़िज साहब माफ़ करेंगे, वे बहुत बुजुर्ग हैं। मैं उनकी शान के खिलाफ़ कुछ अर्ज करना नहीं चाहता था। आज उनके फ़ेयरवेल का दिन है, पार्टी वगैरह होने वाली है, लेकिन अभी शासकीय पार्टी के एक कांग्रेसी सदस्य ने सदन का परित्याग किया और किस तरह से यह पार्टी हावी रहती है। स्टालिन वगैरह को कहा जाता था कि वे बोलने नहीं देते, लेकिन मैं

तो यह देखता हूं कि किस तरह से इस कांग्रेस पार्टी के गेस्टापो काम करते हैं। देशबन्धु चितरंजन दास के नाती ने पार्टी का त्याग किया जो कि अखबारों में छाया हुआ है। उन्होंने कहा—"The Congress and its Governments were helping in building a morally corrupt and physically weak nation."

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—प्वांइट आफ आर्डर। माननीय सदस्य जो यहां पढ़ रहे हैं इसका उनके प्रस्ताव से क्या सम्बन्ध है? मैं समझता हूं कि यह इर्रेलेवेंट है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इसका उत्तर यह है कि मिनिस्टर आफ़ जस्टिस ने प्रांड पेश की है। कोर्ट फ़ीस का मामला जस्टिस के अन्दर आता है . . .

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने दूसरा प्रश्न उठाया। आप अपना विचार विधेयक तक ही सीमित रखें तो अच्छा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—यह सामान्य विवाद हो रहा है। अभी हम क्लाजेज पर नहीं बोल रहे हैं। इस वक्त तो जस्टिस कैसी होनी चाहिये, क्या हो रहा है, इस सब पर हम बोल सकते हैं। हां, जब क्लाजेज पर हम आयेंगे उस वक्त ये बातें इर्रेलेवेंट हो जायंगी।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, आप विधेयक पर ही बोलें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—वही कह रहा हूं। इसमें सारी न्याय की बातें हैं और आज जिस शासन सत्ता के हाथ में चार शासन का सूत्र है वह कैसे करती है। आज हम देखते हैं कि पुराने चार पैसे के बजाय ६ नये पैसे होने चाहिये, वह न करके १० नये पैसे किये जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं एक्सप्लेन करने के लिये मिसाल दे रहा हूं।

श्री सैयद अली जहीर—श्रीमन्, यह ग्रांट पर बहस नहीं हो रही है।

श्री अधिष्ठाता—मैंने उनको रोक दिया है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—न्याय नहीं हो रहा है तो क्या अन्याय हो रहा है? अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लें तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लिये लेता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—यह तो आपके समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है?

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो बिना आपकी आज्ञा के कैसे खड़े हो गये?

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जाइये, वह मेरी आज्ञा से खड़े हुए हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, मैं केवल दो चार लाइन्स ही पढ़ूंगा।

श्री अधिष्ठाता—आप न पढ़ें और अपने को संशोधन तक ही सीमित रखें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जो बातें आप कहेंगे वह सब माननी पड़ेगी क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हुये हैं। श्रीमन्, हमारी बदकिस्मती यह है कि हमने तो ऐटमासफियर को शान्त बनाये रखना चाहा था . . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वह इस विधेयक पर ही अपने विचार व्यक्त करें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—श्रीमन्, ऐसा ही होगा। मैं कह रहा था कि आज इस राज्य में . . . .

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---श्रीमन्, माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप कुर्सी पर बैठे हैं इसलिये जो भी आप कहेंगे वह मुझे माननी पड़ेगी। यह कुर्सी पर रिफलेक्शन है।

श्री अधिष्ठाता---यह तो चेयर की डिगनिटी है कि वह उसकी बात मानते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, यह तो उधर बैठने के कारण समझ का फेर है। बात यह है कि मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और उधर के बैठे हुये सदस्यों से अर्ज कर रहा था कि अब भी आप संभल जायेंगे। अगर आप समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, अगर आप अपने सिद्धान्तों पर चलना चाहते हैं, यह मेरे नहीं हैं बल्कि आपके ही है और मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। तो इस तरह से बैंक डोर टैक्सेशन को न लाइये। वह दिन दूर नहीं जब कि आपके पाप का घड़ा जो भर रहा है वह फूटेगा और कयामत बरपा करेगा। आपके टैक्सेज जब बढ़ते चले जायेंगे और गरीबों के लिये अदालत व न्याय के दरवाजे बन्द हो जायंगे और वह कोर्ट फीस नहीं लगा सकेंगे तो उसका प्रतिकार क्या होगा। उसका प्रतिकार यही होगा कि उनमें रिवोल्यूशन की भावना पैदा होने लगेगी। आज आपके टैक्सेज का बोझ जनता के ऊपर बढ़ रहा है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि इस तरह से जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिये।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मुझे इसके सिलसिले में अधिक नहीं कहना है। समय भी बहुत कम है और जहां तक मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया है मेरे सामने कुछ कठिनाइयां हैं और मैं निवेदन कर दूं कि माननीय न्याय मंत्री जी के लिये भी कठिनाइयां होंगी और उन्हें फिर से संशोधन लाना पड़ेगा।

श्रीमन्, यह १८७० का बहुत पुराना विधेयक है . . .

श्री अधिष्ठाता---आप अपना संशोधन पेश कर दें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ जनमत प्राप्त करने के लिये एक माह तक घुमाया जाय।

श्रीमन्, इसमें यह भी संशोधन है २५,५० तथा ७५ नये पैसों का। मैं आप से केवल यह पूछना चाहता हूं कि जहां पर २५ नये पैसे के टिकट की जरूरत होगी वहां पर सब से छोटा टिकट १० नये पैसे का होगा। २५ नये पैसे के लिये उसके लिये अगर कहीं जरूरत पड़ी तो फिर उसके लिये कठिनाई होगी। मैं जहां तक समझा हूं आपके कहने के मुताबिक उन्होंने यह कहा कि जो रुपया कहीं से वापस लेना होगा तो १० नये पैसे उसको देना होगा। यह कोर्ट फीस है, सरकार इसको कैसे कम समझती है? एक आने की जगह पर १० नये पैसे का हिसाब लगाया गया है। मैं समझता हूं कि तमाम लोगों से इसका सम्बन्ध है। तमाम लोग कचहरी में जाते हैं जिनको टिकट लगाना पड़ता है। अगर सब से छोटा टिकट १ आने की जगह पर ६ नये पैसे का कर दिया जाय तो इससे लोगों को सुविधा होगी।

श्री पदबर राम (जिला गाजीपुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर सदन के सम्मुख पेश करे।

श्रीमन्, यह एक तरह से नया टैक्सेशन है। यह जनता के ऊपर एक नया टैक्स लगाने जा रहा है। पुराने विधेयक में एक आना था उसकी जगह पर ६ नया पैसा होना चाहिये लेकिन १० नया पैसा किया गया है। इसका साफ मतलब यह है कि नये सिरे से यह टैक्स लग रहा है। आप जरा खयाल कीजिये कि गरीब जनता और खासतौर से हरिजनों को जो कि अदालत में पहुंचते हैं, पैदल चलकर ४०-५० मील का सफर करके जब वह कचहरी में पहुंचते हैं तो भुंजा सतुआ बांधकर न्याय हासिल करने के लिये अदालत में जाते हैं। उनको अपना पेट काट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर सरकार को देना पड़ेगा। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गरीबों को न्याय सस्ता मिलना चाहिये। इन्साफ ऐसा हो कि जो सर्वसाधारण के लिये सुलभ हो। इस संशोधन के जरिये सरकार एक ऐसी स्थिति ला रही है जिससे इन्साफ का पाना गरीब और जनसाधारण के लिये मुश्किल हो जायगा।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि अभी हाल ही में केरल की सरकार ने हरिजनों के लिये खासतौर पर गरीब आदमियों के लिये कानून से इतना सस्ता किया है कि हर आदमी इन्साफ पा सके। खासतौर पर न्याय हासिल करने के लिये खर्च के रूप में कोर्ट फीस में छूट दी गई है। उनको मुफ्त वकील देने की कोशिश की गई है। यहां पर अगर सरकार इतना न कर सके तो कम से कम इतना ही हो जाय कि इस बढ़े हुये टैक्स के बढ़े हुये पैसे ही छोड़ दे, यानी ६ पैसे ही रहने दे। अगर सरकार ऐसा करे तो वह अपनी उदारता का परिचय देगी।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन हमारे काबिल दोस्त ने प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूं। वह यह है कि मैं समझता हूं कि यहां पर प्रोफेशन और आकुपेशन दो हैसियत मंत्री जो रखते हैं। प्रोफेशन से नहीं बल्कि आकुपेशन से वह मिनिस्टर हैं और प्रोफेशन से वह बैरिस्टर हैं। तो बदकिस्मती से वह एडवोकेसी यहां बहस करना चाहते हैं। १२ आने के ७५ नये पैसे, ८ आने के ५० नये पैसे और ४ आने के २५ नये पैसे वह करना चाहते हैं लेकिन १ आने के १० नये पैसे वह कर रहे हैं। यह सही है कि यह टैक्सेशन नहीं है। मगर मुमकिन है कि उसका यह दूसरा रूप हो। लेकिन यह भी सही है कि अगर रजिस्ट्रेशन में गलती से किसी ने ज्यादा रकम देदी तो उसके लिये मंत्री जी कहेंगे कि यह छूट की बात करते हो। माना कि यह रुपया वह है जो हमें वापस पाना है या वह रुपया है जो मुंशी की या रजिस्ट्रेशन क्लर्क की गलती से या मालूम नहीं किसी दूसरे की गलती से, हम ने ज्यादा दिया है। यह वह रुपया है जो वापस आना है। उस के वापस आने में जो हम को मिलना चाहिये वह उचित हिसाब से मिले, लेकिन उस में सरकार क्यों बाधक होना चाहती है? यह ठीक है कि आप कहते हैं कि डेसिमल कवायनेज इंट्रोडयूस हुआ इसलिये हम को ५ का मल्टिपुल ही रखना पड़ेगा। २५, ७५, ५०, ५ के मल्टिपुल हैं, ठीक है. लेकिन आप बजाय १० के ५ यूनिट को ही रख सकते थे। आप वह क्यों नहीं रखते? और क्यों नहीं करना चाहते? बस, यही मुझे अर्ज करना है।

श्री सैयद अली जहीर--अधिष्ठाता महोदय, मैं तो यह अर्ज करूंगा कि यह बात नहीं है कि जिन माननीय सदस्यों ने तकरीरें की हैं वह इस कानून को समझे नहीं हैं, बल्कि मैं यह समझता हूं कि वह जानबूझ कर, डेलिबरेटली, अमदन इस बात की कोशिश करते हैं कि इस के और माने लगा कर, कोई न कोई मौका ढूंढें और सरकार पर कोई इल्जाम लगायें। न किसी किस्म के टैक्स का सवाल है और न किसी तरह की ड्यूटी बढ़ाने का सवाल है और न कोई कोर्टफीस बढ़ाई जा रही है। स्टाम्प्स जो छपे हुए होते हैं उनको जब वापस लेना पड़ता है तो जाहिर है कि उसमें कुछ न कुछ स्टेट का खर्च होता ही है। रुपया जो खजाने में दाखिल होता है, अगर उसे वापस किया जाय तो कहा जा सकता है कि उस में कुछ खर्च नहीं होता, हालांकि उसमें भी कुछ न कुछ वक्त हमारे मुलाजमीन का लगता है और इस तरह से उसमें भी कुछ खर्च होता है। लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाय, तो यह स्टाम्प का मामला है। वे छपते हैं नासिक में। वहां कागज पर, छपाई पर कुछ खर्च होता है और हर चीज के दाम आज कल बढ़ गये हैं। जो उनकी बिक्री हुई है, उसकी कीमत वापस करनी है। तो इस के लिये जो स्टैंडर्ड है हमारे देश में, उसको देखते हुए और इस वजह से भी कि डेसीमल कवायनेज हमको देश में लागू करना है, अगर एक आने को १० नये पैसे कर दिया गया, तो जाहिर है कि उसमें कोई खास ज्यादती नहीं हो सकती। यह न तो टैक्स है और न गरीबों के साथ कोई अन्याय करना है। मुझे हैरत तो जब हुई जब कि मेरे जनसंघ के दोस्त श्री गोविन्द सिंह जी, जिनका

[श्री सैयद अली जहीर]

ताल्लुक किसी तरह से भी गरीबों से नहीं है और जिनकी पार्टी ज सिर्फ जमींदार और पूंजीपति ही हैं, जिन्होंने सदा ही गरीबों का खून चूसा है, आज शिकायत करने आये हैं कि गरीबों का खून चूसा जा रहा है .....

श्री राजेन्द्र सिंह---मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जनसंघ पर आरोप लगाया है कि यह पूंजीपतियों और बड़े आदमियों की पार्टी है और कहा कि गोविंद सिंह जी का गरीबों से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कोई एक भी उदाहरण पेश करें कि जो उन्होंने चार्ज लगाया है उसका आधार क्या है।

श्री अधिष्ठाता---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर---मुझे हैरत है कि अभी वह इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर चुके और उसके बाद यह कहा जा रहा है। और जो कुछ कांग्रेस पार्टी के लिये सुबह से शाम तक कहा जाता है उस के बाद आप यह कह रहे हैं कि जनसंघ पार्टी के लिये मैंने अपने खयालात इस तरह से इजहार किये। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि ऐसे लोगों का यह एतराज करना कि गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है, उसको मैं यह समझूंगा कि अमदन वह इसके माने नहीं समझना चाहते। इस समय जो डेसीमल क्वायनेज इंट्रोड्यूस किये जा रहे हैं उन की वजह से ही हम को यह तब्दीली करनी पड़ी और जैसा कि हमारे मेथमेटीशियन दोस्त ने कहा वह ठीक है कि हम १० इसीलिये करने जा रहे हैं कि वह ५ का मल्टिपुल हो जाय। कीमतें भी बढ़ गयी हैं इसलिये घटाने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिये हमने जो १० नया पैसा रखा है, वह वाजिब ही है। इस वजह से इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने या सरक्युलेट करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिये इस बाबत जो तजवीजें पेश की गयी हैं उनको रद्द किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---११९,

विपक्ष में---२३।)

खंड २

२---उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा- ऐक्ट
संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया ७, १८७० को
है) की धारा ४ तथा ६ (१) के अन्त में आने वाले स्पष्टीकरणों में शब्द धारा ४ तथा
"four annas" "eight annas" और "twelve annas" के स्थान ६ का संशोधन
पर क्रमशः शब्द "twenty-five naye paise" "fifty naye paise"
और "seventy five naye paise" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता---खंड २ पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा १९-ए (सी) तथा ३०-ए में शब्द "one anna" के स्थान पर शब्द "ten naye paise" रख दिये जायं। ऐक्ट ७, १८७० की धारा १९-ए तथा ३०-ए का संशोधन।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं खंड ३ में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

"खंड ३ की पंक्ति २ में शब्द 'ten naye paise' के स्थान पर शब्द "six naye paise रख दिये जायं"।

अधिष्ठाता महोदय, आप आज जिस कुर्सी पर आसीन हैं, लगभग डेढ़ महीने से जब विरोधी पक्ष सदन में कोई कामरोको प्रस्ताव पेश करता था तो आदरणीय अध्यक्ष द्वारा अधिकांश यही व्यवस्था दी जाती थी कि चूंकि सदन के सम्मुख बजट पेश है, अनुदान के समय हम उन प्रस्तावों पर विचार कर सकते हैं। आज मैं पुनः आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी चन्द मिनट पहले इस सदन में एक अनुदान उपस्थित था। लगभग डेढ़ महीने तक बजट पर बहस हुई और माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया...

श्री अधिष्ठाता—माननीय लहरी जी, आप अपने संशोधन पर ही बोलें।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं अपने संशोधन पर ही बोल रहा हूं, पहले आप सुन तो लें। तो मैं यह कह रहा था कि न तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ कहा और न सरकार की तरफ से ही बतलाया गया कि कोर्ट फीस ऐक्ट में हम कुछ इस तरह का संशोधन करने जा रहे हैं, जिसमें एक आना की जगह "६ नये पैसे" लिये जायेंगे। श्रीमन्, भारत सरकार और यू० पी० सरकार के सूचना विभाग द्वारा एक दो नहीं, लाखों रुपया इस देश की करोड़ों जनता के अन्दर प्रचार करने के लिये और इस बात के लिये प्रतिमास व्यय किया गया कि समाज के अन्दर पुराने सिक्के की जगह जो नये सिक्के प्रचलित हुए हैं, उनका सही ज्ञान कराया जाय। इसके लिये सूचना विभाग की ओर से साइनबोर्ड, पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं के द्वारा सार देश और प्रदेश में प्रचार किया गया और देश की सभी भाषाओं के समाचार पत्रों में इसके लिये विज्ञापन दिया गया। उसकी एक तालिका भी प्रकाशित हुई है और हर तालिका में जहां तक मेरा विश्वास है, मुझे यही मिला कि पुराने सिक्के में जो १ आना है उसका परिवर्तन ६ नये पैसे में होगा।

जहां तक किसी विधेयक के बारे में विचार करने का सम्बन्ध है, उसके उद्देश्य और कारणों पर भी विचार किया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि—

"Consequent on the introduction of decimal coinage in the country, it has become necessary to render the existing rates of court fee and various other references to the old coinage in the Court Fees Act, 1870, the terms of the decimal coinage. This Bill is being introduced with this object."

यानी देश में चूंकि नये क्वायनेज के सिक्के प्रचलित हो गये हैं और उनके कारण से जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण से यह संशोधन आ रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि चूंकि नासिक प्रेस में कागज आदि के दाम बढ़ गये हैं इस वास्ते यह दाम बढ़ाये जा रहे हैं। आप का मतलब यह है...

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—आपस में बातचीत न करें, चेयर को आप एड्रेस करें।

श्री जगन्नाथ लहरी—१ अप्रैल, सन् ५७ से जब से देश में यह नये सिक्के प्रचलित हुये हैं तब से एक आना के स्थान पर दस नये पैसे कहीं नहीं लगाये गये हैं बल्कि ६ पैसे लगाये गये हैं। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया नये सिक्कों के प्रचलन की जानकारी कराने में व्यय हुआ और तमाम पुस्तिका और विज्ञापन निकले लेकिन किसी में भी यह नहीं लिखा है कि १ आने का स्थान दस नये पैसे लेंगे और अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार का वह करोड़ों रुपया बरबाद हो गया। मेरा ख्याल है कि इससे आम जनता में एक गलतफहमी पैदा होगी। इसलिये मैं जिन शब्दों में सरकार से निवेदन करूंगा कि जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं वह उनका ध्यान रखें, उस में लिखा है कि क्वायनेज सिस्टम के बेज की वजह से ही इस परिवर्तन की आवश्यकता हुई है और उस के अनुसार १ आना ६ नये पैसे में ही परिवर्तित हो सकता है, दस में नहीं हो सकता, भारत के किसी भी भाग में ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में सदन का अपमान करती है क्योंकि उसने बजट में किसी नये टैक्स को बढ़ाने की घोषणा नहीं की है और न इसको स्पष्ट किया गया है उद्देश्य और कारणों में कि १ आने का स्थान दस नये पैसे लेने जा रहे हैं। सदन की मर्यादा अब तक, आप के हाथ में है इसलिये मैं आप का और सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि आप सरकार से मांग करें कि एक आना जो कि अभी तक ६ नये पैसे में परिवर्तित होता था वह दस नये पैसे में कब से परिवर्तित होने लगा। मैं कहूंगा कि इस तरह से चोर दरवाजे से टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सरकार बहुमत से चाहे पास करा ले लेकिन जो भी टैक्स बढ़ाया जाय उसे ईमानदारी के साथ जनता के सामने खुल कर आना चाहिये लेकिन सरकार में इतना साहस नहीं था कि वह इस नये टैक्स की घोषणा बजट में करती और वह इस तरह से चोर दरवाजे से इस कोर्ट फीस संशोधन विधेयक के द्वारा एक नया टैक्स जनता के ऊपर लादना चाहती है। जो लोग सब से गरीब हैं, जो सब से छोटे यूनिट हैं वहां पर यह बढ़ाया जा रहा है, भारत सरकार ने लिफाफे पर और रजिस्ट्री आदि पर पैसे बढ़ाये लेकिन जो सब से छोटा पोस्ट कार्ड आम गरीब जनता के उपयोग की चीज थी उस पर कोई पैसे नहीं बढ़ाये और वह तीन पैसे की जगह नये ५ पैसे रखे। लेकिन पता नहीं कि इस सरकार को क्या हो गया है कि वह गरीब जनता पर टैक्स बढ़ाती चली जाती है, पता नहीं क्या इस सरकार में साधारण से साधारण कर्मचारी से मिनिस्टर तक छोटा सा हिसाब भी लगाना सब भूल गये कि वह इस तरह से १ आना की जगह दस नये पैसे रख कर हिमालय जैसी भूल करने जा रहे हैं। अन्त में फिर कहूंगा कि इस तरह से आप चोर दरवाजे से टैक्स न लगायें। यह तो टैक्स लादने का आपका एक बहाना और नया तरीका है। तो सही दरवाजे से टैक्स लगाइए, आप चोर दरवाजे से इस टैक्स की स्वीकृति लेकर सदन का अपमान न करिये। सदन की मर्यादा को कायम रखने के लिये आज इस बात की आवश्यकता है कि वास्तव में जो दशमलव सिक्का परिवर्तित किया गया है, उसमें जो भी परिवर्तन तालिका निश्चित की गयी है, जिसे कि भारत सरकार ने निश्चित किया है उसी के मुताबिक १ आने को ६ नये पैसे में परिवर्तित कीजिए, तभी आज सदन की मर्यादा कायम रह सकती है। वरना मैं यह समझूंगा कि आज इस हाउस में एक भी सदस्य ऐसा नहीं रहा जो हिसाब-किताब को ठीक से समझता हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूं।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय जिससे यह विधेयक पारित हो सके।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला बीरी)—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय ....

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या दो मर्तबा या तीन मर्तबा भी सदन का समय बढ़ाया जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता—जब मैं खड़ा हूं उस समय कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं हो सकते।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरथबहादुर शाह—आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन। अगर आज्ञा मिले तो अर्ज कर दूं? क्या सदन का समय दो मर्तबे बढ़ाया जा सकता है? यदि हां, तो किस रूल के अनुसार?

श्री अधिष्ठाता—सदन चाहे तो हाउस का समय कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है।

श्री सुरथबहादुर शाह—लेकिन कै मर्तबा?

श्री अधिष्ठाता—यह तो सदन के ऊपर है। सदन को अधिकार है कि वह अपना समय बढ़ा सकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं अधिष्ठाता महोदय, यह जानना चाहता हूं कि नियमावली के किस नियम के अनुसार बार-बार समय बढ़ाया जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता—नागर जी, आप बिना आज्ञा के बोलने की कृपा न करें। पहले आप आज्ञा प्राप्त कर लें तब बोलें।

श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि कोई टैक्स एक पैसा भी बढ़ाया नहीं जा रहा है। कोई एक आने का जहां पर स्टाम्प लगाया जाय उसकी जगह हम १० पैसे का स्टाम्प नहीं मांग रहे हैं। चार आने का मिनिमम था, उस की जगह २५ नये पैसे किये गये हैं। हुआ सिर्फ यह है कि जिस वक्त रिफंड का मौका हो, अगर कभी ऐसा इत्तफाक हो कि कोई ज्यादा स्टाम्प लगा गया हो, उस स्टाम्प को मंसूख कराना हो और उसका रुपया सरकार से लेना हो तो उस सूरत में यह प्राविजन है कि जहां एक आना रुपया काटा करते थे वहां अब १० नया पैसा कटेगा। जो रुपया मिलेगा उसमें १० नया पैसा फी रुपया के हिसाब से कट जायगा। उसी डेसिमल क्वायनेज का जो प्रिंसिपल था उसी को फालो किया गया है और उसी की बुनियाद पर दस नया पैसा रखा गया है और ६ पैसा या ७ पैसा या ८ पैसा या ९ पैसा उस में कहीं फिट नहीं होता। लिहाजा मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि अगर आप लोग समझेंगे तो मालूम होगा कि जो तरमीमात की गई है वह बिलकुल नामौजूं हैं और किसी तरह से उसमें वह फिट नहीं होती हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री जगन्नाथ लहरे—अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि स्टाम्प की वापसी पर १ आना की जगह पर १० नया पैसा के हिसाब से काटा जायगा। मैं इस सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि यदि आज हम १०० रुपये का स्टाम्प खरीदते हैं और उस को जब वापस करते हैं तो अभी तक १०० रुपये के स्टाम्प पर हमें सवा ६ रुपये काट कर पौने ९४ रुपये मिल जाता था। अब १०० रुपये पर १० नये पैसे के हिसाब से १० रुपये कट जायेंगे। यानी ९० रुपये वापस मिलेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह जो बार-बार यह कह रहे हैं कि १ आने की जगह पर १० नये पैसे काट लेंगे तो क्या इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि पौने चार रुपये जो कम दिये जायंगे वह क्या एक नया टैक्स नहीं हो गया? मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप हिमालय जैसी भूल मत कीजिये। आप अपने डेसिमल क्वायनेज के मुताबिक जो उद्देश्य और कारण में लिखा है उसके मुताबिक सही मूल्य जनता से लीजिये और वापस कीजिये। मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करके सदन का अपमान होने से बचाने की कृपा कीजिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति २ में शब्द "ten naye paise" के स्थान पर शब्द "six naye paise" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरथबहादुर शाह—श्रीमन्, मेरे उसका निश्चय नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता—मैं व्यवस्था दे चुका कि समय बढ़ाया जा सकता है, हाउस अगर निश्चय करे तो।

श्री सुरथबहादुर शाह—कितनी मर्तबा समय बढ़ सकता है?

श्री अधिष्ठाता—यह सदन के ऊपर है।

श्री सुरथबहादुर शाह—श्रीमन्, एक मर्तबा हमने १५ मिनट समय बढ़ाने की इजाजत मांगी थी। उस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक मर्तबा समय बढ़ सकता है, अब नहीं बढ़ सकता। लेकिन वही चीज आज हो रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर—मेरा प्रस्ताव यह है कि मैंने अभी यही कहा था कि कौन से नियम के अनुसार समय बार-बार बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इसी सदन में अध्यक्ष महोदय की यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि समय एक बार बढ़ाया गया, अब नहीं बढ़ाया जायगा। अगर कोई रूल है तो बताया जाय।

श्री अधिष्ठाता—नियम ११ का प्रावीजो माननीय सदस्य देखें:

"Provided that in special circumstances, the House may by motion extend the duration of a sitting."

तो हाउस का समय ६ बजे तक था। १५ मिनट के लिये समय बढ़ सकता है डयूरेशन का।

श्री शिवप्रसाद नागर—यह गलतफहमी है.....

श्री अधिष्ठाता—मैं आपकी आज्ञा नहीं लेता हूं। इस पर मैंने व्यवस्था दे दी।

*श्री रामनारायण तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ के खंड ३ में पंक्ति २ के शब्द "ten naye paise" के स्थान पर शब्द "five naye paise" रख दिये जायं, यह प्रस्ताव करता हूं।

हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि यह कोई नया टैक्स नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर यह टैक्स नहीं है तो और क्या है। इसका सीधा सीधा संबंध आम जनता से है क्योंकि कहीं आसमान से तो पैसा आयेगा नहीं। जो पैसा कट जायगा। वह आम जनता से कटेगा इसलिये आपने १ आने की जगह पर १० नये पैसे का प्रावीजन रखा है। इसी के सिलसिले में मैं एक प्रमाण दे दूं कि जमींदारी विनाश के बाद एक आदेश निकला लगान का सर्किल रेट के आधार पर। अगर जिसने ८ की नई मौरूसी का लगान सर्किल रेट से अधिक निर्धारित हो गया है तो वही लगान रहेगा और अगर सर्किल रेट से कम है तो सर्किल रेट के मुताबिक कर दिया जायगा। यही हालत इस विधेयक की है, किसी भी हालत में आपने को कम नहीं मिलेगा। मैं आभारी होता यदि आप परिस्थितियों को देखते हुए, इस सदन की मर्यादा के लिये १ पैसे की कमी कर देते। १ पैसे से मैं समझता हूं कि सरकार का कोई खजाना भर नहीं जायगा। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि बहुत लम्बा चौड़ा संशोधन है और छोटी उसकी इकाई है। इसलिये इसे स्वीकार किया जाय।

श्री संयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, मुझे मंजूर नहीं है।

श्री सुरथबहादुर शाह—अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना ध्यान रूल ११ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें ये शब्द हैं.....

* बाद में भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—देखिये, मैं इस संबंध में अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। अब इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। आप कृपया बैठ जायं।

श्री सुरथबहादुर शाह—आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन जरा समझा तो लूं।

श्री अधिष्ठाता—मैं आपको अपने चेम्बर में समझा दूंगा।

श्री सुरथबहादुर शाह—अब सदन का समय एक मर्तबा बढ़ चुका है तो किस रूल के हिसाब से दोबारा समय बढ़ाया जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता—सदन को अधिकार है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ में पंक्ति २ के शब्द "ten naye paise" के स्थान पर शब्द "five naye paise" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिवप्रसाद नागर—अर्ज यह है कि नियम ११ में किसी विशेष परिस्थिति में समय बढ़ाया जा सकता है। १५ मिनट का समय बढ़ाने के लिये कोई विशेष परिस्थिति सदन में उपस्थित नहीं हुई। दूसरे किसी भी रूल या कानून के मुताबिक सचिव महोदय को यह अधिकार नहीं है कि वे चेयर के द्वारा इस सदन में गलतफहमी पैदा करायें। सदन सचिव महोदय को इतनी छूट नहीं दे सकता कि वे हाउस में गलतफहमी पैदा कराने की कोशिश करें।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य, यह चेयर पर रिफलेक्शन है, आप अपने ये शब्द वापस लें कि सचिव सदन में गलतफहमी कराते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं शब्द वापस लेने को तैयार हूं लेकिन फिर भी वापस लेने का सवाल इसलिये पैदा नहीं होता कि चेयर पर मेरा कोई रिफलेक्शन नहीं है। सचिव महोदय गलतफहमी कराते हैं, यही मैंने कहा है।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठिये। सचिव कोई ऐसी बात नहीं कह सकते। आप नियम २२३ देखेंगे तो जितनी भी रेजिडुअरी पावर्स हैं वे सब स्पीकर्स में वेस्टेड हैं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरथबहादुर शाह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक ही रेजोल्यूशन पर दो मर्तबा हाउस के एक्सटेंशन का प्रश्न उठाया जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता—मैं व्यवस्था दे चुका हूं, इस संबंध में कोई भी बहस नहीं हो सकती आप कृपा करके बैठ जायं।

खंड ४, ५ व ६

४—मूल अधिनियम की अनुसूची १ (Schedule I) में—

(क) दूसरे स्तम्भ में, अनुच्छेद ८ में शब्द "eight annas" के स्थान पर शब्द "fifty naye paise" रख दिये जायं,

(ख) तीसरे स्तम्भ में—

(१) अनुच्छेद १ में शब्द "eight annas", "one rupee, four annas", "one rupee, twelve annas", "nine rupees, eight annas", "eighteen rupees, twelve annas", "twenty-eight

ऐक्ट ७, १८७० की अनुसूची १ का संशोधन।

rupees, four annas" और "thirty-seven rupees, eight annas", के स्थान पर क्रमशः शब्द "fifty naye paise", one rupee and twenty-five naye paise","one rupee and seventy-five naye paise", nine rupees and fifty naye paise", "eighteen rupees and seventy-five naye paise", 'twenty-eight rupees and twenty-five naye paise", और "thirty seven rupees and fifty naye paise", रख दिये जायं;

(२) अनुच्छेद ६ में शब्द "eight annas" के स्थान पर शब्द "fifty naye paise" रख दिये जायं।

(३) अनुच्छेद ९ में शब्द "twelve annas" के स्थान पर शब्द "seventy-five naye paise" रख दिये जायं; और

(४) अनुच्छेद १३ में शब्द "two rupees, eight annas", के स्थान पर शब्द "two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं।

(ग) आदों के निवेशन पर मूल्यानुसार आदेय शुल्क की दरों की सारिणी में (Table of rates of advalorem fees leviable) उपयुक्त शुल्क (Proper fee) प्रदर्शित करने वाले स्तम्भ में, शीर्षक में आने वाले अक्षर "a" के स्थान पर अक्षर "nP" रख दिये जायं तथा उसके नीचे अंक "4","8" और "12" के स्थान पर क्रमशः अंक "25", "50" और "75". रख दिये जायं।

ऐक्ट ७, १८७० की अनुसूची २ का संशोधन।

५.—मूल अधिनियम की अनुसूची २ (Schedule II) के तत्संबंध स्तम्भ में—

(१) अनुच्छेद १ में शब्द "four annas", "three rupees, twelve annas" और "sixty-two rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-five naye paise", "three rupees and seventy-five naye paise" और "sixty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं

(२) अनुच्छेद १-ए में शब्द "one rupee, eight annas" के स्थान पर शब्द "one rupee and fifty naye paise", रख दिये जायं

(३) अनुच्छेद २ में शब्द "twelve annas", के स्थान पर शब्द "seventy-five naye paise" रख दिये जायं,

(४) अनुच्छेद ३ में शब्द "one rupee, four annas" और "two rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and twenty-five naye paise" और "two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(५) अनुच्छेद ४ में शब्द "twelve annas" के स्थान पर शब्द "seventy-five naye paise" रख दिये जायं;

(६) अनुच्छेद १० में शब्द "three rupees, twelve annas" के स्थान पर शब्द "three rupees and seventy-five naye paise", रख दिये जायं;

(७) अनुच्छेद ११ में शब्द "two rupees, eight annas" और "three rupees, twelve annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "two rupees and fifty naye paise" और "three rupees and seventy five naye paise" रख दिये जायं ;

(८) अनुच्छेद १२ में शब्द "six rupees, four annas" और "twelve rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "six rupees and twenty-five naye paise" और "twelve rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(९) अनुच्छेद १३ में शब्द "six rupees, four annas", के स्थान पर शब्द "six rupees and twenty-five naye paise" रख दिये जायं ;

(१०) अनुच्छेद १४ में शब्द "nine rupees, eight annas" के स्थान पर शब्द "nine rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(११) अनुच्छेद १७, १८ और १९ में शब्द "eighteen rupees, twelve annas" के स्थान पर शब्द "eighteen rupees and seventy-five naye paise", रख दिये जायं ;

(१२) अनुच्छेद २० और २१ में शब्द "thirty seven rupees, eight annas" के स्थान पर शब्द "thirty seven rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं; और

(१३) अनुच्छेद २२ में शब्द "twelve rupees, eight annas", के स्थान पर शब्द "twelve rupees and fifty naye paise", रख दिये जायं।

ऐक्ट ७, १८७० की अनुसूची ३ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की अनुसूची ३ (Schedule III) के संलग्नक (Annexures) "A" और "B" में, "a" और "p" के निमित्त दो स्तंभों के स्थान पर "nP." शीर्षक वाला एक स्तम्भ रख दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में और संशोधित करने का

विधेयक

यह वांछनीय है कि उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्तशीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरथबहादुर शाह—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि एक ही प्रश्न के ऊपर सदन दो मोशन एक दिन में पास कर सकता है?

श्री अधिष्ठाता—कौन से दो मोशन हैं?

श्री सुरथबहादुर शाह—यह जो दोबारा टाइम का एक्सटेंशन हुआ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सुरथ बहादुर शाह, मैं इस सम्बन्ध में निश्चित व्यवस्था दे चुका हूं। आप इस पर बहस न करें।

श्री सुरथबहादुर शाह—यह तो दूसरी व्यवस्था है, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता—सदन का समय बढ़ाया जा सकता है। आप बैठ जाइये।

श्री सैयद अली जहीर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोध) विधेयक, १९५८*)

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

इस विधेयक की भी वही शक्ल है जो कि कोर्ट फीस ऐक्ट की शक्ल रखी गयी है। सिर्फ इसमें एक और तरमीम शामिल की गयी है कि जो दफा ६ और आर्टिकिल २६ (बी) में शेड्यूल (१) बी के खिलाफ कुछ रह गया था, एक जगह ३ रुपया छप गया था और एक जगह ढाई रुपया छपा था, उस गलती को रफा करने की कोशिश की गयी है। इन अल्फाज के साथ यह अर्ज करूंगा कि यह विधेयक भी माननीय सदन मंजूर करेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अब समय हो गया।

श्री अधिष्ठाता—अभी एक मिनट बाकी है।

श्री शिवप्रसाद नागर—पिछली घड़ी देखिए। यह कौन सी रूलिंग है?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं। मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप बैठिये।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ मार्च, १९५८।

---

*११ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही में छपा।

नत्थियां

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

Copy of letter no. 837/XV-45, dated May 17, 1956, from the District Inspector of Schools, Deoria to the Manager, S. K. H. Sec. School, Barhaj (Deoria).

Subject : **Utilization Certificate in respect of Government of India Development Grant of Rs. 15,000 under Scheme no. 4 (4)**

I HAVE the honour to say that in connexion with the inspection of records on the above subject on 15th May, 1956, the following has been observed :

1. Separate account of this grant has been maintained on which neither you nor the Principal has signed. The Principal signed the register in my presence on 15th May, 1956, on each item but there is still no signature in the end of the month.

2. There is no stock-book to show the no. of bricks, cement bags, iron bars, etc., purchased and used in connexion with the construction of the building nor any person has given a certificate on the vouchers mentioning that the articles were received intact.

3. Rupees two thousand have been advanced for 2 lac of bricks by voucher no. 1, dated 1st December, 1956, but according to vouchers nos. 35, dated 3 d December, 1955 and 63, dated 28th December, 1955, only 95,000 bricks were received. Please state reasons for this difference. The advances have still not been recouped, nor final voucher for bricks has been obtained.

4. The Pardas and side Pardas, etc., have not been entered in the stock-book.

5. The stock book has also not been signed by the Principal.

6. *Vide* vouchers nos. 65 to 71, dated 30th December, 1955, a total sum of Rs. 160 has been shown as paid on different items on Drama, but vouchers (actual Payees' receipts) have not been taken and as such could not have been shown. There is also no proper Drama account showing the no. of receipt books printed and issued etc. A rough note was put up in which the incomes and expenditure of Dramas were entered without the signature of any responsible person. Full account of Drama with all original receipts (alongwith its account i.e. no. printed, no. used and no. in balance) and voucher submitted to his office.

7. Rs.7,000 were given from this grant to maintenance fund on different dates as loan. The reasons for this diversion be stated.

8. Three wooden almirahs have been purchased for which Rs. 350 have been paid but the almirahs are too weak and unfit and not worth the price. The wood used for its construction is not good. They have been heavily polished with blue paint. No quotations were called for from firms for their supplies nor any order was issued to the firms concerned mentioning the specifications of the almirahs. The transaction as such is against rules.

9. The following books which have been shown as purchased from this grant are old and appear to be second-hand ones :

(1) An Elementary Text book of Zoology (on the book the name of Rama Shanker Tripathi has been written).
(2) Adhunic Hindi Sahitya Ka Vikas.
(3) The elements of continents.
(4) North America (on the book the name of Sri Raj Dec Misra has been noted).
(5) Chinta Mani.

Please state reasons why old and second-hand books were purchased on the price of new ones.

10. Vide vouchers nos. 56 to 59, dated 26th December 1955, Rs. 405 have shown as paid to Sri Paramhans Sharma, Agent News, Papers, as advance subscription for 2 copies of daily *Leader*, 2 copies of daily *Amrit Bazar Patrika* and 4 copies of daily *Aaj* for the period from December 1955, to December 1956. In my presence only one copy each of the above dailies was received. Sri Paramhans Sharma stated in my presence in writing that he has never supplied two copies of *Leader* and *Amrit Bazar Patrika* and four copies of *Aaj*. He has also accepted in writing that no money was paid to him for the above vouchers. He was simply asked to sign on the vouchers with the assurance that when the money will be paid he should supply the required number of copies of the above newspapers.

From the perusal of the Library and reading room account it was observed that one copy each of *Leader*, *Amrit Bajar Patrika*, and *Aaj* is being subscribed and payment for the same has been made up to February, 1956. The Principal was requested in writing to put up all the copies of the newspapers or to show the income from the sale-proceeds of the previous copies of the same but he could not put up the copies (2 copies of *Leader* and *Amrit Bajar Patrika* and 4 copies of *Aaj*). Even for a day not submitted any reply. Thus, it is clear that the expenditure of Rs.405 as shown in the utilization certificate and on the register of accounts is false. Please state why false vouchers were prepared and admitted and report the name of person who is responsible for misappropriation of Government money.

The Principal was asked in writing to submit his report in this connexion but he did not submit the same in spite of repeated personal requests on the spot. His report with your own comments be submitted in this office in triplicate at once.

11. Articles worth Rs.342-1-6 have been shown as purchased and distributed as prizes, but the list of prize-winners was not put up for perusal in spite of repeated requests. Please send the same in original.

12. Please state the no. of G. C. sheets and the date on which they were received. The details of its receipts and expenditure from July, 1955 up to date be submitted.

I would, therefore, ask you please to submit your explanation on the above points in triplicate alongwith the list of articles purchased with price and firm from whom purchased. The list of books should contain the names of authors and the cost. In your report please state clearly the names of persons who are responsible for the above with their explanation. The required report must be in triplicate and be submitted to this office within 7 days of the receipt of this letter.

Copy of letter no. 1825/*XV*-45, *dated June* 2, 1956, *from the District Inspector of Schools, Deoric, to Manager, S. K. H. S. S., Barhaj*

Subject: **Utilization Certificate in respect of Government of India Development Grant of Rs.15,000 under Scheme no. 4 (b).**

With reference to your letter no. 63/5—XII-56, dated May 28, 1956, I have the honour to say as under :

1. The account should please be signed now in this office.

2. The stock-book of all consumable articles purchased out of above grant should please be prepared now properly and got signed by the persons concerned to whom they were issued. The teachers incharge under whose supervision the construction work was done should also certify the correctness of the account stock and vouchers duly certified by the Principal . The stock-book be submitted to this office for verification.

3. The final voucher for bricks along with the pass-book showing deposit of Rs. 5 be submitted to this office.

4. The stock-book should be submitted.

5. At the time of submitting utilization certificate the stock-book should have been checked and verified. It should now be done by the Principal and shown to this office.

6. The teachers concerned be asked to explain why they did not maintain proper account of the Drama. Full account showing income and expenditure of Drama with that of last year's Drama (along with account of tickets printed, issued and balance for both the dramas) be put up for inspection.

7. This should be treated as last warning that without the previous permission from the authority concerned no loans be taken from any fund to the maintenance fund as required under G. O. no. A-5408/XV—3174-1955, dated December 3rd, 1955, copy forwarded to you with this office endorsement no. 6791/XV—10-37, dated 17th February, 1956.

8. The pass-book showing the deposit of Rs. 350 should be sent to this office for perusal.

9. Please send the books in question to this office along with the name of the shop from where they were purchased.

10. The date on which the money has been received from the Newspaper Agent be intimated along with the counterfoil receipt and the pass-book.

11. The teacher concerned be asked to search out the lists of prize-winners and the same be submitted to this office for necessary verification.

12. The stock-book in which these G. C. sheets have been entered be submitted. Please also state whether some other permit for G. C. Cheets was received in April, 1956. If so, the purpose for the same and accounts of its utilization be also submitted.

13. The required list of articles and books be submitted immediately.

The explanations of the persons concerned responsible for these irregularities be submitted with your comments.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

गोरखपुर जिले के उन विद्यालयों की सूची जहां कृषि की पढ़ाई का प्रबन्ध है तथा उन्हें दिया गया अनुदान

क्रम सं०	विद्यालय का नाम	सामुदायिक केंद्र खोलने हेतु दिया गया अनुदान	कृषि संग्रहालय हेतु दिया गया अनुदान	सिंचाई के यंत्रों के क्रय करने हेतु दिया गया अनुदान	बैल क्रय करने हेतु दिया गया अनुदान	पौधशाला खोलने हेतु दिया गया अनुदान	अतिरिक्त अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महराजगंज	४३०	६००	४००	५००	७००	—	२,६३०
२	,, ,, गोला	—	—	—	—	—	—	—
३	,, ,, कोड़ीराम	—	—	—	—	—	—	—
४	,, ,, तिसवा बाजार	४३०	६००	४००	५००	७००	—	२,६३०
५	,, ,, बड़हलगंज	—	—	—	—	—	१९,०००	१९,०००*
६	,, ,, पिपराइच	—	—	४००	५००	—	—	९००
७	,, ,, कूराघाट	४३०	६००	—	५००	—	—	१,५३०
८	,, ,, पकरही	—	—	—	—	—	—	—
९	,, ,, घुघुली	—	—	—	—	—	—	—
१०	,, ,, गहासंड	४३०	६००	४००	५००	—	—	१,९३०
११	,, ,, डुमरनिवास	—	—	—	—	—	—	—
१२	,, ,, हरपुर गुदहट	—	—	—	—	—	—	—
१३	,, ,, बांसगांव	—	—	—	—	—	—	—
१४	पूर्व माध्यमिक विद्यालय, निनलौल	४३०	६००	—	—	—	—	१,०३०
१५	,, ,, बाली	—	—	—	—	—	—	—
१६	,, ,, पिठौरा	—	—	—	—	—	—	—
१७	,, ,, परतावल	—	—	—	—	—	—	—

१८	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,	फघुली	—	—	—	—	—	—	—
१९	,, ,,	सिसवाबाजार	—	—	—	—	—	—	—
२०	,, ,,	अगूठा बाजार	—	—	—	—	—	—	—
२१	,, ,,	लक्ष्मी बाजार	—	—	—	—	—	—	—
२२	,, ,,	कुयांचाफ	—	—	—	—	—	—	—
२३	,, ,,	बालापार	—	—	—	—	—	—	—
२४	,, ,,	पीपीगंज	४३०	६००	—	—	—	—	१,०३०
२५	,, ,,	भोटी तिवारी	—	—	—	—	—	—	—
२६	,, ,,	फरदहनी	—	—	—	—	—	—	—
२७	,, ,,	नैतवर	४३०	६००	—	५००	—	—	१,५३०
२८	,, ,,	दोहरियाबाजार	—	—	—	—	—	—	—
२९	,, ,,	घानी	—	—	—	—	—	—	—
३०	,, ,,	महराजगंज	—	—	—	—	—	—	—
३१	,, ,,	पिटौली	—	—	—	—	—	—	—
३२	,, ,,	बहुदरीबाजार	—	—	—	—	—	—	—
३३	,, ,,	भोवापार	—	—	—	—	—	—	—
३४	,, ,,	संजनी	—	६००	—	—	—	—	६००
३५	,, ,,	भैंसाबाजार	—	—	—	—	—	—	—
३६	,, ,,	बरियार	—	—	—	—	—	—	—
३७	,, ,,	बेलखाट	—	—	—	—	—	—	—
३८	,, ,,	शाहपुर	—	—	—	—	—	—	—
३९	,, ,,	पुरवा	—	—	—	—	—	—	—
४०	,, ,,	बरियार	—	—	—	—	—	—	—
४१	,, ,,	गोला	—	—	—	—	—	—	—
४२	,, ,,	कौड़ीराम	—	—	—	—	—	—	—
४३	,, ,,	गगहा	४३०	६००	४००	—	—	—	१,४३०
४४	किसान ,,	गगहा	—	—	—	—	—	—	—
४५	,, ,,	हरपुर खुदहट	—	—	—	—	—	—	—
४६	,, ,,	हाताबाजार	—	६००	—	—	—	—	६००
४७	,, ,,	रामपुर गौरी	—	—	—	—	—	—	—

*यह अनुदान द्वितीय पंचवर्षीय योजना की योजना संख्या २४ के अन्तर्गत दिया गया था।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोरखपुर जिले के उन विद्यालयों की सूची जहां कृषि की पढ़ाई का प्रबन्ध है तथा उन्हें दिया गया अनुदान

क्रम सं०	विद्यालय का नाम	सामुदायिक केंद्र खोलने हेतु दिया गया अनुदान	कृषि संग्रहालय हेतु दिया गया अनुदान	सिंचाई के यंत्रों के क्रय करने हेतु दिया गया अनुदान	बैल क्रय करने हेतु दिया गया अनुदान	पौधशाला खोलने हेतु दिया गया अनुदान	अतिरिक्त अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
४८	पूर्व माध्यमिक विद्यालय, घतरा	—	—	—	—	—	—	—
४९	,, ,, छपिया	—	—	४००	—	—	—	४००
५०	,, ,, डेखा	—	—	—	—	—	—	—
५१	,, ,, भगवानपुर	—	—	—	—	—	—	—
५२	,, ,, सहजनवा	—	—	—	—	—	—	—
५३	,, ,, मिनवा	४३०	६००	४००	—	—	—	१,४३०
५४	,, ,, डुमरी निवास	—	—	—	—	—	—	—
५५	,, ,, बहादुरनगर	—	—	—	—	—	—	—
५६	,, ,, बारग्राम	—	—	४००	—	—	—	४००
५७	,, ,, मीठावेल	—	—	—	—	—	—	—
५८	,, ,, ब्राहमपुर	—	—	—	—	—	—	—
५९	,, ,, पिपराइच	—	—	—	—	—	—	—
६०	,, ,, चौमुखा	—	—	—	—	—	—	—
६१	,, ,, बंसगांव	४३०	६००	—	—	—	—	१,०३०
६२	,, ,, बरही सोनवर्सा	—	—	—	—	—	—	—
६३	,, ,, कोठा	—	—	—	—	—	—	—
६४	,, ,, जगदीशपुर	—	—	—	—	—	—	—
६५	राजकीय माडल स्कूल, गोरखपुर	—	—	४००	—	—	—	४००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

क्रम सं०	वर्ष	डि० एस० पी० (कम्पलेंट्स) बदायूं द्वारा जांचे गये प्रार्थना पत्रों की संख्या	सही पाये गये मामलों की संख्या	जो मामले सही नहीं पाये गये उनकी संख्या	दोषी पाये गये कर्मचारियों को दी गई सजा का विवरण
१	१९५५–५६	१०४	३२	७२	२ कां०, १ चौकीदार तथा १ कलेक्शन अमीन पदच्युत किये गये और २ थानेदार, १ हे० का०, ९ का०, १ लेखपाल और १ ट्यूबवेल आपरेटर के वेतन कम कर दिये गये। २ थानेदारों, १ हे० क० तथा २ कां० के ईमानदारी के प्रमाण पत्र रोक दिये गये तथा ४ थानेदारों, ३ हे० का० और ६ कां० की चरित्रावलियों में भ्रष्ट आचरण आलेख्य उल्लिखित किये गये। १ थानेदार, २ हे० कां०, ४ कां०, २ लेखपाल, १ पेशकार तथा १ कानूनगो अन्य रूप से दंडित किये गये।
२	१९५६–५७	२०६	४१	१६५	१ थानेदार, १ हे० कां०, १ का०, १ इंस्पायरी इं० कस्टोडियन विभाग तथा ३ कम्पाउन्डर पदच्युत किये गये। २ थानेदारों तथा १ हे० कां० के वेतन में कमी कर दी गई। १ थानेदार, १ हे० कां० तथा ५ कां० के ईमानदारी के प्रमाण-पत्र रोके गये तथा ३ थानेदारों और ५ कां० की चरित्रावलियों में भ्रष्टाचरण आलेख्य उल्लिखित किये गये। ४ थानेदार, १८ का० तथा २ चौकीदार अन्य रूप से दंडित किये गये।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की विद्यार्थी सहायक समिति से सहायता पाने वाले विद्यार्थियों की सूची जिन्हें सन् १९५७-५८ के लिये सहायता दी गई है

क्रम सं०	नाम विद्यार्थी	कक्षा	अभिभावक का नाम तथा आय	संबंध	सहायता प्रतिमास
१	सुरेश चन्द्र शुक्ला	१०-अ	बाबूलाल शुक्ल की विधवा —कुछ नहीं	माता	२ रु० ४ आ०
२	रामस्वरूप प्रथम	१०-ब	हिम्मत —कुछ नहीं	पिता	२ रु० ४ आ०
३	आनन्द प्रकाश	१०-अ	रघुनन्दन शर्मा —५० रुपया मासिक	पिता	२ रु० ४ आ०
४	गुरू प्रसाद	९-सा०अ	मन्नालाल —३५ रुपया मासिक	पिता	२ रु० ४ आ०
५	मा० सईद	९-वै० अ	इस्माइल चमरासी रा०उ०मा० विद्यालय ३१ रु०८ आ०मासिक	चाचा	२ रु० ४ आ०
६	सुरेशकुमार अग्रवाल	९-वै० ब	चिरंजीलाल—५० रुपया मासिक	पिता	२ रु० ४ आ०
७	जमाल अहमद	,,	अली अहमद मिस्त्री —११० रुपया मासिक	पिता	२ रु० ४ आ०
८	अनन्त राम	,,	माखनलाल मिस्त्री —७२ रुपया मासिक	पिता	२ रु० ४ आ०
९	रामशंकर	८-ब	शिवसहाय—३५ रुपया मासिक	पिता	२ रु० ४ आ०
१०	जगदीशचन्द्र	७-ब	मदनलाल—१०० रुपया मासिक	चाचा	२ रु० ४ आ०
११	शफी अहमद	६-अ	बकरीदी मनिहार—३० रुपया मासिक	पिता	१ रु० ८ आ०
१२	मदन लाल	६-ब	नारायनलाल —२५ रुपया मासिक	पिता	१ रु० ८ आना

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

जिला जौनपुर में सन् १९५६ तथा १९५७ में हुए कत्लों तथा डकैतियों का थानावार विवरण

थाना		कत्ल		डकैती	
		१९५६	१९५७	१९५६	१९५७
बदलापुर	..	१	१	१	—
मड़ियाहूं	..	५	३	—	—
सरायखाला	..	३	४	२	१
बादशाहपुर	..	२	—	—	१
शाहगंज	..	३	१	१	—
रामपुर	..	१	२	—	—
जलालपुर	..	२	१	—	—
सुजानगंज	..	१	१	—	—
कराकत	..	१	२	—	२
वक्शा	..	—	२	—	—
चन्दवक	..	—	३	—	—
सरपतहा	..	—	१	१	—
मछलीशहर	..	—	१	—	—
मीरगंज	..	—	२	—	१
कोतवाली	..	—	—	१	—
योग	..	१९	२४	६	५

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४ पर)

जिला जेल इटावा में हवालाती बन्दियों की सूची

जुर्म दफा आई० पी० सी०	हवालातियों की संख्या	जुर्म दफा	हवालातियों की संख्या
३०४	१	९ ओ० एस० ऐक्ट	२
३०४-ए	१	३९९/४०२	१७
१४७/१४८/१४९	५	३९५	९
३०२/१०९		३७९/४११	२
३८०	७	३९५/४१२	२
३८१	१	३९९/४०२/१९ आर्म्स ऐक्ट	११
३९९/४०२/३०७	७	१९ आर्म्स ऐक्ट	३
१९ आर्म्स ऐक्ट		३०२/३९४	१
५४/३७९	१	३९९/४०२/१०९	५
३७९	४	३९९/४०२/४११	१
४५७	३	१९ आर्म्स ऐक्ट	..
३६३/३६६/३७६/४५७	१	२७९/३३७	१
३९५/३९७	१८	२०५/३९७	२
३०२	६	३९४	१
५४/३६६	१	१०९ सी-आर-पी० सी०	५
३०२/२०१	४	११० ,,	१
१४८/३०२	२	१०७/११७	२
३९५/३९७/४१२	१	१५७	..
३९९/४०२,१९ आर्म्स ऐक्ट	..	१३४	१
		७/८ एच० सी० ऐक्ट	१
		३९५/३९७/१०९	१
		*सेशन्स न्यायालय संबंधी	१४७
		कुल ..	२७८

*सेशन्स न्यायालय संबंधी हवालातियों के बारे में आवश्यक सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर)

जिला	रिवाल्वर व पिस्तौल	राइफल्स	बी०एल० बंदूक	एम०एल० बंदूक	अन्य शस्त्र	कुल जोड़
१—देहरादून	..	३८६	४४३	१,९००	७५३	३,४८२
२—सहारनपुर	..	३९४	२३५	२,३८३	२१९	३२ ३,२६३
३—मुजफ्फरनगर	..	४२६	१५१	२,२१७	१५७	१२ २,९६३
४—मेरठ	..	९०६	५२७	३,८४०	१३३	५० ५,४५६
५—बुलन्दशहर	..	३०९	१८१	२,००८	१४०	.. २,६३८
६—अलीगढ़	..	५७५	३७१	३,७५४	५६५	१२ ५,२७७
७—मथुरा	..	२३५	१३२	१,४६६	२८४	७ २,१२४
८—आगरा	..	५६२	६६८	४,०५२	१६९३	३३ ७,००८
९—मैनपुरी	..	१६९	९९	१,७८३	६६९	३५ २,७५५
१०—एटा	..	२१०	११८	१,७३८	५३८	२ २,६०६
११—बरेली	..	५५१	३३५	२,६८५	२५९	.. ३,८३०
१२—बिजनौर	..	२२८	१९९	१,१३६	२८२	.. १,८४५
१३—बदायूं	..	३२६	१२७	१,८९०	५५३	.. २,८९६
१४—मुरादाबाद	..	५१४	४५३	३,०००	३२६	५९ ४,३५२
१५—शाहजहांपुर	..	२८४	१३७	१,७६२	२७६	.. २,४५९
१६—पीलीभीत	..	१८२	४९	१,०३८	२२१	.. १,४९०
१७—रामपुर	..	३८७	१०९	१,१९७	२४६	.. १,९३९
१८—फर्रुखाबाद	..	४७६	२७९	२,११७	३३४	१९ ३,२२५
१९—इटावा	..	७६	८१	९४६	९८९	२५ २,११७
२०—कानपुर	..	९३१	८९३	४,३१७	८००	३९ ६,९८०
२१—फतेहपुर	..	१०२	८२	८९५	२३५	.. १,३१४
२२—इलाहाबाद	..	६९७	७११	२,७८३	७३२	१२४ ५,०४७
२३—झांसी	..	११४	३८६	१,२३२	३,५४५	१० ५,२९७
२४—जालौन	..	२६	१६१	६९७	९५०	.. १,८३४
२५—हमीरपुर	..	११५	१४०	१,०७०	१,४९५	.. २,८२०
२६—बांदा	..	११७	१००	१,०१२	१,२०७	३ २,४३९
२७—बनारस	..	४०१	३३४	१,८५७	४६८	१० ३,०७०
२८—मिर्जापुर	..	९९	१११	६९७	८९५	५ १,८०७
२९—जौनपुर	..	४८	४९	५५०	१३१	३० ८०८
३०—गाजीपुर	..	९९	२९	५८१	८५	१ ७९५
३१—बलिया	..	९४	३१	६३९	८८	५ ८५७
३२—गोरखपुर	..	३१७	३१९	१,७३०	३९६	.. २,७६२
३३—बस्ती	..	११७	२०३	८११	३६०	१६ १,५०७
३४—आजमगढ़		१८६	७६	१,५१०	२९०	६० २,१२२
३५—देवरिया	..	१२२	९७	१,१८४	१२३	.. १,५२६
३६—नैनीताल	..	४१०	४५४	२,६०६	१,९९८	४८ ५,५१६
३७—अल्मोड़ा	..	१४५	२६९	१,८४६	२,४०७	.. ४,६६७
३८—गढ़वाल	..	७३	१३३	१,३५४	१,६०४	१ ३,१६४
३९—टेहरी-गढ़वाल	..	२७	३०	३८९	३,२१६	७ ३,६६९

जिला	रिवाल्वर व पिस्तौल	राइफल्स	बी०एल० बंदूक	एम०एल० बंदूक	अन्य शस्त्र	कुल जोड़
४०—लखनऊ	..	१,२६७	१,३०२	५,२३७	२७३	.. ८,०७९
४१—उन्नाव	..	१०२	७३	९३१	७६	१३ १,१९५
४२—रायबरेली	..	१५२	९८	१,०२३	१२७	३७ १,४३७
४३—सीतापुर	..	२२८	२११	१,४१४	१३०	.. १,९८३
४४—हरदोई	..	१६९	१२५	१,४२७	५७६	१ २,२९८
४५—खीरी	..	१२८	२१९	१,३५४	६३०	.. २,३३१
४६—फैजाबाद	..	३२५	१८८	१,६०३	३६९	५० २,५३५
४७—गोंडा		९९	१५६	१,०३५	३४०	४२ १,६७२
४८—बहराइच	..	१८५	२२१	९१६	२८०	३५ १,६३७
४९—सुल्तानपुर	..	८२	६५	८४०	२२१	१ १,२०९
५०—प्रतापगढ़	..	५६	८८	६४४	१८६	१ ९७५
५१—बाराबंकी	..	१९२	१४७	१,१३६	१९७	३२ १,७१४

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७९ पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८

३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५८—५९ के लिये २,१६,८५,९७,५०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है, जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग २,१६,८५,९७,५०० रु० (दो सौ सोलह करोड़, पचासी लाख, सत्तानबे हजार, पांच सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक — राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
१	कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय	१,१४,९००	..	३,१४,९००
२	मालगुजारी	५,६८,७२,५००	६,०००	५,६८,७८,५००
३	राज्य आबकारी	१,१९,१०,३००	..	१,१९,१०,३००
४	स्टाम्प	६,७६,४००	..	६,७६,४००
५	बन	२,३१,२२,९००	२८,४००	२,३१,५१,३००
६	रजिस्ट्री	१६,०१,२००	..	१६,०१,२००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण परिव्यय	१,४९,३२,९००	..	१,४९,३२,९००
८	अन्य कर और शुल्क के कारण परिव्यय	४८,२०,१००	१०,०००	४८,३०,१००
९	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई-कार्य	४,१८,६९,१००	..	४,१८,६९,१००
१०	सिंचाई अधिष्ठान पर परिव्यय	३,७८,८३,६००	..	३,७८,८३,६००
११	अभियंत्रण संस्थायें	३१,६३,७००	..	३१,६३,७००
१२	सामान्य प्रशासन (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) के कारण परिव्यय ..	३,१८,८२,२००	१२,६१,२००	३,३१,४३,४००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन का परिव्यय	३,०१,६५,६००	..	३,०१,६५,६००
१४	गांव सभायें और पंचायतें	१,०४,९९,९००	..	१,०४,९९,९००
१५	न्याय प्रशासन	१,४६,२८,०००	२८,०३,४००	१,७४,३१,४००
१६	जेल	१,५६,९६,७००	..	१,५६,९६,७००
१७	पुलिस	८,९०,८९,५००	५,०००	८,९०,९४,५००
१८	शिक्षा	१६,१०,४५,८००	..	१६,१०,४५,८००
१९	चिकित्सा	४,०६,११,८००	..	४,०६,११,८००
२०	जन-स्वास्थ्य	२,४९,११,७००	..	२,४९,११,७००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२१	कृषि संबंधी विकास अभियंत्रण और खोजें	३,४७,४०,७००	७०,२००	३,४८,१०,९००
२२	उपनिवेशन (कालोनाइजेशन)	५५,४३,७००	..	५५,४३,७००
२३	पशुचिकित्सा	१,८७,८५,०००	..	१,८७,८५,०००
२४	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	२,७४,६२,०००	..	२,७४,६२,०००
२५	विद्युत योजनाओं के अधिष्ठान पर व्यय	१,५०,०२,२००	..	१,५०,०२,२००
२६	सहकारिता ऋण	१,५३,३१,९००	..	१,५३,३१,९००
२७	उद्योग	५,५७,७४,०००	१,०००	५,५७,७५,०००
२८	श्रम	१,६१,४४,१००	१,०००	१,६१,४५,१००
२९	परिवहन विभाग	५,८५,१८,०००	६६,०००	५,८५,८४,०००
३०	सूचना संचालक-कार्यालय	..	..	..
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	५,७०,९८,३००	२,३१,०००	५,७३,२९,३००
३२	यातायात सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) ..	१३,०४,६००	..	१३,०४,६००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्य के अधिष्ठान पर व्यय	७६,९१,६००	..	७६,९१,६००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रांट इन एड आफ सिविल वर्क्स)	१,०६,९२,१००	..	१,०६,९२,१००
३५	दुर्भिक्ष सहायता	३६,६६,२००	१६,००,०००	५२,६६,२००
३६	प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें और भारतीय शासकों को निजी थैलियां	१३,३५,०००	..	१३,३५,०००
३७	बुढौती भत्ते और पेंशनें	२,०९,३४,२००	१२,८९,६००	२,२२,२३,८००
३८	लेखन सामग्री और मुद्रण	१,२९,६३,०००	..	१,२९,६३,०००
३९	विविध परिव्यय	४,०१,९३,४००	१००	४,०१,९३,५००
४०	अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान	१,४६,६४,५००	..	१,४६,६४,५००
४१	समाज कल्याण	४२,९९,८००	..	४२,९९,८००
४२	असाधारण परिव्यय	३५,९५,६००	७४,०००	३६,६९,६००
४३	योजना और सहयोग	९,३१,०२,३००	..	९,३१,०२,३००
	ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज	..	९,१६,९०,२००	९,१६,९०,२००
	ऋण को कम करना या उससे बचना	..	३०,१८,६८,४००	३०,१८,६८,४००
४४	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई साधनों का निर्माण	७,८०,०१,६००	..	७,८०,०१,६००

अनुसूची

अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत	१२,६३,००,०००	९९,९००,	१२,७१,९९,९००
४६	औद्योगिक विकास	२,५५,५३,१००	..	२,५५,५३,१००
४७	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत ..	८,४३,६५,२००	..	८,४३,६५,२००
४८	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत	१०,३६,१०,७००	..	१०,३६,१०,७००
४९	कृषि अभियंत्रण सरकारी बस सेवाओं सहायता और पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	२,६४,७२,७००	१,००,०००	२,६५,७२,७००
५०	पेंशनों की संराशि (कम्यूटेड वैल्यू)	१८,७५,०००	२५,०००	१९,००,०००
५१	राज्य व्यापार की योजनायें	११,४२,१९,९००	..	११,४२,१९,९००
	पूंजी से की गई निक्षेप निधि का विनियोग	..	..	..
५२	ब्याज वाले ऋण और अग्र ऋण	७,१६,२७,९००	..	७,१६,२७,९००
	योग ..	१,७६,६५,६७,१००	४०,२०,३०,४००	२,१६,८५,९७,५००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य तथा कारण

संविधान का अनुच्छेद २०४ इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना चाहिए।

यह विधेयक उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से १९५८–५९ के वित्तीय वर्ष के संबंध में उत्तर प्रदेश की विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था करता है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०—२२ एल० ए०—१९५८–८३५।